`इसमें संशोधन पर्ची संख्या 1 दिनांक है। 1 गेट संख्या 21/A
स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/50 बहेड़ी

परिशिष्ट – "क"

बहेड़ी–देवरनिया स्टेशनों के मध्य स्थित इंजी0 समपार फाटक संख्या 21 श्रेणी "ए" के संचालन हेतु अनुदेश –

1. **विवरण**

1.1 सामान्य –

1	समपार फाटक की संख्या	21/ ए
2	इन्जीनियरिंग / ट्राफिक	इंजीनियरिंग
3	अधीन स्टेशन अधी0/रेल पथ निरीक्षक	से0ई0(रेल पथ)/भोजीपुरा
4	किलोमीटर पर स्थित	24/9- 25/0
5	स्टेशन	बहेड़ी
6	स्टेशन मध्य	बहेड़ी – देवरनिया
7	बी0जी0/एम0जी0/एन0जी0	बी0जी0
8	इकहरी / दोहरी / मिश्रित	इकहरी लाइन
9	सामान्य स्थिति	सड़क यातायात के लिए खुला
10	इण्टरलाक्ड/नान इण्टरलाक्ड	इण्टरलाक्ड
11	इण्टरलाकिंग का प्रकार	गेट सिगनल
12	गेट सिगनलों का प्रावधान किलोमीटर	
(i)	अप गेट डिस्टेन्ट	23/7-8
(ii)	अप गेट सिगनल	24/7-8
(iii)	डाउन गेट सिगनल	25/3-4
(iv)	डाउन गेट डिस्टेन्ट	26/4-5
13	संकेतन व्यवस्था	कलर लाइट सिगनल
14	संचार साधन टेलीफोन/घंटी	टेलीफोन स्टेशन मास्टर/बहेड़ी से
15	समपार फाटक की चौड़ाई	8.50 मीटर
16	सड़क का प्रकार (एन0एच0/एस0एच0/अन्य)	अन्य
17	सड़क का नाम	रिच्छा गॉव – नैनीताल रोड
18	पक्का / कच्चा	पक्का
19	पहुॅच मार्ग	नैनीताल
20	सड़क की चौड़ाई	6.50 मीटर
21	सड़क का क्रासिंग कोण (इस्क्यू गेट के लिए)	
	पूर्व / उत्तर की तरफ	80 डिग्री
	पश्चिम / दक्षिण की तरफ	80 डिग्री
22	सड़क का ढ़ाल यदि कोई हो	
(i)	पूर्व / उत्तर की तरफ	1 : 30
(ii)	पश्चिम / दक्षिण की तरफ	1 : 30
23	सड़क का प्रकार (सीधा/गोलाई)	
(i)	पूर्व / उत्तर की तरफ	सीधा
(ii)	पश्चिम / दक्षिण की तरफ	सीधा
24	हाइट गेज का प्राविधान	नहीं
25	बैरियर का प्रकार	लिफ्टिंग बैरियर
26	चेक रेल की लम्बाई	10.50 मीटर

(अतुल सिंह) (के0एस0सोनाल) (बालक राम) (नानक चन्द)
मसिदूई/इज्जतनगर मपरिप्र/इज्जतनगर मसिदूई/निर्माण/लखनऊ मण्डल इंजी0/इज्जतनगर

27	समपार के मध्य सड़क का सतह	समतल
28	रम्बल स्ट्रिप / गति अवरोधक की लम्बाई	.
29	रोड साइन	उपलब्ध
30	गति अवरोधक बोर्ड	उपलब्ध
31	टी0वी0यू0	43069 अक्टूबर 2010
32	अगली गणना की तिथि	2013
33	पटाखा सिगनल लगाने का निर्दिष्ट स्थान	है
34	गेटमैनो की संरव्या	दो
35	निकटतम रेलवे सहायता केन्द्र	इज्जतनगर
36	निकटतम निजी चिकित्सा सहायता की उपलब्धता यदि कोई हो	बहेड़ी
37	उपलब्ध उपकरणों की सूची हॉ / नही	हॉ

1.2 <u>उपकरण</u> –

क्रम.सं.	सामग्री	संख्या
1	हाथ सिगनल बत्ती K. Oil	02
2	हरी हाथ झंडी	01
3	लाल हाथ झंडी	03
4	बैनर फ्लैग लाल	03
5	लाल बैनर फ्लैग लगाने हेतु पोस्ट	02
6	तालों के साथ अतिरिक्त चेन (जंजीर)	02 (स्टाप डिस्क के साथ)
7	पटाखा सिगनल	10
8	ट्राई कलर फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प	01
9	गेट लैम्प	02
10	टोमीवार	01
11	मोर्टार पैन (तसला)	01
12	फावड़ा/बेल्चा	01
13	दुर्मुठ	01
14	पिक एक्स	01
15	टिन केस झंडी के लिए	01
16	कैन मिटटी के तेल हेतु	01
17	बाल्टी/पानी पीने का बर्तन	01
18	टिन केस मस्टर शीट के लिए	01
19	चश्मों का अतिरिक्त सेट जो चश्मा लगाते है (दृष्टि वाला)	01
20	गेट पर अवरोध की दशा में समपार की संरक्षा हेतु प्रदर्शित डायग्राम	01
21	टोकरी	01
22	सीटी (Thunder Whistle)	01
23	दीवार घड़ी	01
24	छोटी चेन व ताले (बूम लॉकिंग हेतु)	02

(अतुल सिंह) मसिदूई/इज्जतनगर | (के0एस0सोनाल) मपरिप्र/इज्जतनगर | (बालक राम) मसिदूई/निर्माण/लखनऊ | (नानक चन्द) मण्डल इंजी0/इज्जतनगर

1.3. **गेट लाज पर रखे जाने वाले अभिलेख –**

(1) गेट का कार्यकारी अनुदेश हिन्दी में ।

(2) गेटमैन नियम पुस्तिका स्थानीय भाषा में ।

(3) पुस्तकों एवं उपकरणों की सूची

(4) डियूटी रोस्टर ।

(5) गेटमैन का कार्य करने का प्रमाण पत्र ।

(6) गेटमैन का वायोडाटा, नेत्र जांच, प्रारंभिक पुनश्चर्या, संरक्षा कैम्प इत्यादि ।

(7) दुर्घटना रजिस्टर ।

(8) समपार फाटक पर अंतिम गणना का अभिलेख ।

(9) निरीक्षण पुस्तिका ।

(10) जन प्रतिवेदन पुस्तिका ।

1.4 **गेटमैन के कर्तव्य :**

(1) **सावधानी**
गेट मैन सदैव किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिये की जाने वाली त्वरित कार्यवाही के प्रति सावधान रहेगा।

(2) **ट्रेन के समपार फाटक से गुजरते समय फाटक वाले की स्थिति**
ट्रेन के गुजरने की स्थिति में गेट मैन बतायी गयी निम्नलिखित स्थिति में खड़ा रहेगा।

(i) गेट मैन सतर्कता पूर्वक गेटलाज के सामने आती हुयी ट्रेन के तरफ मुँह करके खड़ा रहेगा।

(ii) दिन में गेट मैन दॉये हाथ में लाल झण्डी तथा बायें हाथ में हरी झण्डी डण्डे में लगी हुई मोड़कर लिये रहेगा।

(iii) रात्रि समय में गेट मैन जलती हुयी सफेद हाथ बत्ती लाइन के तरफ दिखाता हुआ खड़ा रहेगा।

(iv) गेट मैन गले में धागे में बांधकर सीटी लटकाये रहेगा।

(3) **गेट मैन की नियमित ड्यूटी**

(i) गेट मैन आपात स्थिति अथवा अवरोध की स्थिति में रेल पथ पर समपार के दोनों तरफ दिन में लाल बैनर फ्लैग एवं रात्रि में लाल बत्ती निर्धारित स्थान पर लगायेगा।

(ii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि गेट लैम्प को सूर्यास्त से सूर्योदय तक लगातार जलते हुए स्थिति में रखेगा।

(iii) गेट मैन अपनी ड्यूटी निश्चित रूप से ड्यूटी रोस्टर के अनुसार करेगा और जब तक कार्यमुक्त करने हेतु साथी आ न जाये और वह गेट का कार्यभार ग्रहण न कर ले, तब तक गेट मैन गेट छोड़कर नहीं जायेगा। गेट मैन को यदि आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक से हटना अपरिहार्य हो तो वह गेट छोड़ने से पूर्व गेट को सड़क यातायात के लिए बंद करके ताला लगायेगा।

(iv) इन निर्देशों के अतिरिक्त गेट मैन गुजरती हुयी ट्रेन को देखता रहेगा और ट्रेन की संरक्षा हेतु कार्य करने के लिए तत्पर रहेगा।

(v) गेट मैन गुजरती हुयी सभी ट्रेनों पर पैनी नजर रखेगा जिससे किसी अप्रत्याशित घटना जैसे – हॉट एक्सल (गर्म धुरा), लटकती हुई चैन, लटकती हुई बैट्री, किसी वाहन / वैगन / ट्रेन /बैट्री बाक्स में आग लगी हो, ब्रेक ब्लाक, ब्रेक बीम, सेफ्टी ब्रेकेट, वैक्यूम सिलेन्डर आदि का लटकना, गिरना जिसके कारण ट्रेन की संरक्षा बाधित हो का पता लगाकर आवश्यक कार्यवाही करेगा।

(vi) गेट मैन गार्ड द्वारा लोको पायलट को वाकी–टाकी अथवा किसी अन्य माध्यम से दिये गये संकेतों को दोहराने के लिए तैयार रहेगा।

(vii) समपार फाटक का बैरियर गेट क्षतिग्रस्त अथवा खराब होने की दशा में गेट मैन अतिरिक्त चैन डिस्क एवं तालों का प्रयोग कर सड़क यातायात बंद करेगा।

(viii) गेट मैन अपने गेट की किसी भी खराबी के लिए यथाशीघ्र स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी**, गैंग मेट अथवा रेल पथ निरीक्षक को सूचित करेगा।

(ix) जब गेट मैन अपने कार्य पर रहेगा तो वह निर्धारित वर्दी एवं बैज धारण करेगा।

(x) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि ड्यिूटी के समय उसके पास दक्षता प्रमाण पत्र उपलब्ध है।

(xi) गेटमैन, गेट संचालन नियमों के अनुरूप कार्य करेगा तथा नियमों के बारे में पूर्णरूपेण जानकारी रखेगा।

(xii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि उसके गेट पर आपूर्ति किये गये सभी उपकरण अच्छी स्थिति में है एवं तत्काल प्रयोग हेतु तैयार है।

(xiii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि समपार पर चैक रेल गैप साफ है।

(xiv) गेट मैन समपार फाटक की सड़क को (कच्ची सड़क) पानी छिड़ककर एवं दुरमुट से ठोककर ठीक रखेगा।

(xv) गेट मैन सड़क प्रयोगकर्ताओं की, गेट को बंद रखने की स्थिति से उत्पन्न असुविधाओं के प्रति सतर्क रहेगा तथा ध्यान देगा कि समपार फाटक कम से कम समय के लिए बन्द हो।

(xvi) जहां तक संभव हो गेट मैन मनुष्यों, वाहनों अथवा जानवरों के अवैध आवागमन पर रोक लगायेगा।

(4) <u>ट्रेन की असामान्य स्थिति में किया जाने वाला कार्य</u>

यदि गेटमैन किसी पास हो रही गाड़ी में कोई असामान्य बात देखता है तो वह निम्न कार्य करेगा

(i) वह तत्काल ही लोको पायलट/गार्ड को दिन में लाल झण्डी तथा रात में लाल बत्ती दिखाकर सचेत करेगा ।

(ii) साथ ही साथ लोको पायलट/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिए लगातार सीटी बजायेगा, चिल्लायेगा, असामान्य हाव–भाव प्रदर्शित करेगा तथा ब्रेकवान पर पत्थर फेकेगा अथवा कोई अन्य साधन अपनायेगा।

(iii) यदि लोको पायलट/गार्ड उपरोक्त कार्यों के उपरांत भी ध्यान नहीं देते हैं तो वह स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी** को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुए तो तद्नुसार कार्यवाही करने हेतु सूचित करेगा।

(iv) किसी ट्रेन के विभक्त (पार्टिंग) हो जाने की दशा में गेट मैन रोक हैण्ड सिगनल (लाल) नहीं दिखायेगा बल्कि वह दिन में हरी झन्डी तथा रात में सफेद बत्ती ऊपर–नीचे करके निर्धारित संकेत करेगा।

(अतुल सिंह)	(के0एस0सोनाल)	(बालक राम)	(नानक चन्द)
मसिदूई/इज्जतनगर	मपरिप्र/इज्जतनगर	मसिदूई/निर्माण/लखनऊ	मण्डल इंजी0/इज्जतनगर

(v) वह लोको पायलट/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास लगातार सीटी बजाकर, चिल्लाकर, असामान्य हाव–भाव प्रदर्शित करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाकर तुरन्त दोनों हाथों को अलग करके पुनः दोनों हाथों को सटाते हुए पुनः हाथों को बिल्कुल नीचे करते हुए करेगा।

(vi) ऐसा करने से यदि ट्रेन नहीं रूकती है तो गेटमैन तुरन्त टेलीफोन पर स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी** को उचित कार्यवाही करने हेतु गोपनीय संख्या के आदान–प्रदान के अन्तर्गत इसकी सूचना देगा।

(5) **आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक पर की जाने वाली कार्यवाही**

(i) समपार फाटक पर कोई अवरोध आ जाने पर वह लाइन पर दोनों तरफ दिन में लाल बैनर फ्लैग एवं रात्रि में लाल बत्ती निर्धारित स्थान पर लगायेगा।

(ii) इसके उपरान्त यदि गेट मैन अवरोध हटाने में सक्षम नहीं है तो वह स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी** को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुए गेट की खराबी/अवरोध के बारे में तत्काल सूचित करेगा।

(iii) यदि दो या तीन प्रयासों के बाद भी स्टेशन मास्टर/**किच्छा** कोई प्रत्युत्तर नहीं देते है तो गेट मैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के बाद पुनः टेलीफोन से सूचित करेगा।

1.5 **गेट मैन गेट की संरक्षा (बचाव) निम्नलिखित अनुसार करेगा**

(अ) **इकहरी लाइन पर**

(i) गेट मैन दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती 5 मीटर दूर निर्धारित पोस्ट पर सर्वप्रथम उस तरफ लगा देगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना है।

(ii) इसके पश्चात उसी तरह दिन में दूसरा लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती लाइन की दूसरी ओर अवरोध से 5 मीटर की दूरी पर लगायेगा।

(iii) गेट मैन तब पटाखे, और दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल ट्राय कलर फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प लेकर गेट को संरक्षित करने के लिये आगे बढ़ेगा।

(iv) गेट मैन दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल ट्राई कलर फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प दिखाते हुये पहले उस दिशा में बढ़ेगा जिधर से ट्रेन के आने की सम्भावना है तब समपार/अवरोध से 600 मीटर पर एक पटाखा लगा देगा उसके पश्चात वह समपार/अवरोध से 1200 मीटर की दूरी पर तीन पटाखे 10–10 मीटर की दूरी पर लगायेगा। इस प्रकार लाइन को संरक्षित करने के उपरान्त वह समपार पर लौटते हुये पूर्व में 600 मीटर पर लगाये गये पटाखा उठा लेगा।

(v) इसके बाद वह लाल झण्डी दिखाते हुये उसी प्रकार जेसा क्रमांक (iv) में वर्णित है लाइन की दूसरी तरफ पटाखा लगायेगा तथा समपार की तरफ लौटते हुये बीच का पटाखा उठा लेगा।

(vi) समपार गेट पर लौटने के पश्चात गेट मैन अवरोध को हटाने तथा आने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सचेत करने का प्रयास करेगा।

(vii) उन परिस्थितियों में जब गेट मैन रास्ते में ही है और निर्दिष्ट स्थानों पर जहॉ पटाखे लगाये जाते हैं, पहुॅचने के पूर्व ही वह ट्रेन को आते देखता है अथवा ट्रेन की आवाज सुनाई पड़ती है तो वह जहॉ तक पहुॅच सकता है उसी स्थान पर पटाखा लगा देगा।

(viii) उसके उपरान्त गेट आने वाली ट्रेन के लोको पायलट को दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल ट्राई कलर फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प दिखाकर सचेत करेगा / रोकेगा।

(अतुल सिंह)	(के0एस0सोनाल)	(बालक राम)	(नानक चन्द)
मसिदूई/इज्जतनगर	मपरिप्र/इज्जतनगर	मसिदूई/निर्माण/लखनऊ	मण्डल इंजी0/इज्जतनगर

(ब) **गेट मैन द्वारा किये जाने वाली अन्य कार्यवाही**

(i) यदि समपार गेट किसी वाहन द्वारा तोड़ दिया जाता है और वाहन ट्रैक को बाधित कर रहा है, या बैरियर गेट का अन्य कोई भाग ट्रैक को बाधित कर रहा है या गेट पर अन्य कोई अवरोध है तो गेट मैन तुरन्त कार्यवाही करेगा।

(ii) गेट मैन सड़क वाहन का विवरण लिखेगा जैसे–वाहन संख्या, ड्राइवर का नाम, मालिक का नाम और गेट मैन स्टेशन मास्टर–**बहेड़ी** अथवा रेल पथ निरीक्षक को किसी संदेशवाहक या अन्य उपलब्ध संसाधनों के द्वारा सूचित करेगा।

2. **समपार फाटक के संचालन हेतु विशेष अनुदेश** –

2.1 **संचालन पद्धति** –

इन निर्देशों को आर0डी0 सं0 उपमुसिदूई/नि/इज्जत/2012 (आर0डी0) 6 दिनॉक 17.3.2012 संशोधन ''ए'' दिनांक 18.9.2012 के साथ पढ़ा जाय।

समपार फाटक को सड़क यातायात के विरूद बंद करने के लिए कार्यरत गेटमैन विंच को तब तक संचालित करेगा जब तक कि बैरियर नीचे आकर समतल स्थिति में बूम पोस्ट पर स्थिर न हो जायें। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर के बीच में कोई सड़क वाहन न फॅस जाए। विंच को इस स्थिति में लाक करने के लिए 'ई' प्रकार के लाक से चाभी **पी 1** को घुमाकर निकाल लेगा तथा इस **पी 1** चाबी को लीवर लाक मे लगे 'ई' प्रकार के लाक में लगाकर घुमाएगा जो लीवर लाक को मुक्त करेगा। बूम लाक लीवर को विपरीत दिशा में खींचने पर बूमो ंको फाटक बन्द स्थिति में लाक कर देगा। यह सुनिश्चित करने के बाद कि बूम लाक हो गये हैं, बूम लाक लीवर से चाबी **'पी'** को निकाल लेगा । इस **पी** चाबी को गेट लाज में लगे लीवर लाक में लगाकर घुमा देगा जिससे गेट पैनल पर प्रदत्त सिगनल कन्ट्रोल स्विच मुक्त हो जायेगें। तत्पश्चात जैसी आवश्यकता हो, स्विच संख्या **1 एव ं2** को **आर** अथवा **एल** की ओर घुमाकर अप या डाउन सिगनल को आफ करेगा। अप ध्डाउन गेट डिस्टेन्ट सिगनल गेट के अप/डाउन गेट सिगनलों के आस्पैक्ट से नियन्त्रित है। गेट पैनल पर दिये गये स्विच को निम्नप्रकार प्रचालित किया जायेगा :–

स्विच संख्या		स्विच का संचालन
2	अप गाड़ियों का आगमन	आर दशा में
1	डाउन गाड़ियों का आगमन	आर दशा में

तत्पश्चात गेटमैन दिन में बॉये हाथ में सिमटी हुई हत्थेदार हरी झण्डी एवं दाहिने हाथ में लाल झण्डी तथा रात में सफेद प्रकाश वाला हैण्ड सिगनल लैम्प ट्रैक की तरफ दिखाता हुआ गेट लाज के पास खड़ा होकर गाड़ी के समपार फाटक से सुरक्षित गुजरने का प्रेक्षण करेगा।

गाड़ी के पूरी तरह गुजर जाने के बाद गेटमैन समपार फाटक को सड़क यातायात के लिए खोलने के लिए सिगनल स्विच को नार्मल करेगा तथा लीवर लाक से चाबी **पी** को निकालकर बूम लीवर लाक में लगाकर घुमाएगा तथा लीवर को नार्मल करेगा एवं लीवर से चाबी **पी 1** को निकालकर विन्च में लगे 'ई' प्रकार के लॉक में लगाकर घुमाएगा तथा विन्च को उल्टी दिशा में संचालित करेगा जब तक कि लिफ्टिंग बैरियर ठीक ऊपर लम्बवत उठ न जाय। इसके बाद जनरेटर को बन्द कर देगा।

गाड़ी के सम्भावित आगमन और प्रस्थान से पहले 10 मिनट से अधिक समय तक फाटक को बन्द नही रखना चाहिए। किसी भी मामले में समपार फाटक लगातार 12 मिनट से अधिक समय तक बन्द नही रखना चाहिए।

(अतुल सिंह)	(के0एस0सोनाल)	(बालक राम)	(नानक चन्द)
मसिदूई/इज्जतनगर	मपरिप्र/इज्जतनगर	मसिदूई/निर्माण/लखनऊ	मण्डल इंजी0/इज्जतनगर

1.2.2 **गेट मैन को सूचित करना गेट मैन को सूचित करना** :–

1. कार्यरत स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी,** गाड़ी के संचालन की सूचना समय से गेटमैन को टेलीफोन द्वारा गाड़ी की संख्या, विवरण, दिशा तथा समपार से पास करने का सम्भावित समय की सूचना देगा।

स्टेशन मास्टर/गेटमैन इन सूचनाओं की प्रविष्टि अपनी लॉग–बुक में निम्न प्रकार करेगा –

स्टेशन मास्टर की लॉग बुक :-

तिथि	गाड़ी सं0	गेटमैन को सूचित करने का समय	समपार से गाड़ी गुजरने का सम्भावित समय	स्टेशन मास्टर का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5

गेटमैन की लाग बुक

तिथि	गाड़ी सं0	समपार से गाड़ी गुजरने का सम्भावित समय	गेट बन्द करने का समय	समपार से गाड़ी गुजरने का वास्तविक समय / समपार खोलने का समय	गेटमैन का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6

3. गेटमैन का यह दायित्व है कि वह समय से समपार फाटक बन्द करे जिससे गाड़ियों का विलम्बन न हो।

2.3 **टेलीफोन संचार की विफलता** :–

जब टेलीफोन संचार विफल हो जाय अथवा दो या तीन प्रयास के बाद भी गेटमैन के तरफ से कोई प्रत्युत्तर न प्राप्त हो तो –

1 कार्यरत स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।

2. यदि गेट सिगनल आन हैं तो ड्राइवर गेट सिगनल के पहले गाड़ी रोककर सामान्य नियम 3.73 के अनुसार कार्यवाही करेगा।

3 जब गाड़ी **देवरनिया** की तरफ से आने वाली है तथ कार्यरत स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी** कार्यरत स्टेशन मास्टर/**देवरनिया** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि टेलीफोन रवराब है।

4 तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/**देवरनिया** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेटमैन के हाथ संकेत का पालन करते हुए गेट की तरफ आगे बढ़े।

(अतुल सिंह)	(के0एस0सोनाल)	(बालक राम)	(नानक चन्द)
मसिदूई/इज्जतनगर	मपरिप्र/इज्जतनगर	मसिदूई/निर्माण/लखनऊ	मण्डल इंजी0/इज्जतनगर

5. लोको पायलट को गेटमैन द्वारा हाथ संकेत देने पर समपार फाटक को सतर्कता पूर्वक पार करने का निर्देश दिया जायेगा। यदि हाथ सिगनल संकेत नही दिखायी देता हैं तो लोको पायलट को समपार गेट के पहले रूककर अपने सहायक लोको पायलट को समपार फाटक की स्थिति जानने के लिये भेजेगा। यदि समपार फाटक बन्द हैं तो सहायक लोको पायलट 'सभी ठीक है' सिगनल देगा और यदि समपार फाटक बन्द नही हैं तो सहायक लोको पायलट समपार फाटक को अवश्य बन्द करेगा और तब 'सभी ठीक है' संकेत देगा। सहायक लोको पायलट की अनुपस्थिति में लोको पायलट सहायक गार्ड की सहायता लेगा।

6 कार्यरत स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी** गेटमैन को भी गैंग मैन/पेट्रोल मैन/प्रथम गाड़ी के लोको पायलट द्वारा टेलीफोन खराब होने की सूचना देगा।

7 कार्यरत स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी** सिगनल एवं दूरसंचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीध्र टेलीफोन ठीक करने के लिए सूचना देगा।

8 सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब सिगनल एवं दूरसंचार विभाग टेलीफोन ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

2.4 **<u>लिफ्टिंग बैरियर या बूम लॉकिंग की विफलता</u>** –

1. जब लिफ्टिंग बैरियर गेट खराब हो जाने के कारण गेट बन्द न किया जा सके तो गेटमैन तुरन्त प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करके कार्य पर उपस्थित स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी** को सूचित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर रेल पथ को बाधित नही कर रहा हैं।

2. बूम लॉकिंग विफल होने पर इस सम्बन्ध में प्रदत्त छोटी चेन को प्रत्येक बूम पर बूम पोस्ट से बांध कर बूम को लॉक करेगा।

3. गेटमैन तुरन्त दिन में लाल बैनर फलैग एवं रात्रि में लाल बत्ती समपार पर निर्दिष्ट स्थान (पोस्ट) पर सर्वप्रथम उस तरफ लगायेगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना हो तदोपरान्त समपार के दूसरी तरफ लगायेगा।

4. सड़क यातायात को सुरक्षित करने के उपरान्त गेटमैन दिन के समय हत्थेदार हरी झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती आती हुयी गाड़ी के लोको पायलट को दिखायेगा।

5. कार्यरत स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए गेटमैन के हाथ सिगनल का पालन करते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।

6. जब गाड़ी **देवरनिया** के तरफ से आनी वाली हो तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी** कार्यरत स्टेशन मास्टर/**देवरनिया** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर खराब है तथा गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करे तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/**देवरनिया** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए गेटमैन के हाथ सिगनल का पालन करते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।

7. यदि गेट सिगनल आन हैं तो लोको पायलट गेट सिगनल के पहले गाड़ी रोककर सामान्य नियम 3.73 के अनुसार कार्यवाही करेगा।

8. कार्यरत स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी** सिगनल एवं दूर संचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीध्र लिफ्टिंग बैरियर ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।

9. सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब सिगनल एंव दूर संचार विभाग बैरियर को ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

(अतुल सिंह)	(के0एस0सोनाल)	(बालक राम)	(नानक चन्द)
मसिदूई/इज्जतनगर	मपरिप्र/इज्जतनगर	मसिदूई/निर्माण/लखनऊ	मण्डल इंजी0/इज्जतनगर

2.5 **गेट की चाबी गेट के बन्द स्थिति में विफल हो जाना जब चाबी गेट खोलने के लिये बाहर न निकाली जा सके** –

1. जब गेट चाबी विंच से या बूम लाक लीवर से बाहर नहीं निकाली जा सके तब गेटमैन तुरन्त कार्यरत स्टेशन मास्टर–**बहेड़ी** को प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करके टेलीफोन पर सूचित करेगा।
2 इस स्थिति में गेट को नान–इन्टरलाक समझा जायेगा और उसी के अनुसार कार्यवाही करना चाहिए।
3. कार्यरत स्टेशन मास्टर–**बहेड़ी** द्वारा गेट के तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ियों के लिये सतर्कता आदेश जारी करना चाहिए।
4. कार्यरत स्टेशन मास्टर–**बहेड़ी** स्टेशन मास्टर –**देवरनिया** को प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर गेट रवराब है। तब कार्यरत स्टेशन मास्टर–**देवरनिया** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी को सतर्कता आदेश जारी करे कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
5. कार्यरत स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी** सिगनल एवं दूर संचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीध्र लिफ्टिंग बैरियर ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।
6. सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब सिगनल एवं दूर संचार विभाग बैरियर को ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

2.6 **गेट की चाबी गेट के खुली स्थिति में विफल हो जाना** :–

1. जब गेट चाबी विंच से या बूम लाक लीवर से बाहर निकाली जा सके तब गेटमैन तुरन्त कार्यरत स्टेशन मास्टर–**बहेड़ी** को प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करके टेलीफोन पर सूचित करेगा।
2 इस स्थिति में गेट को नान–इन्टरलाक समझा जायेगा और उसी के अनुसार कार्यवाही करना चाहिए।
3. कार्यरत स्टेशन मास्टर–**बहेड़ी** द्वारा गेट के तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ियों के लिये सतर्कता आदेश जारी करना चाहिए।
4. कार्यरत स्टेशन मास्टर–**बहेड़ी** स्टेशन मास्टर –**देवरनिया** को प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर गेट रवराब है। तब कार्यरत स्टेशन मास्टर–**देवरनिया** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी को सतर्कता आदेश जारी करे कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
5 गेटमैन चेन एवं तालों द्वारा गेट को बन्द कर देगा तथा गाड़ियों को हाथ संकेत द्वारा पास करेगा।
6. कार्यरत स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी** सिगनल एवं दूर संचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीध्र लिफ्टिंग बैरियर ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।
7. सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब सिगनल एवं दूर संचार विभाग बैरियर को ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

(अतुल सिंह)	(के0एस0सोनाल)	(बालक राम)	(नानक चन्द)
मसिदूई/इज्जतनगर	मपरिप्र/इज्जतनगर	मसिदूई/निर्माण/लखनऊ	मण्डल इंजी0/इज्जतनगर

2.7 **गेट सिगनल की विफलता :–**

1 गेटमैन निम्नलिखित परिस्थितियों में गेट सिगनल को खराब मानेगा और गेट सिगनल को आफ नहीं करेगा :–

(अ) यदि गेट सिगनल बिना गेट बन्द किये हुए आफ किया जा सके।

(ब) यदि चाबी गेट की खुली स्थिति में विंच से निकाली जा सके।

2. यदि गेट या गेट सिगनल 'आफ' की स्थिति में खराब हो जाये तो गेटमैन गेट सिगनल को 'आन' की स्थिति में लाने का प्रयास करेगा।

3. गेट मैन तुरन्त कार्यरत स्टेशन मास्टर–**बहेड़ी** को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुए सूचित करेगा।

4. उसके बाद गेट को नान–इन्टरलाक समझा जायेगा और उसी के अनुसार गाड़ियों का आगमन अथवा प्रस्थान किया जायेगा।

5. गेटमैन गेट को चेन एवं ताले से बन्द करने के बाद दिन में हत्थेदार हरी झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती गुजरती हुई गाड़ियों को दिखायेगा।

6. कार्यरत स्टेशन मास्टर–**बहेड़ी** द्वारा गेट के तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ियों के लिये सतर्कता आदेश जारी करना चाहिए।

7. कार्यरत स्टेशन मास्टर–**बहेड़ी** स्टेशन मास्टर –**देवरनिया** को प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर गेट रवराब है। तब कार्यरत स्टेशन मास्टर–**देवरनिया** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी को सतर्कता आदेश जारी करे कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।

8. कार्यरत स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी** सिगनल एवं दूर संचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीध्र लिफ्टिंग बैरियर ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।

9. सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब सिगनल एवं दूर संचार विभाग बैरियर को ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

2.8 **समपार फाटक पर अवरोध** –

1. यदि काई सड़क वाहन समपार फाटक को तोड़कर रेल पथ को बाधित कर रहा है या लिफ्टिंग बैरियर या गेट का कोई अन्य भाग रेल पथ को बाधित कर रहा है या यदि अन्य कोई बाधा गेट पर है तो गेटमैन तत्काल ही गेट सिगनल को 'आन' की स्थिति में कर देगा।

2 गेटमैन दिन में लाल बैनर फ्लैग एवं रात्रि में लाल बत्ती समपार के दोनो तरफ इस उद्देश्य के लिये लगाये गये पोस्टों लगायेगा।

3. इसके तुरन्त बाद ही गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए अवरोध के बारे में सूचित करेगा।

4. यदि दो या तीन प्रयासो के बाद भी कार्यरत स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी** से कोई प्रत्युतर नही प्राप्त होता हैं तो गेटमैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के उपरान्त पुनः टेलीफोन द्वारा सूचित करेगा।

5. गेटमैन पटाखा तथा दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल ट्राय कलर फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प लेकर तेजी से उस तरफ आगे बढ़ेगा जिस तरफ से गाड़ी का आगमन संभावित हैं, तथा रेल पथ को 'गेट मैनो' की कार्य प्रणाली सामान्य निर्देश के मद संरव्या 1.5 के अनुसार संरक्षित करेंगा।

(अतुल सिंह)	(के0एस0सोनाल)	(बालक राम)	(नानक चन्द)
मसिदूई/इज्जतनगर	मपरिप्र/इज्जतनगर	मसिदूई/निर्माण/लखनऊ	मण्डल इंजी0/इज्जतनगर

6. तदोपरान्त गेटमैन गेट को दूसरी तरफ संरक्षित करेगा।

7. गेटमैन सड़क वाहन के विवरणों चालक का नाम सड़क वाहन के मालिक का नाम लिरवकर स्टेशन मास्टर/किच्छा को सूचित करेगा तथा स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी** तब तक गाड़ी को नही चलायेगा जब तक गेटमैन सुनिश्चित नहीं कर देता है कि सड़क यातायात या लिफ्टिंग बैरियर रेल पथ को बाधित नही कर रहे है।

8. कार्यरत स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी** कार्यरत स्टेशन मास्टर/**देवरनिया** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि वह अपने तरफ से कोई गाड़ी ब्लाक खण्ड में न भेजे जब तक रेल पथ से बाधा हटा न दिया जाय।

9. रेल पथ से बाधा हटा दिये जाने के बाद गेटमैन प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए कार्यरत स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी** को सूचित

10. तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी** सभी गाड़ियों के लोको पायलट को सर्तकता पूर्वक जाने एवं गेटमैन द्वारा हाथ सिगनल (हरा संकेत) देने पर सावधानी पूर्वक पार करने हेतु सर्तकता आदेश जारी करेगा। यदि गेट टूटा हो परन्तु गेट पर कोई व्यवधान न हो।

11. गेटमैन समपार फाटक को संरक्षा चेन एवं तालों द्वारा सड़क यातायात के लिसे संरक्षित करेगा तथा उसके बाद यदि समपार फाटक पर कोई व्यवधान नहीं है तो गेटमैन दिन के समय हत्थेदार हरी झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती गुजरती हुयी गाडियो को दिरवायेगा।

12. कार्यरत स्टेशन मास्टर–**बहेड़ी** जिम्मेदार सिगनल एवं दूर संचार स्टाफ को गेट के शीध्र मरम्मत के लिए लिखित सूचना देगा।

13. सामान्य स्थिति केवल सिगनल एवं दूर संचार स्टाफ के मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो देने के बाद ही होगी।

2.9 **समपार फाटक के समीप रेल पथ पर अवरोध –**

यदि किसी रेल का टूटना, रेल पथ पर पेड़ गिरने से कोई अवरोध, सड़क वाहन द्वारा बाधा अथवा कोई अवपथन जो गेटमैन को दिरवाई देता हो तो गेट मैन तथा कार्यरत स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी** मद संख्या 2.5 में वर्णित निर्देश के अनुसार कार्यवाही करेगें यदि कोई अवरोध समपार फाटक को बाधित करता हैं तो गेटमैन सड़क यातायात के लिये सड़क को उस समय तक बन्द ररवेगा जब तक रेल पथ से बाधा हटा नही दिया जाय।

(अतुल सिंह)	(के0एस0सोनाल)	(बालक राम)	(नानक चन्द)
मसिदूई/इज्जतनगर	मपरिप्र/इज्जतनगर	मसिदूई/निर्माण/लखनऊ	मण्डल इंजी0/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची संख्या 1 दिनांक   है। 1   गेट संख्या 23/C

स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/50   बहेड़ी

जारी तिथि   लागू तिथि

परिशिष्ट – ''क–I''

बहेड़ी –देवरनिया स्टेशनों के मध्य स्थित इंजी0 समपार फाटक संख्या 23 श्रेणी ''सी'' के संचालन हेतु अनुदेश –

1. **विवरण**

1.1 सामान्य –

1	समपार फाटक की संरव्या	23/ सी
2	इन्जीनियरिंग / ट्राफिक	इंजीनियरिंग
	अधीन स्टेशन अधी0/रेल पथ निरीक्षक	से0ई0(रेल पथ)/भोजीपुरा
4	किलोमीटर पर स्थित	27/0-1
5	स्टेशन	बहेड़ी
6	स्टेशन मध्य	बहेड़ी – देवरनिया
7	बी0जी0/एम0जी0/एन0जी0	बी0जी0
8	इकहरी / दोहरी / मिश्रित	इकहरी लाइन
9	सामान्य स्थिति	सड़क यातायात के लिए खुला
10	इण्टरलाक्ड/नान इण्टरलाक्ड	नान–इण्टरलाक्ड
11	इण्टरलाकिंग का प्रकार	..
12	गेट सिगनलों का प्रावधान किलोमीटर	
(i)	अप साइड	--
(ii)	डाउन साइड	----
13	संकेतन व्यवस्था	....
14	संचार साधन टेलीफोन / घन्टी	टेलीफोन स्टेशन मास्टर/बहेड़ी से
15	समपार फाटक की चौड़ाई	8.00 मीटर
16	सड़क का प्रकार (एन0एच0/एस0एच0/अन्य)	अन्य
17	सड़क का नाम	जोखनपुर विलेज रोड
18	पक्का / कच्चा	पक्का
19	पहुॅच मार्ग	नैनीताल रोड
20	सड़क की चौड़ाई	6.00 मीटर
21	सड़क का क्रासिंग कोण (इस्क्यू गेट के लिए)	.
(i)	पूर्व / उत्तर की तरफ	70 डिग्री
(ii)	पश्चिम / दक्षिण की तरफ	70 डिग्री
22	सड़क का ढ़ाल यदि कोई हो	
(i)	पूर्व / उत्तर की तरफ	समतल
(ii)	पश्चिम / दक्षिण की तरफ	समतल
23	सड़क का प्रकार (सीधा/गोलाई)	
(i)	पूर्व / उत्तर की तरफ	सीधा
(ii)	पश्चिम / दक्षिण की तरफ	सीधा
24	हाइट गेज का प्राविधान	.
25	बैरियर का प्रकार	लिफ्टिंग बैरियर
26	चेक रेल की लम्बाई	10.00 मीटर
27	समपार के मध्य सड़क का सतह	समतल
28	रम्बल स्ट्रिप / गति अवरोधक की लम्बाई	.. .

(अतुल सिंह) मसिदूई/इज्जतनगर   (के0एस0सोनाल) मपरिप्र/इज्जतनगर   (बालक राम) मसिदूई/निर्माण/लखनऊ   (नानक चन्द) मण्डल इंजी0/इज्जतनगर

29	रोड साइन	उपलब्ध
30	गति अवरोधक बोर्ड	उपलब्ध
31	टी0वी0यू0	13598 अक्टूबर 2010
32	अगली गणना की तिथि	2013
33	पटाखा सिगनल लगाने का निर्दिष्ट स्थान	है
34	गेटमैनो की संरव्या	दो
35	निकटतम रेलवे सहायता केन्द्र	इज्जतनगर
36	निकटतम निजी चिकित्सा सहायता की उपलब्धता यदि कोई हो	बहेड़ी
37	उपलब्ध उपकरणों की सूची हॉ / नही	हॉ

1.2 उपकरण –

कम.सं.	समग्री	संख्या
1	हाथ सिगनल बत्ती K. Oil	02
2	हरी हाथ झंडी	01
3	लाल हाथ झंडी	03
4	बैनर फ्लैग लाल	03
5	लाल बैनर फ्लैग लगाने हेतु पोस्ट	02
6	तालों के साथ अतिरिक्त चेन (जंजीर)	02 (स्टाप डिस्क के साथ)
7	पटाखा सिगनल	10
8	ट्राय कलर फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प	01
9	गेट लैम्प	02
10	टोमीवार	01
11	मोर्टार पैन (तसला)	01
12	फावड़ा / बेलचा	01
13	छुर्मुठ	01
14	पिक एक्स	01
15	टिन केस झंडी के लिए	01
16	कैन मिटटी के तेल हेतु	01
17	बाल्टी/पानी पीने का बर्तन	01
18	टिन केस मस्टर शीट के लिए	01
19	चश्मों का अतिरिक्त सेट जो चश्मा लगाते है (दृष्टि वाला)	01
20	गेट पर अवरोध की दशा में समपार की संरक्षा हेतु प्रदर्शित डायग्राम	01
21	टोकरी	01
22	सीटी (Thunder Whistle)	01
23	दीवार घड़ी	01
24	छोटी चेन व ताले (बूम लॉकिंग हेतु)	02

(अतुल सिंह) मसिदूई/इज्जतनगर
(के0एस0सोनाल) मपरिप्र/इज्जतनगर
(बालक राम) मसिदूई/निर्माण/लखनऊ
(नानक चन्द) मण्डल इंजी0/इज्जतनगर

1.3. **गेट लाज पर रखे जाने वाले अभिलेख –**

(1) गेट का कार्यकारी अनुदेश हिन्दी में ।

(2) गेटमैन नियम पुस्तिका स्थानीय भाषा में ।

(3) पुस्तकों एवं उपकरणों की सूची

(4) डियूटी रोस्टर ।

(5) गेटमैन का कार्य करने का प्रमाण पत्र ।

(6) गेटमैन का वायोडाटा, नेत्र जांच, प्रारंभिक पुनश्चर्या, संरक्षा कैम्प इत्यादि ।

(7) दुर्घटना रजिस्टर ।

(8) समपार फाटक पर अंतिम गणना का अभिलेख ।

(9) निरीक्षण पुस्तिका ।

(10) जन प्रतिवेदन पुस्तिका ।

1.4 **गेटमैन के कर्तव्य :**

(1) **सावधानी**
गेट मैन सदैव किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिये की जाने वाली त्वरित कार्यवाही के प्रति सावधान रहेगा। समपार फाटक की चाभी गेटमैन के व्यक्तिगत कब्जे में रहेगी।

(2) **ट्रेन के समपार फाटक से गुजरते समय फाटक वाले की स्थिति**
ट्रेन के गुजरने की स्थिति में गेट मैन बतायी गयी निम्नलिखित स्थिति में खड़ा रहेगा।

(i) गेट मैन सतर्कता पूर्वक गेटलाज के सामने आती हुयी ट्रेन के तरफ मॅुह करके खड़ा रहेगा।

(ii) दिन में गेट मैन दॉये हाथ में लाल झण्डी तथा बायें हाथ में हरी झण्डी डण्डे में लगी हुई मोड़कर लिये रहेगा।

(iii) रात्रि समय में गेट मैन जलती हुयी सफेद हाथ बत्ती लाइन के तरफ दिखाता हुआ खड़ा रहेगा।

(iv) गेट मैन गले में धागे में बांधकर सीटी लटकाये रहेगा।

(3) **गेट मैन की नियमित ड्यूटी**

(i) गेट मैन जब समपार फाटक सड़क यातायात के लिये खुला हुआ हो तो रेल पथ पर समपार के दोनों तरफ दिन में लाल बैनर फ्लैग एवं रात्रि में लाल बत्ती निर्धारित स्थान पर लगायेगा।

(ii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि गेट लैम्प को सूर्यास्त से सूर्योदय तक लगातार जलते हुए स्थिति में रखेगा।

(iii) गेट मैन अपनी ड्यूटी निश्चित रूप से ड्यूटी रोस्टर के अनुसार करेगा और जब तक कार्यमुक्त करने हेतु साथी आ न जाये और वह गेट का कार्यभार ग्रहण न कर ले, तब तक गेट मैन गेट छोड़कर नहीं जायेगा। गेट मैन को यदि आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक से हटना अपरिहार्य हो तो वह गेट छोड़ने से पूर्व गेट को सड़क यातायात के लिए बंद करके ताला लगायेगा।

(iv) इन निर्देशों के अतिरिक्त गेट मैन गुजरती हुयी ट्रेन को देखता रहेगा और ट्रेन की संरक्षा हेतु कार्य करने के लिए तत्पर रहेगा।

(v) गेट मैन गुजरती हुयी सभी ट्रेनों पर पैनी नजर रखेगा जिससे किसी अप्रत्याशित घटना जैसे–हॉट एक्सल (गर्म धुरा), लटकती हुई चैन, लटकती हुई बैट्री, किसी वाहन/वैगन/ट्रेन/बैट्री बाक्स में आग लगी हो, ब्रेक ब्लाक, ब्रेक बीम, सेफ्टी ब्रेकेट, वैक्यूम सिलेन्डर आदि का लटकना, गिरना जिसके कारण ट्रेन की संरक्षा बाधित हो का पता लगाकर आवश्यक कार्यवाही करेगा।

(vi) गेट मैन गार्ड द्वारा लोको पायलट को वाकी–टाकी अथवा किसी अन्य माध्यम से दिये गये संकेतों को दोहराने के लिए तैयार रहेगा।

(vii) समपार फाटक का बैरियर गेट क्षतिग्रस्त अथवा खराब होने की दशा में गेट मैन अतिरिक्त चैन डिस्क एवं तालों का प्रयोग कर सड़क यातायात बंद करेगा।

(viii) गेट मैन अपने गेट की किसी भी खराबी के लिए यथाशीघ्र **स्टेशन मास्टर/बहेड़ी** गैंग मेट अथवा रेल पथ निरीक्षक को सूचित करेगा।

(ix) जब गेट मैन अपने कार्य पर रहेगा तो वह निर्धारित वर्दी एवं बैज धारण करेगा।

(x) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि ड्यिूटी के समय उसके पास दक्षता प्रमाण पत्र उपलब्ध है।

(xi) गेटमैन, गेट संचालन नियमों के अनुरूप कार्य करेगा तथा नियमों के बारे में पूर्णरूपेण जानकारी रखेगा।

(xii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि उसके गेट पर आपूर्ति किये गये सभी उपकरण अच्छी स्थिति में है एवं तत्काल प्रयोग हेतु तैयार है।

(xiii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि समपार पर चैक रेल गैप साफ है।

(xiv) गेट मैन समपार फाटक की सड़क को (कच्ची सड़क) पानी छिड़ककर एवं दुरमुट से ठोककर ठीक रखेगा।

(xv) गेट मैन सड़क प्रयोगकर्ताओं की, गेट को बंद रखने की स्थिति से उत्पन्न असुविधाओं के प्रति सतर्क रहेगा तथा ध्यान देगा कि समपार फाटक कम से कम समय के लिए बन्द हो।

(xvi) जहां तक संभव हो गेट मैन मनुष्यों, वाहनों अथवा जानवरों के अवैध आवागमन पर रोक लगायेगा।

(4) **ट्रेन की असामान्य स्थिति में किया जाने वाला कार्य**

यदि गेटमैन किसी पास हो रही गाड़ी में कोई असामान्य बात देखता है तो वह निम्न कार्य करेगा

(i) वह तत्काल ही लोको पायलट/गार्ड को दिन में लाल झण्डी तथा रात में लाल बत्ती दिखाकर सचेत करेगा ।

(ii) साथ ही साथ लोको पायलट /गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिए लगातार सीटी बजायेगा, चिल्लायेगा, असामान्य हाव–भाव प्रदर्शित करेगा तथा ब्रेकवान पर पत्थर फेकेगा अथवा कोई अन्य साधन अपनायेगा।

(iii) यदि लोको पायलट/गार्ड उपरोक्त कार्यों के उपरांत भी ध्यान नहीं देते हैं तो वह **स्टेशन मास्टर/बहेड़ी** को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुए तो तद्नुसार कार्यवाही करने हेतु सूचित करेगा।

(अतुल सिंह)	(के0एस0सोनाल)	(बालक राम)	(नानक चन्द)
मसिदूई/इज्जतनगर	मपरिप्र/इज्जतनगर	मसिदूई/निर्माण/लखनऊ	मण्डल इंजी0/इज्जतनगर

(iv) किसी ट्रेन के विभक्त (पार्टिंग) हो जाने की दशा में गेट मैन रोक हैण्ड सिगनल (लाल) नहीं दिखायेगा बल्कि वह दिन में हरी झन्डी तथा रात में सफेद बत्ती ऊपर–नीचे करके निर्धारित संकेत करेगा।

(v) वह लोको पायलट/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास लगातार सीटी बजाकर, चिल्लाकर, असामान्य हाव–भाव प्रदर्शित करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाकर तुरन्त दोनों हाथों को अलग करके पुनः दोनों हाथों को सटाते हुए पुनः हाथों को बिल्कुल नीचे करते हुए करेगा।

(vi) ऐसा करने से यदि ट्रेन नहीं रूकती है तो गेटमैन तुरन्त टेलीफोन पर **स्टेशन मास्टर/बहेड़ी** को उचित कार्यवाही करने हेतु गोपनीय संख्या के आदान–प्रदान के अन्तर्गत इसकी सूचना देगा।

(i) समपार फाटक पर कोई अवरोध आ जाने पर वह लाइन पर दोनों तरफ दिन में लाल बैनर फ्लैग एवं रात्रि में लाल बत्ती निर्धारित स्थान पर लगायेगा।

(ii) इसके उपरान्त यदि गेट मैन अवरोध हटाने में सक्षम नहीं है तो वह **स्टेशन मास्टर/बहेड़ी** को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुए गेट की खराबी/अवरोध के बारे में तत्काल सूचित करेगा।

(iii) यदि दो या तीन प्रयासों के बाद भी **स्टेशन मास्टर/बहेड़ी** कोई प्रत्युत्तर नहीं देते है तो गेट मैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के बाद पुनः टेलीफोन से सूचित करेगा।

1.5 **<u>गेट मैन गेट की संरक्षा (बचाव) निम्नलिखित अनुसार करेगा</u>**

(अ) **<u>इकहरी लाइन पर</u>**

(i) गेट मैन दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती 5 मीटर दूर निर्धारित पोस्ट पर सर्वप्रथम उस तरफ लगा देगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना है।

(ii) इसके पश्चात उसी तरह दिन में दूसरा लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती लाइन की दूसरी ओर अवरोध से 5 मीटर की दूरी पर लगायेगा।

(iii) गेट मैन तब पटाखे, और दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल ट्राय कलर फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प लेकर गेट को संरक्षित करने के लिये आगे बढ़ेगा।

(iv) गेट मैन दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल ट्राई कलर फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प दिखाते हुये पहले लाइन पर उस दिशा में बढ़ेगा जिधर से ट्रेन के आने की सम्भावना है तब समपार/अवरोध से 600 मीटर पर एक पटाखा लगा देगा उसके पश्चात वह समपार/अवरोध से 1200 मीटर की दूरी पर तीन पटाखे 10–10 मीटर की दूरी पर लगायेगा। इस प्रकार लाइन को संरक्षित करने के उपरान्त वह समपार पर लौटते हुये पूर्व में 600 मीटर पर लगाये गये पटाखा उठा लेगा।

(v) इसके बाद वह लाल झण्डी दिखाते हुये उसी प्रकार जेसा क्रमांक (iv) में वर्णित है लाइन की दूसरी तरफ पटाखा लगायेगा तथा समपार की तरफ लौटते हुये बीच का पटाखा उठा लेगा।

(vi) समपार गेट पर लौटने के पश्चात गेट मैन अवरोध को हटाने तथा आने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सचेत करने का प्रयास करेगा।

(vii) उन परिस्थितियों में जब गेट मैन रास्ते में ही है और निर्दिष्ट स्थानों पर जहॉ पटाखे लगाये जाते हैं, पहॅुचने के पूर्व ही वह ट्रेन को आते देखता है अथवा ट्रेन की आवाज सुनाई पड़ती है तो वह जहॉ तक पहॅुच सकता है उसी स्थान पर पटाखा लगा देगा।

(viii) उसके उपरान्त गेट मैन आने वाली ट्रेन के लोको को दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल ट्राय कलर फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प दिखाकर सचेत करेगा / रोकेगा।

(अतुल सिंह)	(के0एस0सोनाल)	(बालक राम)	(नानक चन्द)
मसिदूई/इज्जतनगर	मपरिप्र/इज्जतनगर	मसिदूई/निर्माण/लखनऊ	मण्डल इंजी0/इज्जतनगर

(ब) **गेट मैन द्वारा किये जाने वाली अन्य कार्यवाही**

(i) यदि समपार गेट किसी वाहन द्वारा तोड़ दिया जाता है और वाहन ट्रैक को बाधित कर रहा है, या बैरियर गेट का अन्य कोई भाग ट्रैक को बाधित कर रहा है या गेट पर अन्य कोई अवरोध है तो गेट मैन तुरन्त कार्यवाही करेगा।

(ii) गेट मैन सड़क वाहन का विवरण लिखेगा जैसे–वाहन संख्या, ड्राइवर का नाम, मालिक का नाम और गेट मैन **स्टेशन मास्टर– बहेड़ी** अथवा रेल पथ निरीक्षक को किसी संदेशवाहक या अन्य उपलब्ध संसाधनों के द्वारा सूचित करेगा।

2. **समपार फाटक के संचालन हेतु विशेष अनुदेश –**

2.1 **संचालन पद्धति –**

समपार फाटक को सड़क यातायात के विरूध्द बन्द करने के लिये कार्यरत गेटमैन विंच को तब तक संचालित करेगा जब तक कि बैरियर नीचे आकर समतल स्थिति में बूम पोस्ट पर स्थिर न हो जाय। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर के बीच में कोई सड़क वाहन न फॅस जाए। विंच को इस स्थिति में लाक करने के लिए बूम लाकिंग लीवर को रिवर्स करेगा जिससे बूम क्षैतिजीय स्थिति में लाक हो जायेगा। इसके बाद गेटमैन दिन में बॉये हाथ में सिमटी हुई हत्थेदार हरी झण्डी एवं दाहिने हाथ में लाल झण्डी तथा रात में सफेद प्रकाश वाला हैण्ड सिगनल लैम्प ट्रैक की तरफ दिखाता हुआ गेट लाज के पास खड़ा होकर गाड़ी के समपार फाटक से सुरक्षित गुजरने का प्रेक्षण करेगा।

गाड़ी के पूरी तरह गुजर जाने के बाद गेटमैन समपार फाटक को सड़क यातायात के लिए खोलने के लिए पहले बूम लाकिंग लीवर को सामान्य स्थिति में करेगा फिर उससे चाबी निकालकर विंच में लगाकर विंच को उल्टी दिशा में तब तक संचालित करेगा जब तक कि बैरियर ठीक लम्बवत ऊपर खड़ा न हो जाये।

गाड़ी के सम्भावित आगमन से पहले 10 मिनट से अधिक समय तक फाटक बन्द नहीं रखना चाहिए। किसी भी मामले में फाटक लगातार 12 मिनट से अधिक समय तक बन्द नहीं रखना चाहिए।

1.2.2 **प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करना :–**

1. **गाड़ियों का प्रस्थान :–**

(i) कार्यरत **स्टेशन मास्टर–बहेड़ी** गेटमैन को गाड़ी का नम्बर, विवरण, दिशा एवं गेट से गाड़ी पास होने का सम्भावित समय गोपनीय संख्या के आदान–प्रदान के अन्तर्गत बतायेगा।

(ii) यह सूचना प्रस्थान सिगनल आफ करने से पहले / प्रस्थान प्राधिकार देने से पूर्व दी जायेगी।

(iii) गेटमैन यह सूचना प्राप्त करने के बाद गेट को समय से बन्द एवं पाशित करेगा और इसकी पुष्टि **स्टेशन मास्टर–बहेड़ी** को गोपनीय संख्या के आदान–प्रदान के के साथ करेगा।

(iv) **स्टेशन मास्टर –बहेड़ी** गेटमैन से इस गोपनीय संख्या के प्राप्ति के बाद ही प्रस्थान सिगनल आफ करेगा/ प्रस्थान प्राधिकार गाड़ी के लोको पायलट को देगा।

(v) इस प्रकार एक बार किसी गाड़ी के लिये बन्द किया गया गेट तब तक नहीं खोला जायेगा जब तक वह गाड़ी समपार से सुरक्षित पास न हो जाय तथा गेट मैन TL/LV देखकर यह सुनिश्चित न कर ले कि गाड़ी पूरी पास हो गयी है।

(अतुल सिंह)	(के0एस0सोनाल)	(बालक राम)	(नानक चन्द)
मसिदूई/इज्जतनगर	मपरिप्र/इज्जतनगर	मसिदूई/निर्माण/लखनऊ	मण्डल इंजी0/इज्जतनगर

2. **गाड़ियों का आगमन** :–

(i) स्टेशन मास्टर–**बहेड़ी** किसी गाड़ी का लाइन स्टेशन मास्टर–**देवरनिया** को देने से पूर्व गाड़ी का नम्बर, विवरण, एवं समपार से गाड़ी गुजरने का सम्भावित समय गोपनीय संख्या के आदान–प्रदान के अन्तर्गत पूछेगा।

(ii) स्टेशन मास्टर–**बहेड़ी** इस सूचना को गेटमैन को गोपनीय संख्या के आदान–प्रदान के अन्तर्गत देगा।

(iii) गेटमैन गेट को सड़क यातायात के विरूध्द बन्द करके अपना प्राइवेट नम्बर स्टेशन मास्टर –**बहेड़ी** को देगा।

(iv) गेटमैन से इस गोपनीय संख्या के प्राप्त होने के बाद ही स्टेशन मास्टर–**बहेड़ी**, स्टेशन मास्टर–**देवरनिया** को गाड़ी का लाइन क्लीयर देगा।

(v) इस प्रकार एक बार किसी गाड़ी के लिये बन्द किया गया गेट तब तक नहीं खोला जायेगा जब तक कि वह गाड़ी समपार से सुरक्षित पास न हो जाये तथा गेटमैन TL/LV देखकर यह सुनिश्चित कर ले कि गाड़ी पूरी पास हो गयी है।
स्टेशन मास्टर तथा गेटमैन इन सूचनाओं की प्रविष्टि अपनी लॉग–बुक में निम्न प्रकार करेगें –

स्टेशन मास्टर की लॉग बुक :-

तिथि	गाड़ी सं0	स्टेमा0 द्वारा सूचना देने का समय	समपार से गाड़ी गुजरने का सम्भावित समय	स्टेशन मास्टर का प्राइवेट नम्बर	गेटमैन से सूचना प्राप्ति का प्राइवेट नम्बर	गेटमैन द्वारा गेट बन्द करके दिया गया प्राइवेट नम्बर	स्टेशन मास्टर द्वारा दिया गया प्राइवेट नम्बर	स्टेशन मास्टर का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9

गेटमैन की लाग बुक

तिथि	गाड़ी सं0	गेट से गाड़ी गुजरने का सम्भावित समय	स्टेशन मास्टर द्वारा दिया गया प्राइवेट नम्बर	गेटमैन द्वारा स्टेशन मास्टर को दिया गया प्राइवेट नम्बर	गेटमैन द्वारा गेट बन्द करके दिया गया प्राइवेट नम्बर	स्टेशन मास्टर का प्राइवेट नम्बर	गेटमैन का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8

2.3 टेलीफोन संचार की विफलता :–

जब टेलिफोन संचार विफल हो जाय अथवा दो या तीन प्रयास के बाद भी गेटमैन के तरफ से कोई प्रत्युत्तर न प्राप्त हो तो –

1 कार्यरत **स्टेशन मास्टर/बहेड़ी** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को काशन आर्डर जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।

2. गेट के तरफ आने वाली गाड़ियों के सम्बन्ध में कार्यरत **स्टेशन मास्टर/बहेड़ी** कार्यरत **स्टेशन मास्टर/देवरनिया** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि टेलीफोन खराब है।

3 तब कार्यरत **स्टेशन मास्टर/बहेड़ी** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को काशन आर्डर जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेटमैन के हाथ संकेत का पालन करते हुए गेट की तरफ आगे बढ़े।

4 जारी किये गये काशन आर्डर में लोको पायलट को समपार फाटक के तरफ सावधानी पूर्वक लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेटमैन के हाथ संकेत का पालन करते हुए गेट के तरफ आगे बढ़ने का निर्देश होगा।

5. लोको पायलट को गेटमैन द्वारा हाथ संकेत देने पर समपार फाटक को सतर्कता पूर्वक पार करने का निर्देश दिया जायेगा। यदि हाथ सिगनल संकेत नही दिखायी देता हैं तो लोको पायलट को समपार गेट के पहले रूककर अपने सहायक लोको पायलट को समपार फाटक की स्थिति जानने के लिये भेजेगा। यदि समपार फाटक बन्द हैं तो सहायक लोको पायलट 'सभी ठीक है' सिगनल देगा और यदि समपार फाटक बन्द नही हैं तो सहायक लोको पायलट समपार फाटक को अवश्य बन्द करेगा और तब 'सभी ठीक है' संकेत देगा। सहायक लोाको पायलट की अनुपस्थिति में लोको पायलट सहायक गार्ड की सहायता लेगा।

6 कार्यरत **स्टेशन मास्टर/बहेड़ी** गेटमैन को भी गैंग मैन/पेट्रोल मैन/प्रथम गाड़ी के लोको पायलट द्वारा टेलीफोन खराब होने की सूचना देगा।

7 कार्यरत **स्टेशन मास्टर/बहेड़ी** सिगनल एवं दूरसंचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीध्र टेलीफोन ठीक करने के लिए सूचना देगा।

8 सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब सिगनल एवं दूरसंचार विभाग टेलीफोन ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

2.4 <u>लिफ्टिंग बैरियर या बूम लॉकिंग की विफलता</u> –

1. जब लिफ्टिंग बैरियर गेट खराब हो जाने के कारण गेट बन्द न किया जा सके तो गेटमैन तुरन्त प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करके कार्य पर उपस्थित **स्टेशन मास्टर/बहेड़ी** को सूचित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर रेल पथ को बाधित नही कर रहा हैं।

2. बूम लॉकिंग विफल होने पर इस सम्बन्ध में प्रदत्त छोटी चेन को प्रत्येक बूम पर बूम पोस्ट से बांध कर बूम को लॉक करेगा।

3. गेटमैन तुरन्त दिन में लाल बैनर फलैग एवं रात्रि में लाल बत्ती समपार पर निर्दिष्ट स्थान (पोस्ट) पर सर्वप्रथम उस तरफ लगायेगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना हो तदोपरान्त समपार के दूसरी तरफ लगायेगा।

4 गेटमैन समपार को सड़क यातायात से रोकने के लिये सेफ्टी चेन और तालों द्वारा बन्द करेगा।

5. सड़क यातायात को सुरक्षित करने के उपरान्त गेटमैन दिन के समय हत्थेदार हरी झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती आती हुयी गाड़ी के लोको पायलट को दिखायेगा।

6. कार्यरत **स्टेशन मास्टर/बहेड़ी** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को काशन आर्डर जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए गेटमैन के हाथ सिगनल का पालन करते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।

(अतुल सिंह)	के0एस0सोनाल)	(बालक राम)	(नानक चन्द)
मसिदूई/इज्जतनगर	मपरिप्र/इज्जतनगर	मसिदूई/निर्माण/लखनऊ	मण्डल इंजी0/इज्जतनगर

7. जब गाड़ी **देवरनिया** के तरफ से आनी वाली तब कार्यरत **स्टेशन मास्टर/बहेड़ी** कार्यरत **स्टेशन मास्टर/देवरनिया** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर रवराब है तथा गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को काशन आर्डर जारी करे तब कार्यरत **स्टेशन मास्टर/देवरनिया** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को काशन आर्डर जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए गेटमैन के हाथ सिगनल का पालन करते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
8. कार्यरत **स्टेशन मास्टर/बहेड़ी** इंजीनियरिंग विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीध्र लिफ्टिंग बैरियर ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।
9. सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब इंजीनियरिंग विभाग बैरियर को ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

2.5 <u>**समपार फाटक पर अवरोध**</u> –

1 यदि काई सड़क वाहन समपार फाटक को तोड़कर रेल पथ को बाधित कर रहा है या लिफ्टिंग बैरियर या गेट का कोई अन्य भाग रेल पथ को बाधित कर रहा है या यदि अन्य कोई बाधा गेट पर है तो गेटमैन तत्काल ही दिन में लाल बैनर फ्लैग एवं रात्रि में लाल बत्ती समपार पर दोनों तरफ इस कार्य के लिये लगाये गये पोस्टों पर लगायेगां
2 इसके तुरन्त बाद ही गेटमैन कार्यरत **स्टेशन मास्टर/बहेड़ी** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए अवरोध के बारे में सूचित करेगा।
3 गेट मैन कार्यरत **स्टेशन मास्टर–बहेड़ी** को यदि प्रस्थान सिगनल किसी ट्रेन के लिये आफ किया गया हो तो उसको आन करने के लिये सूचित किया जायेगा। यदि कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ बहेड़ी** ने **देवरनिया** को किसी गाड़ी को लाइन क्लीयर दिया हो तो कार्यरत स्टेशन मास्टर–**किच्छा** को प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुए अवरोध के बारे में सूचित करेगा।
4. यदि दो या तीन प्रयासो के बाद भी कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ बहेड़ी** से कोई प्रत्युतर नही प्राप्त होता हैं तो गेटमैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के उपरान्त पुनः टेलीफोन द्वारा सूचित करेगा।
5. गेटमैन पटाखा तथा दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल ट्राय कलर फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प लेकर तेजी से उस तरफ आगे बढ़ेगा जिस तरफ से गाड़ी का आगमन संभावित हैं, तथा रेल पथ को 'गेट मैनो' की कार्य प्रणाली सामान्य निर्देश के मद संरव्या 1.5 के अनुसार संरक्षित करेंगा।
6. तदोपरान्त गेटमैन गेट को दूसरी तरफ संरक्षित करेगा।
7. गेटमैन सड़क वाहन के विवरणों चालक का नाम सड़क वाहन के मालिक का नाम लिरवकर **स्टेशन मास्टर/ बहेड़ी** को सूचित करेगा तथा **स्टेशन मास्टर/ बहेड़ी** तब तक गाड़ी को नही चलायेगा जब तक गेटमैन सुनिश्चित नहीं कर देता है कि सड़क यातायात या लिफ्टिंग बैरियर रेल पथ को बाधित नही कर रहे है।
8. कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ बहेड़ी** कार्यरत **स्टेशन मास्टर/देवरनिया** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि वह अपने तरफ से कोई गाड़ी ब्लाक खण्ड में न भेजे जब तक रेल पथ से बाधा हटा न दिया जाय।
9. रेल पथ से बाधा हटा दिये जाने के बाद गेटमैन प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ बहेड़ी** को सूचित करेगा । तब कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ बहेड़ी** यही सूचना कार्यरत **स्टेशन मास्टर –देवरनिया** को प्राइवेट नम्बर के आदान–प्रदान के अन्तर्गत देगा।

(अतुल सिंह)	(के0एस0सोनाल)	(बालक राम)	(नानक चन्द)
मसिदूई/इज्जतनगर	मपरिप्र/इज्जतनगर	मसिदूई/निर्माण/लखनऊ	मण्डल इंजी0/इज्जतनगर

10. तब कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ बहेड़ी एवं देवरनिया** सभी गाड़ियों के लोको पायलट को सर्तकता पूर्वक जाने एवं गेटमैन द्वारा हाथ सिगनल (हरा संकेत) देने पर सावधानी पूर्वक पार करने हेतु सर्तकता आदेश जारी करेगा। यदि गेट टूटा हो परन्तु गेट पर कोई व्यवधान न हो।

11. गेटमैन समपार फाटक को संरक्षा चेन एवं तालों द्वारा सड़क यातायात के लिसे संरक्षित करेगा तथा उसके बाद यदि समपार फाटक पर कोई व्यवधान नहीं है तो गेटमैन दिन के समय हत्थेदार हरी झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती गुजरती हुयी गाडियो को दिरवायेगा।

12. कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ बहेड़ी** जिम्मेदार इंजीनियरिंग स्टाफ को गेट के शीध्र मरम्मत के लिए लिखित सूचना देगा।

13. सामान्य स्थिति केवल इंजीनियरिंग स्टाफ के मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो देने के बाद ही होगी।

2.6 **समपार फाटक के समीप रेल पथ पर अवरोध –**

यदि किसी रेल का टूटना, रेल पथ पर पेड़ गिरने से कोई अवरोध, सड़क वाहन द्वारा बाधा अथवा कोई अवपथन जो गेटमैन को दिरवाई देता हो तो गेट मैन तथा कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ बहेड़ी** मद संख्या 2.5 में वर्णित निर्देश के अनुसार कार्यवाही करेगें यदि कोई अवरोध समपार फाटक को बाधित करता हैं तो गेटमैन सड़क यातायात के लिये सड़क को उस समय तक बन्द ररवेगा जब तक रेल पथ से बाधा हटा नही दिया जाय।

(अतुल सिंह)	(के0एस0सोनाल)	(बालक राम)	(नानक चन्द)
मसिदूई/इज्जतनगर	मपरिप्र/इज्जतनगर	मसिदूई/निर्माण/लखनऊ	मण्डल इंजी0/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची संख्या 1 दिनांक है। 1 गेट संख्या 27/A

संचालन नियम संख्या इज्जत/50 बहेड़ी

जारी तिथि लागू तिथि

परिशिष्ट – "क–II "

<u>बहेड़ी स्टेशन पर स्थित ट्रैफिक समपार फाटक संख्या 27 श्रेणी "ए" के संचालन हेतु अनुदेश –</u>

1. **विवरण**

1.1 <u>सामान्य –</u>

1	समपार फाटक की संरव्या	27/ ए
2	इन्जीनियरिंग / ट्राफिक	ट्रैफिक
3	अधीन स्टेशन अधी0/रेल पथ निरीक्षक	स्टेशन अधीक्षक/बहेड़ी
4	किलोमीटर पर स्थित	31 /2–3
5	स्टेशन	बहेड़ी
6	स्टेशन मध्य	बहेड़ी –देवरनिया
7	बी0जी0/एम0जी0/एन0जी0	बी0जी0
8	इकहरी / दोहरी / मिश्रित	इकहरी लाइन
9	सामान्य स्थिति	सड़क यातायात के लिए खुला
10	इण्टरलाक्ड/नान इण्टरलाक्ड	इण्टरलाक्ड
11	इण्टरलाकिंग का प्रकार	डाउन प्रस्थान एवं अप होंम सिगनल से इन्टर लाक
12	गेट सिगनलों का प्रावधान किलोमीटर	
(i)	अप साइड	-
(ii)	डाउन साइड	-
13	संकेतन व्यवस्था	कलर लाइट सिगनल
14	संचार साधन टेलीफोन/घंटी	टेलीफोन स्टेशन मास्टर/बहेड़ी से सम्बद्ध
15	समपार फाटक की चौड़ाई	9.00 मीटर
16	सड़क का प्रकार (एन0एच0/एस0एच0/अन्य)	अन्य
17	सड़क का नाम	बाहपुर रोड
18	पक्का / कच्चा	पक्का
19	पहुॅच मार्ग	नैनीताल रोड
20	सड़क की चौड़ाई	7.00 मीटर
21	सड़क का क्रासिंग कोण (इस्क्यू गेट के लिए)	
(i)	पूर्व / उत्तर की तरफ	90 डिग्री
(ii)	पश्चिम / दक्षिण की तरफ	90 डिग्री
22	सड़क का ढ़ाल यदि कोई हो	
(i)	पूर्व / उत्तर की तरफ	1 : 30
(ii)	पश्चिम / दक्षिण की तरफ	1 : 30
23	सड़क का प्रकार (सीधा/गोलाई)	
(i)	पूर्व / उत्तर की तरफ	सीधा
(ii)	पश्चिम / दक्षिण की तरफ	सीधा
24	हाइट गेज का प्राविधान	नहीं
25	बैरियर का प्रकार	लिफ्टिंग बैरियर
26	चेक रेल की लम्बाई	11.00 मीटर
27	समपार के मध्य सड़क का सतह	समतल
28	रम्बल स्ट्रिप / गति अवरोधक की लम्बाई	7.00 मीटर

(के0एस0सोनाल) (बालक राम) (अतुल सिंह)
मपरिप/इज्जतनगर मसिदूई/निर्माण/लखनऊ मसिदूई/इज्जतनगर

29	रोड साइन	उपलब्ध
30	गति अवरोधक बोर्ड	उपलब्ध
31	टी0वी0यू0	39559अक्टू 0 2010
32	अगली गणना की तिथि	2013
33	पटाखा सिगनल लगाने का निर्दिष्ट स्थान	है
34	गेटमैनो की संरव्या	दो
35	निकटतम रेलवे सहायता केन्द्र	लालकुआ
36	निकटतम निजी चिकित्सा सहायता की उपलब्धता यदि कोई हो	बहेड़ी
37	उपलब्ध उपकरणों की सूची हॉ / नही	हॉ

1.2 <u>**उपकरण**</u> –

क्रम.सं.	सामग्री	संख्या
1	हाथ सिगनल बत्ती (K. Oil)	02
2	हरी हाथ झंडी	01
3	लाल हाथ झंडी	03
4	बैनर फ्लैग लाल	03
5	लाल बैनर फ्लैग लगाने हेतु पोस्ट	02
6	तालों के साथ अतिरिक्त चेन (जंजीर)	02 (स्टाप डिस्क के साथ)
7	पटाखा सिगनल	10
8	ट्राय कलर फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प (बैट्री लिट)	01
9	गेट लैम्प	02
10	टोमीवार	01
11	मोर्टार पैन (तसला)	01
12	फावड़ा/बेल्चा	01
13	दुर्मुठ	01
14	पिक एक्स	01
15	टिन केस झंडी के लिए	01
16	कैन मिटटी के तेल हेतु	01
17	बाल्टी/पानी पीने का बर्तन	01
18	टिन केस मस्टर शीट के लिए	01
19	चश्मों का अतिरिक्त सेट जो चश्मा लगाते है (दृष्टि वाला)	01
20	गेट पर अवरोध की दशा में समपार की संरक्षा हेतु प्रदर्शित डायग्राम	01
21	टोकरी	01
22	सीटी (Thunder Whistle)	01
23	दीवार घड़ी	01
24	छोटी चेन व ताले (बूम लॉकिंग हेतु)	02

(के0एस0सोनाल)
मपरिप/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूई/निर्माण/लखनऊ

(अतुल सिंह)
मसिदूई/इज्जतनगर

1.3. **गेट लाज पर रखे जाने वाले अभिलेख –**

(1) गेट का कार्यकारी अनुदेश हिन्दी में ।

(2) गेटमैन नियम पुस्तिका स्थानीय भाषा में ।

(3) पुस्तकों एवं उपकरणों की सूची

(4) डियूटी रोस्टर ।

(5) गेटमैन का कार्य करने का प्रमाण पत्र ।

(6) गेटमैन का वायोडाटा, नेत्र जांच, प्रारंभिक पुनश्चर्या, संरक्षा कैम्प इत्यादि ।

(7) दुर्घटना रजिस्टर ।

(8) समपार फाटक पर अंतिम गणना का अभिलेख ।

(9) निरीक्षण पुस्तिका ।

(10) जन प्रतिवेदन पुस्तिका ।

1.4 **गेटमैन के कर्तव्य :**

(1) **सावधानी**
गेट मैन सदैव किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिये की जाने वाली त्वरित कार्यवाही के प्रति सावधान रहेगा।

(2) **ट्रेन के समपार फाटक से गुजरते समय फाटक वाले की स्थिति**
ट्रेन के गुजरने की स्थिति में गेट मैन बतायी गयी निम्नलिखित स्थिति में खड़ा रहेगा।

(i) गेट मैन सतर्कता पूर्वक गेटलाज के सामने आती हुयी ट्रेन के तरफ मुँह करके खड़ा रहेगा।

(ii) दिन में गेट मैन दॉये हाथ में सिमटी हुई लाल झण्डी तथा बायें हाथ में हरी झण्डी डण्डे में लगी हुई लिये रहेगा।

(iii) रात्रि समय में गेट मैन जलती हुयी सफेद हाथ बत्ती लाइन के तरफ दिखाता हुआ खड़ा रहेगा।

(iv) गेट मैन गले में धागे में बांधकर सीटी लटकाये रहेगा।

(3) **गेट मैन की नियमित ड्यूटी**

(i) गेट मैन जब समपार फाटक, आपात स्थिति अथवा अवरोध की स्थिति में रेल पथ पर समपार के दोनों तरफ दिन में लाल बैनर फ्लैग एवं रात्रि में लाल बत्ती निर्धारित स्थान पर लगायेगा।

(ii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि गेट लैम्प को सूर्यास्त से सूर्योदय तक लगातार जलते हुए स्थिति में रखेगा।

(iii) गेट मैन अपनी ड्यूटी निश्चित रूप से ड्यूटी रोस्टर के अनुसार करेगा और जब तक कार्यमुक्त करने हेतु साथी आ न जाये और वह गेट का कार्यभार ग्रहण न कर ले, तब तक गेट मैन गेट छोड़कर नहीं जायेगा। गेट मैन को यदि आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक से हटना अपरिहार्य हो तो वह गेट छोड़ने से पूर्व गेट को सड़क यातायात के लिए बंद करके ताला लगायेगा।

(iv) इन निर्देशों के अतिरिक्त गेट मैन गुजरती हुयी ट्रेन को देखता रहेगा और ट्रेन की संरक्षा हेतु कार्य करने के लिए तत्पर रहेगा।

(के0एस0सोनाल)	(बालक राम)	(अतुल सिंह)
मपरिप/इज्जतनगर	मसिदूई/निर्माण/लखनऊ	मसिदूई/इज्जतनगर

(v) गेट मैन गुजरती हुयी सभी ट्रेनों पर पैनी नजर रखेगा जिससे किसी अप्रत्याशित घटना जैसे–हॉट एक्सल (गर्म धुरा), लटकती हुई चैन, लटकती हुई बैट्री, किसी वाहन/वैगन/ट्रेन/बैट्री बाक्स में आग लगी हो, ब्रेक ब्लाक, ब्रेक बीम, सेफ्टी ब्रेकेट, वैक्यूम सिलेन्डर आदि का लटकना, गिरना जिसके कारण ट्रेन की संरक्षा बाधित हो का पता लगाकर आवश्यक कार्यवाही करेगा।

(vi) गेट मैन गार्ड द्वारा ड्राइवर को वाकी–टाकी अथवा किसी अन्य माध्यम से दिये गये संकेतों को दोहराने के लिए तैयार रहेगा।

(vii) समपार फाटक का बैरियर गेट क्षतिग्रस्त अथवा खराब होने की दशा में गेट मैन अतिरिक्त चैन डिस्क एवं तालों का प्रयोग कर सड़क यातायात बंद करेगा।

(viii) गेट मैन अपने गेट की किसी भी खराबी के लिए यथाशीघ्र स्टेशन मास्टर/बहेड़ी, गैंग मैन अथवा रेल पथ निरीक्षक को सूचित करेगा।

(ix) जब गेट मैन अपने कार्य पर रहेगा तो वह निर्धारित वर्दी एवं बैज धारण करेगा।

(x) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि ड्यूटी के समय उसके पास दक्षता प्रमाण पत्र उपलब्ध है।

(xi) गेटमैन, गेट संचालन नियमों के अनुरूप कार्य करेगा तथा नियमों के बारे में पूर्णरूपेण जानकारी रखेगा।

(xii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि उसके गेट पर आपूर्ति किये गये सभी उपकरण अच्छी स्थिति में है एवं तत्काल प्रयोग हेतु तैयार है।

(xiii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि समपार पर चैक रेल गैप साफ है।

(xiv) गेट मैन समपार फाटक की सड़क को (कच्ची सड़क) पानी छिड़ककर एवं दुरमुट से ठोककर ठीक रखेगा।

(xv) गेट मैन सड़क प्रयोगकर्ताओं की, गेट को बंद रखने की स्थिति से उत्पन्न असुविधाओं के प्रति सतर्क रहेगा तथा ध्यान देगा कि समपार फाटक कम से कम समय के लिए बन्द हो।

(xvi) जहां तक संभव हो गेट मैन मनुष्यों, वाहनों अथवा जानवरों के अवैध आवागमन पर रोक लगायेगा।

(4) **<u>ट्रेन की असामान्य स्थिति में किया जाने वाला कार्य</u>**

यदि गेटमैन किसी पास हो रही गाड़ी में कोई असामान्य बात देखता है तो वह निम्न कार्य करेगा

(i) वह तत्काल ही लोको पायलट/गार्ड को दिन में लाल झण्डी तथा रात में लाल बत्ती दिखाकर सचेत करेगा ।

(ii) साथ ही साथ लोको पायलट/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिए लगातार सीटी बजायेगा, चिल्लायेगा, असामान्य हाव–भाव प्रदर्शित करेगा तथा ब्रेकवान पर पत्थर फेकेगा अथवा कोई अन्य साधन अपनायेगा।

(iii) यदि लोको पायलट/गार्ड उपरोक्त कार्यों के उपरांत भी ध्यान नहीं देते हैं तो वह स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी** को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुए तो तद्नुसार कार्यवाही करने हेतु सूचित करेगा।

(iv) किसी ट्रेन के विभक्त (पार्टिंग) हो जाने की दशा में गेट मैन रोक हैण्ड सिगनल (लाल) नहीं दिखायेगा बल्कि वह दिन में हरी झन्डी तथा रात में सफेद बत्ती ऊपर–नीचे करके निर्धारित संकेत करेगा।

(के0एस0सोनाल)	(बालक राम)	(अतुल सिंह)
मपरिप/इज्जतनगर	मसिदूई/निर्माण/लखनऊ	मसिदूई/इज्जतनगर

(v) वह लोको पायलट/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास लगातार सीटी बजाकर, चिल्लाकर, असामान्य हाव–भाव प्रदर्शित करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाकर तुरन्त दोनों हाथों को अलग करके पुनः दोनों हाथों को सटाते हुए पुनः हाथों को बिल्कुल नीचे करते हुए करेगा।

(vi) ऐसा करने से यदि ट्रेन नहीं रूकती है तो गेटमैन तुरन्त टेलीफोन पर स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी** को उचित कार्यवाही करने हेतु गोपनीय संख्या के आदान–प्रदान के अन्तर्गत इसकी सूचना देगा।

(5) **आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक पर की जाने वाली कार्यवाही**

(i) समपार फाटक पर कोई अवरोध आ जाने पर वह लाइन पर दोनों तरफ दिन में लाल बैनर फ्लैग एवं रात्रि में लाल बत्ती निर्धारित स्थान पर लगायेगा।

(ii) इसके उपरान्त यदि गेट मैन अवरोध हटाने में सक्षम नहीं है तो वह स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी** को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुए गेट की खराबी/अवरोध के बारे में तत्काल सूचित करेगा।

(iii) यदि दो या तीन प्रयासों के बाद भी स्टेशन मास्टर/ **बहेड़ी** कोई प्रत्युत्तर नहीं देते है तो गेट मैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के बाद पुनः टेलीफोन से सूचित करेगा।

1.5 **गेट मैन गेट की संरक्षा (बचाव) निम्नलिखित अनुसार करेगा**

(अ) **इकहरी लाइन पर**

(i) गेट मैन दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती 5 मीटर दूर निर्धारित पोस्ट पर सर्वप्रथम उस तरफ लगा देगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना है।

(ii) इसके पश्चात उसी तरह दिन में दूसरा लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती लाइन की दूसरी ओर अवरोध से 5 मीटर की दूरी पर लगायेगा।

(iii) गेट मैन तब पटाखे, और दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल ट्राइ कलर फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प लेकर गेट को संरक्षित करने के लिये आगे बढ़ेगा।

(iv) गेट मैन दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल ट्राई कलर फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प दिखाते हुये पहले उस दिशा में बढ़ेगा जिधर से ट्रेन के आने की सम्भावना है तब समपार/अवरोध से 600 मीटर पर एक पटाखा लगा देगा उसके पश्चात वह समपार/अवरोध से 1200 मीटर की दूरी पर तीन पटाखे 10–10 मीटर की दूरी पर लगायेगा। इस प्रकार लाइन को संरक्षित करने के उपरान्त वह समपार पर लौटते हुये पूर्व में 600 मीटर पर लगाये गये पटाखा उठा लेगा।

(v) इसके बाद वह लाल झण्डी दिखाते हुये उसी प्रकार जेसा क्रमांक (iv) में वर्णित है लाइन की दूसरी तरफ पटाखा लगायेगा तथा समपार की तरफ लौटते हुये बीच का पटाखा उठा लेगा।

(vi) समपार गेट पर लौटने के पश्चात गेट मैन अवरोध को हटाने तथा आने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सचेत करने का प्रयास करेगा।

(vii) उन परिस्थितियों में जब गेट मैन रास्ते में ही है और निर्दिष्ट स्थानों पर जहाँ पटाखे लगाये जाते हैं, पहुँचने के पूर्व ही वह ट्रेन को आते देखता है अथवा ट्रेन की आवाज सुनाई पड़ती है तो वह जहाँ तक पहुँच सकता है उसी स्थान पर पटाखा लगा देगा।

(viii) उसके उपरान्त गेट मैन आने वाली ट्रेन के लोको पायलट को दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल ट्राइ कलर फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प दिखाकर सचेत करेगा / रोकेगा।

(के0एस0सोनाल)	(बालक राम)	(अतुल सिंह)
मपरिप/इज्जतनगर	मसिदूई/निर्माण/लखनऊ	मसिदूई/इज्जतनगर

(ब) **गेट मैन द्वारा किये जाने वाली अन्य कार्यवाही**

(i) यदि समपार गेट किसी वाहन द्वारा तोड़ दिया जाता है और वाहन ट्रैक को बाधित कर रहा है, या बैरियर गेट का अन्य कोई भाग ट्रैक को बाधित कर रहा है या गेट पर अन्य कोई अवरोध है तो गेट मैन तुरन्त कार्यवाही करेगा।

(ii) गेट मैन सड़क वाहन का विवरण लिखेगा जैसे–वाहन संख्या, ड्राइवर का नाम, मालिक का नाम और गेट मैन स्टेशन मास्टर – **बहेड़ी** को किसी संदेशवाहक या अन्य उपलब्ध संसाधनों के द्वारा सूचित करेगा।

2. **समपार फाटक के संचालन हेतु विशेष अनुदेश –**

2.1 **संचालन पद्धति –**

समपार फाटक को सड़क यातायात के विरूद बंद करने के लिए कार्यरत गेटमैन विंच को तब तक संचालित करेगा जब तक कि बैरियर नीचे आकर समतल स्थिति में बूम पोस्ट पर स्थिर न हो जायें। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर के बीच में कोई सड़क वाहन न फॅस जाए। विंच को इस स्थिति में लाक करने के लिए 'ई' प्रकार के लाक से चाभी **क्यू–1** को घुमाकर निकाल लेगा तथा इसे बूम लाक लीवर संख्या 1 पर लगे 'ई' प्रकार के लाक में चाबी **'क्यू–1'** लगाकर क्लाक वाइज घुमाएगा जो लीवर लाक को मुक्त करेगा। लीवर को विपरीत दिशा में खीचने से बूमो का क्षैतिजीय स्थिति में पाशित करेगा। 'क्यू' चाबी बूम **KLCR** के बाद सिरे पर वेल्डिंग एवं रिवीट की हुई **KLCR** की चाबी को गेट लाज में लगे **KLCR** में लगाकर क्लाक वाइज धुमाएगा जिससे स्टेशन मास्टर पैनल पर प्रदत्त इस गेट के बन्द होने की पुष्टि स्वरूप एक इंडिकेशन मिलेगा।

गाड़ी के पूरी तरह गुजर जाने के बाद गेट लॉज में प्रदत्त **KLCR** पर लाक फ्री इंडिकेशन मिलने के बाद **KLCR** पर लगे बटन को दबाकर गेटमैन चाबी 'क्यू' को **KLCR** से एण्टि क्लाक वाइज घुमाकर निकाल लेगा। गेटमैन 'क्यू' चाबी को विंच में लगाकर विंच को उल्टी दिशा में संचालित कर गेट को खोलेगा जब तक कि दोनों बैरियर लगभग ठीक ऊपर लम्बवत न उठ जाये।

गाड़ी के सम्भावित आगमन और प्रस्थान से पहले 10 मिनट से अधिक समय तक फाटक को बन्द नही रखना चाहिए। किसी भी मामले में समपार फाटक लगातार 12 मिनट से अधिक समय तक बन्द नही रखना चाहिए।

2.2 **गेट मैन को सूचित करना गेट मैन को सूचित करना :–**

1. कार्यरत स्टेशन मास्टर / बहेड़ी, किसी गाड़ी के लिये आगमन अथवा डाउन गाड़ी के लिये प्रस्थान सिगनल आफ करने से पहले गेटमैन को टेलीफोन द्वारा गाड़ी का नम्बर, विवरण, दिशा तथ गेट से गाड़ी पास होने का सम्भावित समय बतायेगा ।

स्टेशन मास्टर / गेटमैन इन सूचनाओं की प्रविष्टि अपनी लॉग–बुक में निम्न प्रकार करेगा –

स्टेशन मास्टर की लॉग बुक :-

तिथि	गाड़ी सं0	गेटमैन को सूचित करने का समय	स्टेशन मास्टर का हस्ताक्षर
1	2	3	4

गेटमैन की लाग बुक

तिथि	गाड़ी सं0	गेटमैन द्वारा गेट बन्द करने / की – ट्रॉसमिट करने का समय	समपार से पूरी गाड़ी गुजरने का वास्तविक समय / गेट खोलने का समय	गेटमैन का हस्ताक्षर	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6

(जे0ए0आज़मी)
मपरिप/सा0 / इज्जतनगर

(रितेश गुप्ता)
मसिदूई/इज्जतनगर

2. गेटमैन गेट को बन्द करके चाबी स्टेशन मास्टर–**बहेड़ी** को हस्तान्तरित करेगा।

3. इसके बाद स्टेशन मास्टर/ **बहेड़ी** द्वारा आगमन अथवा प्रस्थान सिगनलों को आफ किया जायेगा।

4. सड़क यातायात को अधिक विलम्ब न हो यह सुनिश्चित करने के लिये स्टेशन मास्टर– **बहेड़ी** गेटमैन को गेट बन्द करने के लिये तभी सूचित करेगा जब वह यह सुनिश्चित कर लेगा कि गाड़ी प्रस्थान के लिये पूर्णतया तैयार है।

5. जब किसी गाड़ी को स्टेशन से / को पायलट करना हो अथवा कोई शंटिंग मूवमेन्ट करना करना हो तो गाड़ी पायलट करने अथवा शंटिंग कार्य के लिये नियुक्त कर्मचारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह समपार फाटक पार करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि फाटक सड़क यातायात के विरूध्द बन्द है।

2.3 <u>टेलीफोन संचार की विफलता</u> :–

जब टेलिफोन संचार विफल हो जाय अथवा दो या तीन प्रयास के बाद भी गेटमैन के तरफ से कोई प्रत्युत्तर न प्राप्त हो तो कार्यरत स्टेशन मास्टर–**बहेड़ी** निम्न कार्यवाही करेगा :–

1 कार्यरत स्टेशन मास्टर/ **बहेड़ी** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े। बड़ी लाइन की गाड़ियों के लिये यदि गेट सिगनल आन हैं तो लोको पायलट गेट सिगनल के पहले गाड़ी रोककर सामान्य नियम 3.73 के अनुसार कार्यवाही करेगा।

2 कार्यरत स्टेशन मास्टर/ **बहेड़ी** स्टेशन मास्टर/**देवरनिया** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि टेलीफोन खराब है।

3 तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/**देवरनिया** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेटमैन के हाथ संकेत का पालन करते हुए गेट की तरफ आगे बढ़े।

4. लोको पायलट को गेटमैन द्वारा हाथ संकेत देने पर समपार फाटक को सतर्कता पूर्वक पार करने का निर्देश दिया जायेगा। यदि हाथ सिगनल संकेत नही दिखायी देता हैं तो लोको पायलट को समपार गेट के पहले रूककर अपने सहायक लोको पायलट को समपार फाटक की स्थिति जानने के लिये भेजेगा। यदि समपार फाटक बन्द हैं तो सहायक लोको पायलट 'सभी ठीक है' सिगनल देगा और यदि समपार फाटक बन्द नही हैं तो सहायक लोको पायलट समपार फाटक को अवश्य बन्द करेगा और तब 'सभी ठीक है' संकेत देगा। सहायक लोको पायलट की अनुपस्थिति में लोको पायलट गार्ड की सहायता लेगा।

5 कार्यरत स्टेशन मास्टर/ **बहेड़ी** गेटमैन को भी गैंग मैन/पेट्रोल मैन/प्रथम गाड़ी के लोको पायलट द्वारा टेलीफोन खराब होने की सूचना देगा।

6 कार्यरत स्टेशन मास्टर/ **बहेड़ी** सिगनल एवं दूरसंचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीघ्र टेलीफोन ठीक करने के लिए सूचना देगा।

7 सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब सिगनल एवं दूरसंचार विभाग टेलीफोन ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

8 इन्टरलाक गेट होने के कारण यदि पैनल पर गेट बन्द होने का इंडिकेशन नहीं मिलता है तो गेटमैन को किसी सक्षम कर्मचारी द्वारा सूचना भेजकर गेट बन्द कराया जायेगा ।

(के0एस0सोनाल)	(बालक राम)	(अतुल सिंह)
मपरिप/इज्जतनगर	मसिदूई/निर्माण/लखनऊ	मसिदूई/इज्जतनगर

2.4 <u>लिफ्टिंग बैरियर या बूम लॉकिंग की विफलता</u> –

1. जब लिफ्टिंग बैरियर गेट खराब हो जाने के कारण गेट बन्द न किया जा सके तो गेटमैन तुरन्त प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करके कार्य पर उपस्थित स्टेशन मास्टर/ **बहेड़ी** को सूचित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर रेल पथ को बाधित नही कर रहा हैं।
2. बूम लॉकिंग विफल होने पर इस सम्बन्ध में प्रदत्त छोटी चेन को प्रत्येक बूम पर बूम पोस्ट से बांध कर बूम को लॉक करेगा।
3. गेटमैन तुरन्त दिन में लाल बैनर फलैग एवं रात्रि में लाल बत्ती समपार पर निर्दिष्ट स्थान (पोस्ट) पर सर्वप्रथम उस तरफ लगायेगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना हो तदोपरान्त समपार के दूसरी तरफ लगायेगा।
4. सड़क यातायात को सुरक्षित करने के उपरान्त गेटमैन दिन के समय हत्थेदार हरी झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती आती हुयी गाड़ी के लोको पायलट को दिखायेगा।
5. कार्यरत स्टेशन मास्टर/ **बहेड़ी** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए गेटमैन के हाथ सिगनल का पालन करते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
6. जब गाड़ी **देवरनिया** की तरफ से आने वाली है, तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/ **बहेड़ी** स्टेशन मास्टर–**देवरनिया** को प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान के द्वारा सूचित करेगा कि टेलीफोन खराब है।
7. तत कार्यरत स्टेशन मास्टर–**देवरनिया** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए गेटमैन के हाथ सिगनल का पालन करते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
8. कार्यरत स्टेशन मास्टर/ **बहेड़ी** सिगनल एवं दूर संचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीध्र लिफ्टिंग बैरियर ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।
9. सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब सिगनल दूर संचार विभाग बैरियर को ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

2.5 <u>**गेट की चाबी गेट के बन्द स्थिति में विफल हो जाना जब चाबी गेट खोलने के लिये KLCR से बाहर न निकाली जा सके** –</u>

1. जब चाबी गेट की बन्द स्थिति में KLCR से बाहर नही निकाली जा सकती तब गेटमैन तुरन्त प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करके कार्य पर उपस्थित स्टेशन मास्टर/ **बहेड़ी** को सूचित करेगा । कार्यरत स्टेशन मास्टर/बहेड़ी स्टेशन पैनल कक्ष में स्थापित पार्किंग एच0के0टी0 से आपात कालीन चाबी 'क्यूई' निकाल कर गेट पर भेजेगा तथा लाग रजिस्टर में प्रविष्टि करेगा। और सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर रेल पथ को बाधित नही कर रहा हैं।

क0सं0	तिथि	गेट संख्या	चाबी संख्या	चाबी भेजने का समय	प्रयोग का कारण
1	2	3	4	5	6

2. कार्यरत गेटमैन चाबी 'क्यू ई' को बूम लाक लीवर में लगाकर बूम को अन लाक करेगा तथा पैरा 2.1 में दी गयी विधि से समपार फाटक को खोलेगा। इस स्थिति में गेट को नान–इन्टरलाक समझना चाहिए ओर उसी के अनुसार कार्यवाही करनी चाहिए।
3. कार्यरत स्टेशन मास्टर–**बहेड़ी** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करेगा।
4. कार्यरत स्टेशन मास्टर– **बहेड़ी**, कार्यरत स्टेशन मास्टर–**देवरनिया** को प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करके सूचित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर खराब है। तब कार्यरत स्टेशन मास्टर–**देवरनिया** गेट के तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ियों के लिये सतर्कता आदेश जारी करकि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।

(जे0 ए0 आज़मी) (रितेश गुप्ता)
मपरिप/सा/इज्जतनगर मसिदूई/इज्जतनगर

5. कार्यरत स्टेशन मास्टर/ **बहेड़ी** सिगनल एवं दूर संचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीध्र लिफ्टिंग बैरियर ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।

6. सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब सिगनल एवं दूर संचार विभाग बैरियर को ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

2.6 **<u>गेट की चाबी गेट के खुली स्थिति में विफल हो जाना :–</u>**

1. जब गेट की चाबी विंच से बाहर निकाली जा सके तब गेट मैन तुरन्त कार्यरत स्टेशन मास्टर– **बहेड़ी** को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुए सूचित करेगा।

2. इस परिस्थिति में गेट को नान–इन्टरलाक समझा जायेगा और उसी के अनुसार कार्यवाही करना चाहिए।

3. गेटमैन चेन एवं तालों द्वारा गेट को बन्द कर देगा तथा गाड़ियों को हाथ संकेत द्वारा पास करेगा।

4. कार्यरत स्टेशन मास्टर– **बहेड़ी** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा।

5. कार्यरत स्टेशन मास्टर– **बहेड़ी** कार्यरत स्टेशन मास्टर–**देवरनिया** को प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करके सूचित करेगा कि लिफि्टंग बैरियर खराब है। तब कार्यरत स्टेशन मास्टर–**देवरनिया** गेट के तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ियों के लिये सतर्कता आदेश जारी करकि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।

6. कार्यरत स्टेशन मास्टर/ **बहेड़ी** सिगनल एवं दूर संचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीध्र लिफ्टिंग बैरियर ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।

7. सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब सिगनल एवं दूर संचार विभाग बैरियर को ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

2.7 **<u>समपार फाटक पर अवरोध</u>** –1. यदि कोई सड़क वाहन समपार फाटक को तोड़कर रेल पथ को बाधित कर रहा है या लिफ्टिंग बैरियर या गेट का कोई अन्य भाग रेल पथ को बाधित कर रहा है या यदि अन्य कोई बाधा गेट पर है तो गेटमैन तत्काल आपात कालिन स्वीच के द्वारा गेट रक्षित करने वाले सिगनल को आन स्थिति में कर देगा। आपात कालिन स्वीच की संचालन विधि निम्न प्रकार है –

आपात कालिन स्विचः–आपात कालिन समय में गेअ रक्षित करने वाले सिगनलो को आफ से आन स्थिति करने के लिए समपार संख्या **27/A** पर एक स्विच का प्रावधान है। यह स्विच एक ग्लास लगे सील बन्द केस में लगा है आपात स्थिति में गेट मैन इस ग्लास को तोड़कर स्विच को दाहिनी ओर धुमाकर सिगनलो को आन स्थिति में कर देगा। गेटमैन इसका विवरण पैरा 2.2 में दिये गये लाग रजिस्टर के रिमार्क कालम सं0 6 में अंकित करेगा तत्पश्चात कार्यरत स्टेमा0 को सूचित करेगा। आपात स्थिति समाप्त हो जाने के बाद गेटमैन को स्विच को नार्मल कर देगा तथा ग्लास केस में लगे ग्लास को बदल कर S&T द्वारा पुनः सील कर दिया जायेगा। इसके बाद ट्रैक पर दोनो ओर दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती लगाएगा।

2. इसके तुरन्त बाद ही गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर/ **बहेड़ी** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए अवरोध के बारे में सूचित करेगा।

3. यदि दो या तीन प्रयासो के बाद भी कार्यरत स्टेशन मास्टर/ **बहेड़ी** से कोई प्रत्युतर नही प्राप्त होता हैं तो गेटमैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के उपरान्त टेलीफोन द्वारा सूचित करेगा।

4. गेटमैन पटाखा एवं दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल ट्राइ कलर फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प लेकर तेजी से उस तरफ आगे बढ़ेगा जिस तरफ से गाड़ी का आगमन संभावित हैं, तथा रेल पथ को 'गेट मैनो' की कार्य प्रणाली सामान्य निर्देश के मद संरव्या 1.5 के अनुसार संरक्षित करेंगा।

5. तदोपरान्त गेटमैन गेट को दूसरी तरफ संरक्षित करेगा।

(जे0ए0आज़मी)
मपरिप/सा0/इज्जतनगर

(रितेश गुता)
मसिदूई/इज्जतनगर

जारी तिथि लागू तिथि

7. गेटमैन सड़क वाहन के विवरणों चालक का नाम सड़क वाहन के मालिक का नाम लिरवकर स्टेशन मास्टर/ **बहेड़ी** को सूचित करेगा तथा स्टेशन मास्टर/ **बहेड़ी** तब तक गाड़ी को नही चलायेगा जब तक गेटमैन सुनिश्चित नहीं कर देता है कि सड़क यातायात या लिफ्टिंग बैरियर रेल पथ को बाधित नही कर रहे है।

8. कार्यरत स्टेशन मास्टर/ **बहेड़ी** कार्यरत स्टेशन मास्टर/**देवरनिया** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि वह अपने तरफ से कोई गाड़ी ब्लाक खण्ड में न भेजे जब तक रेल पथ से बाधा हटा न दिया जाय।

9. रेल पथ से बाधा हटा दिये जाने के बाद गेटमैन प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए कार्यरत स्टेशन मास्टर/ **बहेड़ी** को सूचित

10. तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/ **बहेड़ी** सभी गाड़ियों के लोको पायलट को सर्तकता पूर्वक जाने एवं गेटमैन द्वारा हाथ सिगनल (हरा संकेत) देने पर सावधानी पूर्वक पार करने हेतु सर्तकता आदेश जारी करेगा। यदि गेट टूटा हो परन्तु गेट पर कोई व्यवधान न हो।

11. गेटमैन समपार फाटक को संरक्षा चेन एवं तालों द्वारा सड़क यातायात के लिसे संरक्षित करेगा तथा उसके बाद यदि समपार फाटक पर कोई व्यवधान नहीं है तो गेटमैन दिन के समय हत्थेदार हरी झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती गुजरती हुयी गाडियो को दिरवायेगा।

12. कार्यरत स्टेशन मास्टर– **बहेड़ी** जिम्मेदार सिगनल एवं दूर संचार स्टाफ को गेट के शीध्र मरम्मत के लिए लिखित सूचना देगा।

13. सामान्य स्थिति केवल सिगनल एवं दूर संचार स्टाफ के मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो देने के बाद ही होगी।

2.9 **<u>समपार फाटक के समीप रेल पथ पर अवरोध</u>** –

यदि किसी रेल का टूटना, रेल पथ पर पेड़ गिरने से कोई अवरोध, सड़क वाहन द्वारा बाधा अथवा कोई अवपथन जो गेटमैन को दिरवाई देता हो तो गेट मैन तथा कार्यरत स्टेशन मास्टर/ **बहेड़ी** मद संख्या 2.7 में वर्णित निर्देश के अनुसार कार्यवाही करेगें यदि कोई अवरोध समपार फाटक को बाधित करता हैं तो गेटमैन सड़क यातायात के लिये सड़क को उस समय तक बन्द ररवेगा जब तक रेल पथ से बाधा हटा नही दिया जाय।

(जे0ए0आज़मी)
मपरिप/इज्जतनगर

(रितेश गुप्ता)
मसिदूई/इज्जतनगर

जारी तिथि लागू तिथि **परिशिष्ट – "क–III"**

बहेड़ी स्टेशन पर स्थित ट्रैफिक समपार फाटक संख्या 28 श्रेणी "स्पेशल" के संचालन हेतु अनुदेश –

1. **विवरण**

1.1 सामान्य –

1	समपार फाटक की संख्या	28/ स्पेशल
2	इन्जीनियरिंग / ट्राफिक	ट्रैफिक
3	अधीन स्टेशन अधी0/रेल पथ निरीक्षक	स्टेशन अधीक्षक/ बहेड़ी
4	किलोमीटर पर स्थित	32 /3-4
5	स्टेशन	बहेड़ी
6	स्टेशन मध्य	बहेड़ी –किच्छा
7	बी0जी0/एम0जी0/एन0जी0	बी0जी0
8	इकहरी / दोहरी / मिश्रित	इकहरी लाइन
9	सामान्य स्थिति	सड़क यातायात के लिए खुला
10	इण्टरलाक्ड/नान इण्टरलाक्ड	इण्टरलाक्ड
11	इण्टरलाकिंग का प्रकार	अप प्रस्थान एवं अप अग्रिम प्रस्थान सिगनलों से इन्टर लाक
12	गेट सिगनलों का प्रावधान किलोमीटर	
(i)	अप साइड	
(ii)	डाउन साइड	
13	संकेतन व्यवस्था	क्लर लाइट सिगनल
14	संचार साधन टेलीफोन/घंटी	टेलीफोन स्टेशन मास्टर/बहेड़ी से
15	समपार फाटक की चौड़ाई	10.00 मीटर
16	सड़क का प्रकार (एन0एच0/एस0एच0/अन्य)	अन्य
17	सड़क का नाम	केसर सुगर मिल रोड
18	पक्का / कच्चा	पक्का
19	पहुॅच मार्ग	नैनीताल रोड
20	सड़क की चौड़ाई	7.50 मीटर
21	सड़क का क्रासिंग कोण (इस्क्यू गेट के लिए)	.
(i)	पूर्व / उत्तर की तरफ	90 डिग्री
(ii)	पश्चिम / दक्षिण की तरफ	90 डिग्री
22	सड़क का ढ़ाल यदि कोई हो	
(i)	पूर्व / उत्तर की तरफ	1 : 30
(ii)	पश्चिम / दक्षिण की तरफ	1 : 30
23	सड़क का प्रकार (सीधा/गोलाई)	
(i)	पूर्व / उत्तर की तरफ	सीधा
(ii)	पश्चिम / दक्षिण की तरफ	सीधा
24	हाइट गेज का प्राविधान	नहीं
25	बैरियर का प्रकार	लिफ्टिंग बैरियर
26	चेक रेल की लम्बाई	9.00 मीटर
27	समपार के मध्य सड़क का सतह	पक्का
28	रम्बल स्ट्रिप / गति अवरोधक की लम्बाई	12.00 मीटर

(के0एस0सोनाल) (बालक राम) (अतुल सिंह)
मपरिप/इज्जतनगर मसिदूई/निर्माण/लखनऊ मसिदूई/इज्जतनगर

29	रोड साइन	उपलब्ध
30	गति अवरोधक बोर्ड	उपलब्ध
31	टी0वी0यू0	54925 अक्टूबर 2010
32	अगली गणना की तिथि	2013
33	पटाखा सिगनल लगाने का निर्दिष्ट स्थान	है
34	गेटमैनो की संरव्या	तीन
35	निकटतम रेलवे सहायता केन्द्र	लालकुआ
36	निकटतम निजी चिकित्सा सहायता की उपलब्धता यदि कोई हो	बहेड़ी
37	उपलब्ध उपकरणों की सूची हॉ / नही	हॉ

1.2 उपकरण –

कम.सं.	सामग्री	संख्या
1	हाथ सिगनल बत्ती K. Oil	02
2	हरी हाथ झंडी	01
3	लाल हाथ झंडी	03
4	बैनर फ्लैग लाल	03
5	लाल बैनर फ्लैग लगाने हेतु पोस्ट	02
6	तालों के साथ अतिरिक्त चेन (जंजीर)	02 (स्टाप डिस्क के साथ)
7	पटाखा सिगनल	10
8	ट्राइ कलर फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प बैट्री लिट	01
9	गेट लैम्प	02
10	टोमीवार	01
11	मोर्टार पैन (तसला)	01
12	फावड़ा/बेल्चा	01
13	दुर्मुठ	01
14	पिक एक्स	01
15	टिन केस झंडी के लिए	01
16	कैन मिटटी के तेल हेतु	01
17	बाल्टी/पानी पीने का बर्तन	01
18	टिन केस मस्टर शीट के लिए	01
19	चश्मों का अतिरिक्त सेट जो चश्मा लगाते है (दृष्टि वाला)	01
20	गेट पर अवरोध की दशा में समपार की संरक्षा हेतु प्रदर्शित डायग्राम	01
21	टोकरी	01
22	सीटी (Thunder Whistle)	01
23	दीवार घड़ी	01
24	छोटी चेन व ताले (बूम लॉकिंग हेतु)	02

(के0एस0सोनाल) मपरिप/इज्जतनगर (बालक राम) मसिदूई/निर्माण/लखनऊ (अतुल सिंह) मसिदूई/इज्जतनगर

1.3. **गेट लाज पर रखे जाने वाले अभिलेख –**

(1) गेट का कार्यकारी अनुदेश हिन्दी में ।

(2) गेटमैन नियम पुस्तिका स्थानीय भाषा में ।

(3) पुस्तकों एवं उपकरणों की सूची

(4) डियूटी रोस्टर ।

(5) गेटमैन का कार्य करने का प्रमाण पत्र ।

(6) गेटमैन का वायोडाटा, नेत्र जांच, प्रारंभिक पुनश्चर्या, संरक्षा कैम्प इत्यादि ।

(7) दुर्घटना रजिस्टर ।

(8) समपार फाटक पर अंतिम गणना का अभिलेख ।

(9) निरीक्षण पुस्तिका ।

(10) जन प्रतिवेदन पुस्तिका ।

1.4 **गेटमैन के कर्तव्य :**

(1) **सावधानी**
गेट मैन सदैव किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिये की जाने वाली त्वरित कार्यवाही के प्रति सावधान रहेगा।

(2) **ट्रेन के समपार फाटक से गुजरते समय फाटक वाले की स्थिति**
ट्रेन के गुजरने की स्थिति में गेट मैन बतायी गयी निम्नलिखित स्थिति में खड़ा रहेगा।

(i) गेट मैन सतर्कता पूर्वक गेटलाज के सामने आती हुयी ट्रेन के तरफ मुॅह करके खड़ा रहेगा।

(ii) दिन में गेट मैन सिमटी हुई दॉये हाथ में लाल झण्डी तथा बायें हाथ में हरी झण्डी डण्डे में लगी हुई लिये रहेगा।

(iii) रात्रि समय में गेट मैन जलती हुयी सफेद हाथ बत्ती लाइन के तरफ दिखाता हुआ खड़ा रहेगा।

(iv) गेट मैन गले में धागे में बांधकर सीटी लटकाये रहेगा।

(3) **गेट मैन की नियमित ड्यूटी**

(i) गेट मैन जब समपार फाटक, आपात स्थिति अथवा अवरोध की स्थिति में रेल पथ पर समपार के दोनों तरफ दिन में लाल बैनर फ्लैग एवं रात्रि में लाल बत्ती निर्धारित स्थान पर लगायेगा।

(ii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि गेट लैम्प को सूर्यास्त से सूर्योदय तक लगातार जलते हुए स्थिति में रखेगा।

(iii) गेट मैन अपनी ड्यूटी निश्चित रूप से ड्यूटी रोस्टर के अनुसार करेगा और जब तक कार्यमुक्त करने हेतु साथी आ न जाये और वह गेट का कार्यभार ग्रहण न कर ले, तब तक गेट मैन गेट छोड़कर नहीं जायेगा। गेट मैन को यदि आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक से हटना अपरिहार्य हो तो वह गेट छोड़ने से पूर्व गेट को सड़क यातायात के लिए बंद करके ताला लगायेगा।

(iv) इन निर्देशों के अतिरिक्त गेट मैन गुजरती हुयी ट्रेन को देखता रहेगा और ट्रेन की संरक्षा हेतु कार्य करने के लिए तत्पर रहेगा।

(जे0ए0आज़मी)
मपरिप/इज्जतनगर

(रितेश गुप्ता)
मसिदूई/इज्जतनगर

(v) गेट मैन गुजरती हुयी सभी ट्रेनों पर पैनी नजर रखेगा जिससे किसी अप्रत्याशित घटना जैसे–हॉट एक्सल (गर्म धुरा), लटकती हुई चैन, लटकती हुई बैट्री, किसी वाहन/वैगन/ट्रेन/बैट्री बाक्स में आग लगी हो, ब्रेक ब्लाक, ब्रेक बीम, सेफ्टी ब्रेकेट, वैक्यूम सिलेन्डर आदि का लटकना, गिरना जिसके कारण ट्रेन की संरक्षा बाधित हो का पता लगाकर आवश्यक कार्यवाही करेगा।

(vi) गेट मैन गार्ड द्वारा लोको पायलट को वाकी–टाकी अथवा किसी अन्य माध्यम से दिये गये संकेतों को दोहराने के लिए तैयार रहेगा।

(vii) समपार फाटक का बैरियर गेट क्षतिग्रस्त अथवा खराब होने की दशा में गेट मैन अतिरिक्त चैन डिस्क एवं तालों का प्रयोग कर सड़क यातायात बंद करेगा।

(viii) गेट मैन अपने गेट की किसी भी खराबी के लिए यथाशीघ्र स्टेशन मास्टर/ **बहेड़ी** , गैंग मैन अथवा रेल पथ निरीक्षक को सूचित करेगा।

(ix) जब गेट मैन अपने कार्य पर रहेगा तो वह निर्धारित वर्दी एवं बैज धारण करेगा।

(x) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि ड्यिूटी के समय उसके पास दक्षता प्रमाण पत्र उपलब्ध है।

(xi) गेटमैन, गेट संचालन नियमों के अनुरूप कार्य करेगा तथा नियमों के बारे में पूर्णरूपेण जानकारी रखेगा।

(xii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि उसके गेट पर आपूर्ति किये गये सभी उपकरण अच्छी स्थिति में है एवं तत्काल प्रयोग हेतु तैयार है।

(xiii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि समपार पर चैक रेल गैप साफ है।

(xiv) गेट मैन समपार फाटक की सड़क को (कच्ची सड़क) पानी छिड़ककर एवं दुरमुट से ठोककर ठीक रखेगा।

(xv) गेट मैन सड़क प्रयोगकर्ताओं की, गेट को बंद रखने की स्थिति से उत्पन्न असुविधाओं के प्रति सतर्क रहेगा तथा ध्यान देगा कि समपार फाटक कम से कम समय के लिए बन्द हो।

(xvi) जहां तक संभव हो गेट मैन मनुष्यों, वाहनों अथवा जानवरों के अवैध आवागमन पर रोक लगायेगा।

(4) **ट्रेन की असामान्य स्थिति में किया जाने वाला कार्य**

यदि गेटमैन किसी पास हो रही गाड़ी में कोई असामान्य बात देखता है तो वह निम्न कार्य करेगा

(i) वह तत्काल ही लोको पायलट/गार्ड को दिन में लाल झण्डी तथा रात में लाल बत्ती दिखाकर सचेत करेगा ।

(ii) साथ ही साथ लोको पायलट/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिए लगातार सीटी बजायेगा, चिल्लायेगा, असामान्य हाव–भाव प्रदर्शित करेगा तथा ब्रेकवान पर पत्थर फेकेगा अथवा कोई अन्य साधन अपनायेगा।

(iii) यदि लोको पायलट/गार्ड उपरोक्त कार्यों के उपरांत भी ध्यान नहीं देते हैं तो वह स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी** को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुए तो तद्नुसार कार्यवाही करने हेतु सूचित करेगा।

(iv) किसी ट्रेन के विभक्त (पार्टिंग) हो जाने की दशा में गेट मैन रोक हैण्ड सिगनल (लाल) नहीं दिखायेगा बल्कि वह दिन में हरी झन्डी तथा रात में सफेद बत्ती ऊपर–नीचे करके निर्धारित संकेत करेगा।

(के0एस0सोनाल)	(बालक राम)	(अतुल सिंह)
मपरिप/इज्जतनगर	मसिदूई/निर्माण/लखनऊ	मसिदूई/इज्जतनगर

(v) वह लोको पायलट/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास लगातार सीटी बजाकर, चिल्लाकर, असामान्य हाव–भाव प्रदर्शित करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाकर तुरन्त दोनों हाथों को अलग करके पुनः दोनों हाथों को सटाते हुए पुनः हाथों को बिल्कुल नीचे करते हुए करेगा।

(vi) ऐसा करने से यदि ट्रेन नहीं रूकती है तो गेटमैन तुरन्त टेलीफोन पर स्टेशन मास्टर/ **बहेड़ी** को उचित कार्यवाही करने हेतु गोपनीय संख्या के आदान–प्रदान के अन्तर्गत इसकी सूचना देगा।

(5) **आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक पर की जाने वाली कार्यवाही**

(i) समपार फाटक पर कोई अवरोध आ जाने पर वह लाइन पर दोनों तरफ दिन में लाल बैनर फ्लैग एवं रात्रि में लाल बत्ती निर्धारित स्थान पर लगायेगा।

(ii) इसके उपरान्त यदि गेट मैन अवरोध हटाने में सक्षम नहीं है तो वह स्टेशन मास्टर/ **बहेड़ी** को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुए गेट की खराबी/अवरोध के बारे में तत्काल सूचित करेगा।

(iii) यदि दो या तीन प्रयासों के बाद भी स्टेशन मास्टर/ **बहेड़ी** कोई प्रत्युत्तर नहीं देते है तो गेट मैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के बाद पुनः टेलीफोन से सूचित करेगा।

1.5 **गेट मैन गेट की संरक्षा (बचाव) निम्नलिखित अनुसार करेगा**

(अ) **इकहरी लाइन पर**

(i) गेट मैन दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती 5 मीटर दूर निर्धारित पोस्ट पर सर्वप्रथम उस तरफ लगा देगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना है।

(ii) इसके पश्चात उसी तरह दिन में दूसरा लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती लाइन की दूसरी ओर अवरोध से 5 मीटर की दूरी पर लगायेगा।

(iii) गेट मैन तब पटाखे, और दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल ट्राइ कलर फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प लेकर गेट को संरक्षित करने के लिये आगे बढ़ेगा।

(iv) गेट मैन दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल ट्राई कलर फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प दिखाते हुये पहले उस दिशा में बढ़ेगा जिधर से ट्रेन के आने की सम्भावना है तब समपार/अवरोध से 600 मीटर पर एक पटाखा लगा देगा उसके पश्चात वह समपार/अवरोध से 1200 मीटर की दूरी पर तीन पटाखे 10–10 मीटर की दूरी पर लगायेगा। इस प्रकार लाइन को संरक्षित करने के उपरान्त वह समपार पर लौटते हुये पूर्व में 600 मीटर पर लगाये गये पटाखा उठा लेगा।

(v) इसके बाद वह लाल झण्डी दिखाते हुये उसी प्रकार जेसा क्रमांक (iv) में वर्णित है लाइन की दूसरी तरफ पटाखा लगायेगा तथा समपार की तरफ लौटते हुये बीच का पटाखा उठा लेगा।

(vi) समपार गेट पर लौटने के पश्चात गेट मैन अवरोध को हटाने तथा आने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सचेत करने का प्रयास करेगा।

(vii) उन परिस्थितियों में जब गेट मैन रास्ते में ही है और निर्दिष्ट स्थानों पर जहॉ पटाखे लगाये जाते हैं, पहॅुचने के पूर्व ही वह ट्रेन को आते देखता है अथवा ट्रेन की आवाज सुनाई पड़ती है तो वह जहॉ तक पहॅुच सकता है उसी स्थान पर पटाखा लगा देगा।

(viii) उसके उपरान्त गेट मैन आने वाली ट्रेन के लोको पायलट को गेट मैन दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल ट्राइ कलर फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प दिखाकर सचेत करेगा / रोकेगा।

(ब) **गेट मैन द्वारा किये जाने वाली अन्य कार्यवाही**

(i) यदि समपार गेट किसी वाहन द्वारा तोड़ दिया जाता है और वाहन ट्रैक को बाधित कर रहा है, या बैरियर गेट का अन्य कोई भाग ट्रैक को बाधित कर रहा है या गेट पर अन्य कोई अवरोध है तो गेट मैन तुरन्त कार्यवाही करेगा।

(ii) गेट मैन सड़क वाहन का विवरण लिखेगा जैसे—वाहन संख्या, ड्राइवर का नाम, मालिक का नाम और गेट मैन स्टेशन मास्टर – **बहेड़ी** को किसी संदेशवाहक या अन्य उपलब्ध संसाधनों के द्वारा सूचित करेगा।

2. **समपार फाटक के संचालन हेतु विशेष अनुदेश** –

2.1 **संचालन पद्धति** –

समपार फाटक को सड़क यातायात के विरूद बंद करने के लिए कार्यरत गेटमैन विंच को तब तक संचालित करेगा जब तक कि बैरियर नीचे आकर समतल स्थिति में बूम पोस्ट पर स्थिर न हो जायें। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर के बीच में कोई सड़क वाहन न फॅस जाए। विंच को इस स्थिति में लाक करने के लिए 'ई' प्रकार के लाक से चाभी **पी–1** को घुमाकर निकाल लेगा तथा इसे बूम लाक लीवर संख्या 1 पर लगे 'ई' प्रकार के लाक में चाबी **पी–1** लगाकर क्लाक वाइज घुमाएगा जो लीवर को मुक्त करेगी। लीवर को विपरीत दिशा में खींचनें से बूमों को क्षैतिजीय स्थिति में पाशित करेगा। '**पी**' चाबी बूम **KLCR** से निकालने के बाद सिरे पर पेल्डिंग एवं रिवीट की हुई ज्ञस्ब्ट चाबी को गेट लाज में लगे **KLCR** में लगाकर क्लाक वाइज घुमाऐगा जिससे स्टेशन मास्टर पैनल पर प्रदत्त इस गेट के बन्द होने की पुष्टि स्वरूप एक इंडिकेशन मिलेगा।

गाड़ी के पूरी तरह गुजर जाने के बाद गेट लॉज में प्रदत्त KLCR पर लगे लाक फ्री इंडिकेशन मिलने के बाद KLCR पर लगे बटन को दबाकर मैन चाबी 'पी' को KLCR से एण्टि क्लाक वाइज घुमाकर निकाल लेगा। 'पी' चाबी को बूम लाक लीवर को सामान्य अवस्था में करके चाबी '**पी–1**' निकाल लेगा जिसे विंच में लगाकर विंच को उल्टी दिशा में तब तक संचालित करेगा जब तक कि बूम लम्बवत न खड़ा हो जाये।

गाड़ी के सम्भावित आगमन और प्रस्थान से पहले 10 मिनट से अधिक समय तक फाटक को बन्द नही रखना चाहिए। किसी भी मामले में समपार फाटक लगातार 12 मिनट से अधिक समय तक बन्द नही रखना चाहिए।

2.2 **गेट मैन को सूचित करना गेट मैन को सूचित करना** :–

1. कार्यरत स्टेशन मास्टर / **बहेड़ी,** किसी डाउन के लिये आगमन अथवा अप गाड़ी के लिये प्रस्थान सिगनल आफ करने से पहले गेटमैन को टेलीफोन द्वारा गाड़ी का नम्बर, विवरण, दिशा तथ गेट से गाड़ी पास होने का सम्भावित समय बतायेगा ।

स्टेशन मास्टर / गेटमैन इन सूचनाओं की प्रविष्टि अपनी लॉग–बुक में निम्न प्रकार करेगा –

स्टेशन मास्टर की लॉग बुक :-

तिथि	गाड़ी सं0	गेटमैन को सूचित करने का समय	स्टेशन मास्टर का हस्ताक्षर
1	2	3	4

(जे0ए0आज़मी)
मपरिप / सा0/इज्जतनगर

(रितेश गुप्ता)
मसिदूई/इज्जतनगर

गेटमैन की लाग बुक

`तिथि	गाड़ी सं0	गेटमैन द्वारा गेट बन्द करने / की – ट्रॉसमिट करने का समय	समपार से पूरी गाड़ी गुजरने का वास्तविक समय / गेट खोलने का समय	गेटमैन का हस्ताक्षर	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6

2. गेटमैन गेट को बन्द करके चाबी स्टेशन मास्टर–**बहेड़ी** को हस्तान्तरित करेगा।

3. इसके बाद स्टेशन मास्टर/ **बहेड़ी** द्वारा आगमन अथवा प्रस्थान सिगनलों को आफ किया जायेगा।

4. सड़क यातायात को अधिक विलम्ब न हो यह सुनिश्चित करने के लिये स्टेशन मास्टर– **बहेड़ी** गेटमैन को गेट बन्द करने के लिये तभी सूचित करेगा जब वह यह सुनिश्चित कर लेगा कि गाड़ी प्रस्थान के लिये पूर्णतया तैयार है।

5. जब किसी गाड़ी को स्टेशन से / को पायलट करना हो अथवा कोई शंटिंग मूवमेन्ट करना करना हो तो गाड़ी पायलट करने अथवा शंटिंग कार्य के लिये नियुक्त कर्मचारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह समपार फाटक पार करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि फाटक सड़क यातायात के विरूध्द बन्द है।

2.3 **<u>टेलीफोन संचार की विफलता</u> :–**

जब टेलिफोन संचार विफल हो जाय अथवा दो या तीन प्रयास के बाद भी गेटमैन के तरफ से कोई प्रत्युत्तर न प्राप्त हो तो कार्यरत स्टेशन मास्टर–**बहेड़ी** निम्न कार्यवाही करेगा :–

1 कार्यरत स्टेशन मास्टर/ **बहेड़ी** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े। बड़ी लाइन की गाड़ियों के लिये यदि गेट सिगनल आन हैं तो ड्राइवर गेट सिगनल के पहले गाड़ी रोककर सामान्य नियम 3.73 के अनुसार कार्यवाही करेगा।

2 कार्यरत स्टेशन मास्टर/ **बहेड़ी** स्टेशन मास्टर/**किच्छा** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि टेलीफोन रवराब है।

3 तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/**किच्छा** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेटमैन के हाथ संकेत का पालन करते हुए गेट की तरफ आगे बढ़े।

4. लोको पायलट को गेटमैन द्वारा हाथ संकेत देने पर समपार फाटक को सतर्कता पूर्वक पार करने का निर्देश दिया जायेगा। यदि हाथ सिगनल संकेत नही दिखायी देता हैं तो लोको पायलट को समपार गेट के पहले रूककर अपने सहायक लोको पायलट को समपार फाटक की स्थिति जानने के लिये भेजेगा। यदि समपार फाटक बन्द हैं तो सहायक लोको पायलट 'सभी ठीक है' सिगनल देगा और यदि समपार फाटक बन्द नही हैं तो सहायक लोको पायलट समपार फाटक को अवश्य बन्द करेगा और तब 'सभी ठीक है' संकेत देगा। सहायक लोको पायलट की अनुपस्थिति में लोको पायलट गार्ड की सहायता लेगा।

5 कार्यरत स्टेशन मास्टर/ **बहेड़ी** गेटमैन को भी गैंग मैन/पेट्रोल मैन/प्रथम गाड़ी के लोको पायलट द्वारा टेलीफोन रवराब होने की सूचना देगा।

(के0एस0सोनाल)	(बालक राम)	(अतुल सिंह)
मपरिप/इज्जतनगर	मसिदूई/निर्माण/लखनऊ	मसिदूई/इज्जतनगर

6 कार्यरत स्टेशन मास्टर/ **बहेड़ी** सिगनल एवं दूरसंचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीध्र टेलीफोन ठीक करने के लिए सूचना देगा।

7 सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब सिगनल एवं दूरसंचार विभाग टेलीफोन ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

8 इन्टरलाक गेट होने के कारण यदि पैनल पर गेट बन्द होने का इंडिकेशन नहीं मिलता है तो गेटमैन को किसी सक्षम कर्मचारी द्वारा सूचना भेजकर गेट बन्द कराया जायेगा अथवा छोटी लाइन की गाड़ियॉ पायलट की जायेगी।

2.4 **<u>लिफ्टिंग बैरियर या बूम लॉकिंग की विफलता</u>** –

1. जब लिफ्टिंग बैरियर गेट रवराब हो जाने के कारण गेट बन्द न किया जा सके तो गेटमैन तुरन्त प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करके कार्य पर उपस्थित स्टेशन मास्टर/ **बहेड़ी** को सूचित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर रेल पथ को बाधित नही कर रहा हैं।
2. बूम लॉकिंग विफल होने पर इस सम्बन्ध में प्रदत्त छोटी चेन को प्रत्येक बूम पर बूम पोस्ट से बांध कर बूम को लॉक करेगा।
3. गेटमैन तुरन्त दिन में लाल बैनर फलैग एवं रात्रि में लाल बत्ती समपार पर निर्दिष्ट स्थान (पोस्ट) पर सर्वप्रथम उस तरफ लगायेगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना हो तदोपरान्त समपार के दूसरी तरफ लगायेगा।
4. सड़क यातायात को सुरक्षित करने के उपरान्त गेटमैन दिन के समय हत्थेदार हरी झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती आती हुयी गाड़ी के ड्राइवर को दिरवायेगा।
5. कार्यरत स्टेशन मास्टर/ **बहेड़ी** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए गेटमैन के हाथ सिगनल का पालन करते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
6. जब गाड़ी **किच्छा** की तरफ से आने वाली है, तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/ **बहेड़ी** स्टेशन मास्टर–**किच्छा** को प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान के द्वारा सूचित करेगा कि टेलीफोन खराब है।
7. तत कार्यरत स्टेशन मास्टर–**किच्छा** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए गेटमैन के हाथ सिगनल का पालन करते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
8. कार्यरत स्टेशन मास्टर/ **बहेड़ी** सिगनल एवं दूर संचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीध्र लिफ्टिंग बैरियर ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।
9. सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब सिगनल एवं दूर संचार विभाग बैरियर को ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

2.5 **<u>गेट की चाबी गेट के बन्द स्थिति में विफल हो जाना जब चाबी गेट खोलने के लिये KLCR से बाहर न निकाली जा सके</u>** –

1. जब गेट चाबी गेट के बन्द स्थिति में KLCR से बाहर नही निकाला जा सकता तब गेटमैन तुरन्त कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान के अर्न्तगत टेलीफोन पर सूचित करेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर/ **बहेड़ी** स्टेशन पैनल कक्ष में स्थापित पार्किंग एस0के0टी0 से आपातकलीन चाबीद 'पीई' निकाल कर समपार फाटक पर भेजेगा तथा स्टेशन मास्टर निम्न लाग रजिस्टर में इन्दराज करेगा।

क्रम सं0	दिनांक	गेट संख्या	चाबी संख्या	चाबी भेजने का समय	प्रयोग के कारण
1	2	3	4	5	6

2. गेटमैन चाबी'पीई' बूम लाक लीवर में लगाकर बूम को अनलाक करेगा तथा पैरा 2.1 में वर्णित विधि से समपार फाटक को खोलेगा।

(जे0ए0आज़मी)
मपरिप/सा0/इज्जतनगर

(रितेश गुप्ता)
मसिदूई/इज्जतनगर

3. इस स्थिति में गेट को नान–इन्टरलाक समझा जायेगा और उसी के अनुसार कार्यवाही करना चाहिए।
4. कार्यरत स्टेशन मास्टर– **बहेड़ी** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करेगा।
5. कार्यरत स्टेशन मास्टर– **बहेड़ी**, कार्यरत स्टेशन मास्टर–**किच्छा** को प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करके सूचित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर खराब है। तब कार्यरत स्टेशन मास्टर–**किच्छा** गेट के तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ियों के लिये सतर्कता आदेश जारी करकि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
6. कार्यरत स्टेशन मास्टर/ **बहेड़ी** सिगनल एवं दूर संचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीध्र लिफ्टिंग बैरियर ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।
7. सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब सिगनल दूर संचार विभाग बैरियर को ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

2.6 **गेट की चाबी गेट के खुली स्थिति में विफल हो जाना :–**

1. जब गेट की चाबी विंच से बाहर निकाली जा सके तब गेट मैन तुरन्त कार्यरत स्टेशन मास्टर– **बहेड़ी** को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुए सूचित करेगा।
2. इस परिस्थिति में गेट को नान–इन्टरलाक समझा जायेगा और उसी के अनुसार कार्यवाही करना चाहिए।
3. गेटमैन चेन एवं तालों द्वारा गेट को बन्द कर देगा तथा गाड़ियों को हाथ संकेत द्वारा पास करेगा।
4. कार्यरत स्टेशन मास्टर– **बहेड़ी** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करेगा।
5. कार्यरत स्टेशन मास्टर–**बहेड़ी**, कार्यरत स्टेशन मास्टर–**किच्छा** को प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करके सूचित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर खराब है। तब कार्यरत स्टेशन मास्टर–**किच्छा** गेट के तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ियों के लिये सतर्कता आदेश जारी करकि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
6. कार्यरत स्टेशन मास्टर/ **बहेड़ी** सिगनल एवं दूर संचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीध्र लिफ्टिंग बैरियर ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।
7. सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब सिगनल एवं दूर संचार विभाग बैरियर को ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

2.7 **समपार फाटक पर अवरोध** –

1. यदि कोई सड़क वाहन समपार फाटक को तोड़कर रेल पथ को बाधित कर रहा है या लिफ्टिंग बैरियर या गेट का कोई अन्य भाग रेल पथ को बाधित कर रहा है या यदि अन्य कोई बाधा गेट पर है तो गेटमैन तत्काल **आपात कालिन स्वीच के द्वारा गेट रक्षित करने वाले सिगनल को आन स्थिति में कर देगा।** जिसकी विधि निम्न प्रकार है –

   आपात कालिन स्विचः–आपात कालिन समय में गेट रक्षित करने वाले सिगनलो को आफ से आन स्थिति करने के लिए समपार संख्या **28/Spl** पर एक स्विच का प्रावधान है। यह स्विच एक ग्लास लगे सील बन्द केस में लगा है आपात स्थिति में गेट मैन रक्षित सिगनलो को आन करने के लिए गेटमैन ग्लास केस के सामने लगे शीशे को तोड़कर स्विच को धुमायेगा। ऐसा करने से सिगनल आन होग जायेगा। गेटमैन इसका विवरण पैरा 2.2 में दिये गये लाग रजिस्टर के रिमार्क कालम सं0 6 में अंकित करेगा तत्पश्चात कार्यरत स्टेमा0 को सूचित करेगा। आपात स्थिति समाप्त हो जाने के बाद गेटमैन को स्विच को नार्मल कर देगा तथा ग्लास केस में लगे ग्लास को बदल कर S&T द्वारा पुनः सील कर दिया जायेगा।

2 समपार के दोनो तरफ आवश्यकता हेतु पोस्टो पर दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती लगाएगा।

(जे0ए0आज़मी)
मपरिप/सा0/इज्जतनगर

(रितेश गुप्ता)
मसिदूई/इज्जतनगर

3. इसके तुरन्त बाद ही गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर/ **बहेड़ी** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए अवरोध के बारे में सूचित करेगा।
4. यदि दो या तीन प्रयासो के बाद भी कार्यरत स्टेशन मास्टर/ **बहेड़ी** से कोई प्रत्युतर नही प्राप्त होता हैं तो गेटमैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के उपरान्त टेलीफोन द्वारा सूचित करेगा।
5. गेटमैन पटाखा एवं दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल ट्राइ कलर फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प लेकर तेजी से उस तरफ आगे बढ़ेगा जिस तरफ से गाड़ी का आगमन संभावित हैं, तथा रेल पथ को 'गेट मैनो' की कार्य प्रणाली सामान्य निर्देश के मद संरव्या 1.5 के अनुसार संरक्षित करेंगा।
6. तदोपरान्त गेटमैन गेट को दूसरी तरफ संरक्षित करेगा।
7. गेटमैन सड़क वाहन के विवरणों चालक का नाम सड़क वाहन के मालिक का नाम लिरवकर स्टेशन मास्टर/ **बहेड़ी** को सूचित करेगा तथा स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी** तब तक गाड़ी को नही चलायेगा जब तक गेटमैन सुनिश्चित नहीं कर देता है कि सड़क यातायात या लिफ्टिंग बैरियर रेल पथ को बाधित नही कर रहे है।
8. कार्यरत स्टेशन मास्टर/ **बहेड़ी** कार्यरत स्टेशन मास्टर/**किच्छा** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि वह अपने तरफ से कोई गाड़ी ब्लाक खण्ड में न भेजे जब तक रेल पथ से बाधा हटा न दिया जाय।
9. रेल पथ से बाधा हटा दिये जाने के बाद गेटमैन प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए कार्यरत स्टेशन मास्टर/ **बहेड़ी** को सूचित
10. तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी** सभी गाड़ियों के लोको पायलट को सर्तकता पूर्वक जाने एवं गेटमैन द्वारा हाथ सिगनल (हरा संकेत) देने पर सावधानी पूर्वक पार करने हेतु सर्तकता आदेश जारी करेगा। यदि गेट टूटा हो परन्तु गेट पर कोई व्यवधान न हो।
11. गेटमैन समपार फाटक को संरक्षा चेन एवं तालों द्वारा सड़क यातायात के लिसे संरक्षित करेगा तथा उसके बाद यदि समपार फाटक पर कोई व्यवधान नहीं है तो गेटमैन दिन के समय हत्थेदार हरी झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती गुजरती हुयी गाडियो को दिरवायेगा।
12. कार्यरत स्टेशन मास्टर– **बहेड़ी** जिम्मेदार सिगनल एवं दूर संचार स्टाफ को गेट के शीध्र मरम्मत के लिए लिखित सूचना देगा।
13. सामान्य स्थिति केवल सिगलन एवं दूर संचार स्टाफ के मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो देने के बाद ही होगी।

2.8 **समपार फाटक के समीप रेल पथ पर अवरोध** –

यदि किसी रेल का टूटना, रेल पथ पर पेड़ गिरने से कोई अवरोध, सड़क वाहन द्वारा बाधा अथवा कोई अवपथन जो गेटमैन को दिरवाई देता हो तो गेट मैन तथा कार्यरत स्टेशन मास्टर/ **बहेड़ी** मद संख्या 2.7 में वर्णित निर्देश के अनुसार कार्यवाही करेगें यदि कोई अवरोध समपार फाटक को बाधित करता हैं तो गेटमैन सड़क यातायात के लिये सड़क को उस समय तक बन्द ररवेगा जब तक रेल पथ से बाधा हटा नही दिया जाय।

———————————————

(जे0ए0आज़मी)
मपरिप/सा0/इज्जतनगर

(रितेश गुप्ता)
मसिदूई/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची संख्या 1 सम्मिलित है। 1　　　　　गेट संख्या 29/C
संचालन नियम संख्या इज्जत/50　　　　　बहेड़ी
जारी तिथि　　　　　लागू तिथि

परिशिष्ट – ''क–IV''

बहेड़ी –किच्छा स्टेशनों के मध्य स्थित इंजी0 समपार फाटक संख्या 29 श्रेणी ''सी'' के संचालन हेतु अनुदेश –

1. **विवरण**

1.1 सामान्य –

1	समपार फाटक की संख्या	29/ सी
2	इन्जीनियरिंग / ट्राफिक	इंजीनियरिंग
3	अधीन स्टेशन अधी0/रेल पथ निरीक्षक	से0ई0(रेल पथ)/भोजीपुरा
4	किलोमीटर पर स्थित	32 /8-9
5	स्टेशन	बहेड़ी
6	स्टेशन मध्य	बहेड़ी – किच्छा
7	बी0जी0/एम0जी0/एन0जी0	बी0जी0
8	इकहरी / दोहरी / मिश्रित	इकहरी लाइन
9	सामान्य स्थिति	सड़क यातायात के लिए खुला
10	इण्टरलाक्ड/नान इण्टरलाक्ड	नान–इण्टरलाक्ड
11	इण्टरलाकिंग का प्रकार	..
12	गेट सिगनलों का प्रावधान किलोमीटर	
(i)	अप साइड	--
(ii)	डाउन साइड	----
13	संकेतन व्यवस्था	....
14	संचार साधन टेलीफोन / घन्टी	टेलीफोन स्टेशन मास्टर/बहेड़ी से
15	समपार फाटक की चौड़ाई	7.50 मीटर
16	सड़क का प्रकार (एन0एच0/एस0एच0/अन्य)	अन्य
17	सड़क का नाम	म्यूनिसिपिल बहेड़ी रोड
18	पक्का / कच्चा	पक्का
19	पहुँच मार्ग	नैनीताल रोड
20	सड़क की चौड़ाई	5.50 मीटर
21	सड़क का क्रासिंग कोण (इस्क्यू गेट के लिए)	.
(i)	पूर्व / उत्तर की तरफ	90 डिग्री
(ii)	पश्चिम / दक्षिण की तरफ	90 डिग्री
22	सड़क का ढ़ाल यदि कोई हो	
(i)	पूर्व / उत्तर की तरफ	1 : 30
(ii)	पश्चिम / दक्षिण की तरफ	1 : 30
23	सड़क का प्रकार (सीधा/गोलाई)	
(i)	पूर्व / उत्तर की तरफ	सीधा
(ii)	पश्चिम / दक्षिण की तरफ	सीधा
24	हाइट गेज का प्राविधान	.
25	बैरियर का प्रकार	लिफ्टिंग बैरियर
26	चेक रेल की लम्बाई	9.50 मीटर
27	समपार के मध्य सड़क का सतह	समतल
28	रम्बल स्ट्रिप / गति अवरोधक की लम्बाई	.. .

(अतुल सिंह)　　(के0एस0सोनाल)　　(बालक राम)　　(नानक चन्द)
मसिदूई/इज्जतनगर　　मपरिप्र/इज्जतनगर　　मसिदूई/निर्माण/लखनऊ　　मण्डल इंजी0/इज्जतनगर

29	रोड साइन	उपलब्ध
30	गति अवरोधक बोर्ड	उपलब्ध
31	टी0वी0यू0	9282 अक्टूबर 2010
32	अगली गणना की तिथि	2013
33	पटाखा सिगनल लगाने का निर्दिष्ट स्थान	है
34	गेटमैनो की संरव्या	दो
35	निकटतम रेलवे सहायता केन्द्र	लालकुआ
36	निकटतम निजी चिकित्सा सहायता की उपलब्धता यदि कोई हो	बहेड़ी
37	उपलब्ध उपकरणों की सूची हॉ / नही	हॉ

1.2 उपकरण –

कम.सं.	समग्री	संख्या
1	हाथ सिगनल बत्ती K. Oil	02
2	हरी हाथ झंडी	01
3	लाल हाथ झंडी	03
4	बैनर फ्लैग लाल	03
5	लाल बैनर फ्लैग लगाने हेतु पोस्ट	02
6	तालों के साथ अतिरिक्त चेन (जंजीर)	02 (स्टाप डिस्क के साथ)
7	पटाखा सिगनल	10
8	ट्राइ कलर फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प बैट्री लिट	01
9	गेट लैम्प	02
10	टोमीवार	01
11	मोर्टार पैन (तसला)	01
12	फावड़ा / बेलचा	01
13	छुर्मुठ	01
14	पिक एक्स	01
15	टिन केस झंडी के लिए	01
16	कैन मिटटी के तेल हेतु	01
17	बाल्टी/पानी पीने का बर्तन	01
18	टिन केस मस्टर शीट के लिए	01
19	चश्मों का अतिरिक्त सेट जो चश्मा लगाते है (दृष्टि वाला)	01
20	गेट पर अवरोध की दशा में समपार की संरक्षा हेतु प्रदर्शित डायग्राम	01
21	टोकरी	01
22	सीटी (Thunder Whistle)	01
23	दीवार घड़ी	01
24	छोटी चेन व ताले (बूम लॉकिंग हेतु)	02

(अतुल सिंह)	(के0एस0सोनाल)	(बालक राम)	(नानक चन्द)
मसिदूई/इज्जतनगर	मपरिप्र/इज्जतनगर	मसिदूई/निर्माण/लखनऊ	मण्डल इंजी0/इज्जतनगर

1.3. **गेट लाज पर रखे जाने वाले अभिलेख** –

(1) गेट का कार्यकारी अनुदेश हिन्दी में ।

(2) गेटमैन नियम पुस्तिका स्थानीय भाषा में ।

(3) पुस्तकों एवं उपकरणों की सूची

(4) डियूटी रोस्टर ।

(5) गेटमैन का कार्य करने का प्रमाण पत्र ।

(6) गेटमैन का वायोडाटा, नेत्र जांच, प्रारंभिक पुनश्चर्या, संरक्षा कैम्प इत्यादि ।

(7) दुर्घटना रजिस्टर ।

(8) समपार फाटक पर अंतिम गणना का अभिलेख ।

(9) निरीक्षण पुस्तिका ।

(10) जन प्रतिवेदन पुस्तिका ।

1.4 **गेटमैन के कर्तव्य :**

(1) **सावधानी**

गेट मैन सदैव किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिये की जाने वाली त्वरित कार्यवाही के प्रति सावधान रहेगा। समपार फाटक की चाभी गेटमैन के व्यक्तिगत कब्जे में रहेगी।

(2) **ट्रेन के समपार फाटक से गुजरते समय फाटक वाले की स्थिति**

ट्रेन के गुजरने की स्थिति में गेट मैन बतायी गयी निम्नलिखित स्थिति में खड़ा रहेगा।

(i) गेट मैन सतर्कता पूर्वक गेटलाज के सामने आती हुयी ट्रेन के तरफ मुँह करके खड़ा रहेगा।

(ii) दिन में गेट मैन दॉये हाथ में लाल झण्डी तथा बायें हाथ में हरी झण्डी डण्डे में लगी हुई मोड़कर लिये रहेगा।

(iii) रात्रि समय में गेट मैन जलती हुयी सफेद हाथ बत्ती लाइन के तरफ दिखाता हुआ खड़ा रहेगा।

(iv) गेट मैन गले में धागे में बांधकर सीटी लटकाये रहेगा।

(3) **गेट मैन की नियमित ड्यूटी**

(i) गेट मैन जब समपार फाटक सड़क यातायात के लिये खुला हुआ हो तो रेल पथ पर समपार के दोनों तरफ दिन में लाल बैनर फ्लैग एवं रात्रि में लाल बत्ती निर्धारित स्थान पर लगायेगा।

(ii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि गेट लैम्प को सूर्यास्त से सूर्योदय तक लगातार जलते हुए स्थिति में रखेगा।

(iii) गेट मैन अपनी ड्यूटी निश्चित रूप से ड्यूटी रोस्टर के अनुसार करेगा और जब तक कार्यमुक्त करने हेतु साथी आ न जाये और वह गेट का कार्यभार ग्रहण न कर ले, तब तक गेट मैन गेट छोड़कर नहीं जायेगा। गेट मैन को यदि आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक से हटना अपरिहार्य हो तो वह गेट छोड़ने से पूर्व गेट को सड़क यातायात के लिए बंद करके ताला लगायेगा।

(अतुल सिंह)	(के0एस0सोनाल)	(बालक राम)	(नानक चन्द)
मसिदूई/इज्जतनगर	मपरिप्र/इज्जतनगर	मसिदूई/निर्माण/लखनऊ	मण्डल इंजी0/इज्जतनगर

(iv) इन निर्देशों के अतिरिक्त गेट मैन गुजरती हुयी ट्रेन को देखता रहेगा और ट्रेन की संरक्षा हेतु कार्य करने के लिए तत्पर रहेगा।

(v) गेट मैन गुजरती हुयी सभी ट्रेनों पर पैनी नजर रखेगा जिससे किसी अप्रत्याशित घटना जैसे–हॉट एक्सल (गर्म धुरा), लटकती हुई चैन, लटकती हुई बैट्री, किसी वाहन/वैगन/ट्रेन/बैट्री बाक्स में आग लगी हो, ब्रेक ब्लाक, ब्रेक बीम, सेफ्टी ब्रेकेट, वैक्यूम सिलेन्डर आदि का लटकना, गिरना जिसके कारण ट्रेन की संरक्षा बाधित हो का पता लगाकर आवश्यक कार्यवाही करेगा।

(vi) गेट मैन गार्ड द्वारा लोको पायलट को वाकी–टाकी अथवा किसी अन्य माध्यम से दिये गये संकेतों को दोहराने के लिए तैयार रहेगा।

(vii) समपार फाटक का बैरियर गेट क्षतिग्रस्त अथवा खराब होने की दशा में गेट मैन अतिरिक्त चैन डिस्क एवं तालों का प्रयोग कर सड़क यातायात बंद करेगा।

(viii) गेट मैन अपने गेट की किसी भी खराबी के लिए यथाशीघ्र **स्टेशन मास्टर/बहेड़ी** गैंग मेट अथवा रेल पथ निरीक्षक को सूचित करेगा।

(ix) जब गेट मैन अपने कार्य पर रहेगा तो वह निर्धारित वर्दी एवं बैज धारण करेगा।

(x) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि ड्यिूटी के समय उसके पास दक्षता प्रमाण पत्र उपलब्ध है।

(xi) गेटमैन, गेट संचालन नियमों के अनुरूप कार्य करेगा तथा नियमों के बारे में पूर्णरूपेण जानकारी रखेगा।

(xii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि उसके गेट पर आपूर्ति किये गये सभी उपकरण अच्छी स्थिति में है एवं तत्काल प्रयोग हेतु तैयार है।

(xiii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि समपार पर चैक रेल गैप साफ है।

(xiv) गेट मैन समपार फाटक की सड़क को (कच्ची सड़क) पानी छिड़ककर एवं दुरमुट से ठोककर ठीक रखेगा।

(xv) गेट मैन सड़क प्रयोगकर्ताओं की, गेट को बंद रखने की स्थिति से उत्पन्न असुविधाओं के प्रति सतर्क रहेगा तथा ध्यान देगा कि समपार फाटक कम से कम समय के लिए बन्द हो।

(xvi) जहां तक संभव हो गेट मैन मनुष्यों, वाहनों अथवा जानवरों के अवैध आवागमन पर रोक लगायेगा।

(4) <u>ट्रेन की असामान्य स्थिति में किया जाने वाला कार्य</u>

यदि गेटमैन किसी पास हो रही गाड़ी में कोई असामान्य बात देखता है तो वह निम्न कार्य करेगा

(i) वह तत्काल ही लोको पायलट/गार्ड को दिन में लाल झण्डी तथा रात में लाल बत्ती दिखाकर सचेत करेगा ।

(ii) साथ ही साथ लोको पायलट /गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिए लगातार सीटी बजायेगा, चिल्लायेगा, असामान्य हाव–भाव प्रदर्शित करेगा तथा ब्रेकवान पर पत्थर फेकेगा अथवा कोई अन्य साधन अपनायेगा।

(iii) यदि लोको पायलट/गार्ड उपरोक्त कार्यों के उपरांत भी ध्यान नहीं देते हैं तो वह **स्टेशन मास्टर/बहेड़ी** को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुए तो तद्नुसार कार्यवाही करने हेतु सूचित करेगा।

(अतुल सिंह)	(के0एस0सोनाल)	(बालक राम)	(नानक चन्द)
मसिदूई/इज्जतनगर	मपरिप्र/इज्जतनगर	मसिदूई/निर्माण/लखनऊ	मण्डल इंजी0/इज्जतनगर

(iv) किसी ट्रेन के विभक्त (पार्टिंग) हो जाने की दशा में गेट मैन रोक हैण्ड सिगनल (लाल) नहीं दिखायेगा बल्कि वह दिन में हरी झन्डी तथा रात में सफेद बत्ती ऊपर–नीचे करके निर्धारित संकेत करेगा।

(v) वह लोको पायलट / गार्ड का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास लगातार सीटी बजाकर, चिल्लाकर, असामान्य हाव–भाव प्रदर्शित करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाकर तुरन्त दोनों हाथों को अलग करके पुनः दोनों हाथों को सटाते हुए पुनः हाथों को बिल्कुल नीचे करते हुए करेगा।

(vi) ऐसा करने से यदि ट्रेन नहीं रूकती है तो गेटमैन तुरन्त टेलीफोन पर **स्टेशन मास्टर / बहेड़ी** को उचित कार्यवाही करने हेतु गोपनीय संख्या के आदान–प्रदान के अन्तर्गत इसकी सूचना देगा।

(i) समपार फाटक पर कोई अवरोध आ जाने पर वह लाइन पर दोनों तरफ दिन में लाल बैनर फ्लैग एवं रात्रि में लाल बत्ती निर्धारित स्थान पर लगायेगा।

(ii) इसके उपरान्त यदि गेट मैन अवरोध हटाने में सक्षम नहीं है तो वह **स्टेशन मास्टर / बहेड़ी** को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुए गेट की खराबी / अवरोध के बारे में तत्काल सूचित करेगा।

(iii) यदि दो या तीन प्रयासों के बाद भी **स्टेशन मास्टर / बहेड़ी** कोई प्रत्युत्तर नहीं देते है तो गेट मैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के बाद पुनः टेलीफोन से सूचित करेगा।

1.5 **<u>गेट मैन गेट की संरक्षा (बचाव) निम्नलिखित अनुसार करेगा</u>**

(अ) **<u>इकहरी लाइन पर</u>**

(i) गेट मैन दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती 5 मीटर दूर निर्धारित पोस्ट पर सर्वप्रथम उस तरफ लगा देगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना है।

(ii) इसके पश्चात उसी तरह दिन में दूसरा लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती लाइन की दूसरी ओर अवरोध से 5 मीटर की दूरी पर लगायेगा।

(iii) गेट मैन तब पटाखे, और दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल ट्राइ कलर फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प लेकर गेट को संरक्षित करने के लिये आगे बढ़ेगा।

(iv) गेट मैन दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल ट्राई कलर फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प दिखाते हुये पहले लाइन पर उस दिशा में बढ़ेगा जिधर से ट्रेन के आने की सम्भावना है तब समपार / अवरोध से 600 मीटर पर एक पटाखा लगा देगा उसके पश्चात वह समपार / अवरोध से 1200 मीटर की दूरी पर तीन पटाखे 10–10 मीटर की दूरी पर लगायेगा। इस प्रकार लाइन को संरक्षित करने के उपरान्त वह समपार पर लौटते हुये पूर्व में 600 मीटर पर लगाये गये पटाखा उठा लेगा।

(v) इसके बाद वह लाल झण्डी दिखाते हुये उसी प्रकार जेसा क्रमांक (iv) में वर्णित है लाइन की दूसरी तरफ पटाखा लगायेगा तथा समपार की तरफ लौटते हुये बीच का पटाखा उठा लेगा।

(vi) समपार गेट पर लौटने के पश्चात गेट मैन अवरोध को हटाने तथा आने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सचेत करने का प्रयास करेगा।

(vii) उन परिस्थितियों में जब गेट मैन रास्ते में ही है और निर्दिष्ट स्थानों पर जहॉ पटाखे लगाये जाते हैं, पहुँचने के पूर्व ही वह ट्रेन को आते देखता है अथवा ट्रेन की आवाज सुनाई पड़ती है तो वह जहॉ तक पहुँच सकता है उसी स्थान पर पटाखा लगा देगा।

(viii) उसके उपरान्त गेट मैन आने वाली ट्रेन के लोको को दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल ट्राइ कलर फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प दिखाकर सचेत करेगा / रोकेगा।

(ब) **गेट मैन द्वारा किये जाने वाली अन्य कार्यवाही**

(i) यदि समपार गेट किसी वाहन द्वारा तोड़ दिया जाता है और वाहन ट्रैक को बाधित कर रहा है, या बैरियर गेट का अन्य कोई भाग ट्रैक को बाधित कर रहा है या गेट पर अन्य कोई अवरोध है तो गेट मैन तुरन्त कार्यवाही करेगा।

(ii) गेट मैन सड़क वाहन का विवरण लिखेगा जैसे–वाहन संख्या, ड्राइवर का नाम, मालिक का नाम और गेट मैन **स्टेशन मास्टर– भोजीपुरा** अथवा रेल पथ निरीक्षक को किसी संदेशवाहक या अन्य उपलब्ध संसाधनों के द्वारा सूचित करेगा।

2. **समपार फाटक के संचालन हेतु विशेष अनुदेश** –

2.1 **संचालन पद्धति** –

समपार फाटक को सड़क यातायात के विरूध्द बन्द करने के लिये कार्यरत गेटमैन विंच को तब तक संचालित करेगा जब तक कि बैरियर नीचे आकर समतल स्थिति में बूम पोस्ट पर स्थिर न हो जाय। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर के बीच में कोई सड़क वाहन न फॅस जाए। विंच को इस स्थिति में लाक करने के लिए बूम लाकिंग लीवर को रिवर्स करेगा जिससे बूम क्षैतिजीय स्थिति में लाक हो जायेगा। इसके बाद गेटमैन दिन में बॉये हाथ में सिमटी हुई हत्थेदार हरी झण्डी एवं दाहिने हाथ में लाल झण्डी तथा रात में सफेद प्रकाश वाला हैण्ड सिगनल लैम्प ट्रैक की तरफ दिखाता हुआ गेट लाज के पास खड़ा होकर गाड़ी के समपार फाटक से सुरक्षित गुजरने का प्रेक्षण करेगा।

गाड़ी के पूरी तरह गुजर जाने के बाद गेटमैन समपार फाटक को सड़क यातायात के लिए खोलने के लिए पहले बूम लाकिंग लीवर को सामान्य स्थिति में करेगा फिर उससे चाबी निकालकर विंच में लगाकर विंच को उल्टी दिशा में तब तक संचालित करेगा जब तक कि बैरियर ठीक लम्बवत ऊपर खड़ा न हो जाये।

गाड़ी के सम्भावित आगमन से पहले 10 मिनट से अधिक समय तक फाटक बन्द नहीं रखना चाहिए। किसी भी मामले में फाटक लगातार 12 मिनट से अधिक समय तक बन्द नहीं रखना चाहिए।

1.2.2 **प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करना** :–

1. **गाड़ियों का प्रस्थान** :–

(i) कार्यरत **स्टेशन मास्टर–बहेड़ी** गेटमैन को गाड़ी का नम्बर, विवरण, दिशा एवं गेट से गाड़ी पास होने का सम्भावित समय गोपनीय संख्या के आदान–प्रदान के अन्तर्गत बतायेगा।
(ii) यह सूचना प्रस्थान सिगनल आफ करने से पहले / प्रस्थान प्राधिकार देने से पूर्व दी जायेगी।
(iii) गेटमैन यह सूचना प्राप्त करने के बाद गेट को समय से बन्द एवं पाशित करेगा और इसकी पुष्टि **स्टेशन मास्टर–बहेड़ी** को गोपनीय संख्या के आदान–प्रदान के के साथ करेगा।
(iv) **स्टेशन मास्टर –बहेड़ी** गेटमैन से इस गोपनीय संख्या के प्राप्ति के बाद ही प्रस्थान सिगनल आफ करेगा/ प्रस्थान प्राधिकार गाड़ी के लोको पायलट को देगा।
(v) इस प्रकार एक बार किसी गाड़ी के लिये बन्द किया गया गेट तब तक नहीं खोला जायेगा जब तक वह गाड़ी समपार से सुरक्षित पास न हो जाय तथा गेट मैन TL/LV देखकर यह सुनिश्चित न कर ले कि गाड़ी पूरी पास हो गयी है।

(अतुल सिंह)	(के0एस0सोनाल)	(बालक राम)	(नानक चन्द)
मसिदूई/इज्जतनगर	मपरिप्र/इज्जतनगर	मसिदूई/निर्माण/लखनऊ	मण्डल इंजी0/इज्जतनगर

2. **गाड़ियों का आगमन** :–

(i) स्टेशन मास्टर–**बहेड़ी** किसी गाड़ी का लाइन स्टेशन मास्टर–**किच्छा** को देने से पूर्व गाड़ी का नम्बर, विवरण, एवं समपार से गाड़ी गुजरने का सम्भावित समय गोपनीय संख्या के आदान–प्रदान के अन्तर्गत पूछेगा।

(ii) स्टेशन मास्टर–**बहेड़ी** इस सूचना को गेटमैन को गोपनीय संख्या के आदान–प्रदान के अन्तर्गत देगा।

(iii) गेटमैन गेट को सड़क यातायात के विरूध्द बन्द करके अपना प्राइवेट नम्बर स्टेशन मास्टर –**बहेड़ी** को देगा।

(iv) गेटमैन से इस गोपनीय संख्या के प्राप्त होने के बाद ही स्टेशन मास्टर–**बहेड़ी**, स्टेशन मास्टर–**किच्छा** को गाड़ी का लाइन क्लीयर देगा।

(v) इस प्रकार एक बार किसी गाड़ी के लिये बन्द किया गया गेट तब तक नहीं खोला जायेगा जब तक कि वह गाड़ी समपार से सुरक्षित पास न हो जाये तथा गेटमैन TL/LV देखकर यह सुनिश्चित कर ले कि गाड़ी पूरी पास हो गयी है।

स्टेशन मास्टर तथा गेटमैन इन सूचनाओं की प्रविष्टि अपनी लॉग–बुक में निम्न प्रकार करेगें –

स्टेशन मास्टर की लॉग बुक :-

तिथि	गाड़ी सं0	स्टेमा0 द्वारा सूचना देने का समय	समपार से गाड़ी गुजरने का सम्भावित समय	स्टेशन मास्टर का प्राइवेट नम्बर	गेटमैन से सूचना प्राप्ति का प्राइवेट नम्बर	गेटमैन द्वारा गेट बन्द करके दिया गया प्राइवेट नम्बर	स्टेशन मास्टर द्वारा दिया गया प्राइवेट नम्बर	स्टेशन मास्टर का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9

गेटमैन की लाग बुक

तिथि	गाड़ी सं0	गेट से गाड़ी गुजरने का सम्भावित समय	स्टेशन मास्टर द्वारा दिया गया प्राइवेट नम्बर	गेटमैन द्वारा स्टेशन मास्टर को दिया गया प्राइवेट नम्बर	गेटमैन द्वारा गेट बन्द करके दिया गया प्राइवेट नम्बर	स्टेशन मास्टर का प्राइवेट नम्बर	गेटमैन का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8

2.3 टेलीफोन संचार की विफलता :–

जब टेलिफोन संचार विफल हो जाय अथवा दो या तीन प्रयास के बाद भी गेटमैन के तरफ से कोई प्रत्युत्तर न प्राप्त हो तो –

1 कार्यरत **स्टेशन मास्टर/बहेड़ी** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को काशन आर्डर जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।

2. गेट के तरफ आने वाली गाड़ियों के सम्बन्ध में कार्यरत **स्टेशन मास्टर/बहेड़ी** कार्यरत **स्टेशन मास्टर/किच्छा** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि टेलीफोन रवराब है।

(अतुल सिंह)	(के0एस0सोनाल)	(बालक राम)	(नानक चन्द)
मसिदूई/इज्जतनगर	मपरिप्र/इज्जतनगर	मसिदूई/निर्माण/लखनऊ	मण्डल इंजी0/इज्जतनगर

3 तब कार्यरत **स्टेशन मास्टर/बहेड़ी** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को काशन आर्डर जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेटमैन के हाथ संकेत का पालन करते हुए गेट की तरफ आगे बढ़े।

4 जारी किये गये काशन आर्डर में लोको पायलट को समपार फाटक के तरफ सावधानी पूर्वक लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेटमैन के हाथ संकेत का पालन करते हुए गेट के तरफ आगे बढ़ने का निर्देश होगा।

5. लोको पायलट को गेटमैन द्वारा हाथ संकेत देने पर समपार फाटक को सतर्कता पूर्वक पार करने का निर्देश दिया जायेगा। यदि हाथ सिगनल संकेत नही दिखायी देता हैं तो लोको पायलट को समपार गेट के पहले रूककर अपने सहायक लोको पायलट को समपार फाटक की स्थिति जानने के लिये भेजेगा। यदि समपार फाटक बन्द हैं तो सहायक लोको पायलट 'सभी ठीक है' सिगनल देगा और यदि समपार फाटक बन्द नही हैं तो सहायक लोको पायलट समपार फाटक को अवश्य बन्द करेगा और तब 'सभी ठीक है' संकेत देगा। सहायक लोाको पायलट की अनुपस्थिति में लोको पायलट सहायक गार्ड की सहायता लेगा।

6 कार्यरत **स्टेशन मास्टर/बहेड़ी** गेटमैन को भी गैंग मैन/पेट्रोल मैन/प्रथम गाड़ी के लोको पायलट द्वारा टेलीफोन खराब होने की सूचना देगा।

7 कार्यरत **स्टेशन मास्टर/बहेड़ी** सिगनल एवं दूरसंचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीध्र टेलीफोन ठीक करने के लिए सूचना देगा।

8 सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब सिगनल एवं दूरसंचार विभाग टेलीफोन ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

2.4 **<u>लिफ्टिंग बैरियर या बूम लॉकिंग की विफलता</u>** –

1. जब लिफ्टिंग बैरियर गेट खराब हो जाने के कारण गेट बन्द न किया जा सके तो गेटमैन तुरन्त प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करके कार्य पर उपस्थित **स्टेशन मास्टर/बहेड़ी** को सूचित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर रेल पथ को बाधित नही कर रहा हैं।

2. बूम लॉकिंग विफल होने पर इस सम्बन्ध में प्रदत्त छोटी चेन को प्रत्येक बूम पर बूम पोस्ट से बांध कर बूम को लॉक करेगा।

3. गेटमैन तुरन्त दिन में लाल बैनर फलैग एवं रात्रि में लाल बत्ती समपार पर निर्दिष्ट स्थान (पोस्ट) पर सर्वप्रथम उस तरफ लगायेगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना हो तदोपरान्त समपार के दूसरी तरफ लगायेगा।

4 गेटमैन समपार को सड़क यातायात से रोकने के लिये सेफ्टी चेन और तालों द्वारा बन्द करेगा।

5. सड़क यातायात को सुरक्षित करने के उपरान्त गेटमैन दिन के समय हत्थेदार हरी झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती आती हुयी गाड़ी के लोको पायलट को दिखायेगा।

6. कार्यरत **स्टेशन मास्टर/बहेड़ी** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को काशन आर्डर जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए गेटमैन के हाथ सिगनल का पालन करते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।

(अतुल सिंह)	(के0एस0सोनाल)	(बालक राम)	(नानक चन्द)
मसिदूई/इज्जतनगर	मपरिप्र/इज्जतनगर	मसिदूई/निर्माण/लखनऊ	मण्डल इंजी0/इज्जतनगर

7. जब गाड़ी **किच्छा** के तरफ से आनी वाली तब कार्यरत **स्टेशन मास्टर/बहेड़ी** कार्यरत **स्टेशन मास्टर/किच्छा** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर रवराब है तथा गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोाको पायलट को काशन आर्डर जारी करे तब कार्यरत **स्टेशन मास्टर/किच्छा** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को काशन आर्डर जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए गेटमैन के हाथ सिगनल का पालन करते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
8. कार्यरत **स्टेशन मास्टर/बहेड़ी** इंजीनियरिंग विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीध्र लिफ्टिंग बैरियर ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।
9. सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब इंजीनियरिंग विभाग बैरियर को ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

2.5 **समपार फाटक पर अवरोध** –

1 यदि काई सड़क वाहन समपार फाटक को तोड़कर रेल पथ को बाधित कर रहा है या लिफ्टिंग बैरियर या गेट का कोई अन्य भाग रेल पथ को बाधित कर रहा है या यदि अन्य कोई बाधा गेट पर है तो गेटमैन तत्काल ही दिन में लाल बैनर फ्लैग एवं रात्रि में लाल बत्ती समपार पर दोनों तरफ इस कार्य के लिये लगाये गये पोस्टों पर लगायेगां

2 इसके तुरन्त बाद ही गेटमैन कार्यरत **स्टेशन मास्टर/बहेड़ी** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए अवरोध के बारे में सूचित करेगा।

3 गेट मैन कार्यरत **स्टेशन मास्टर–बहेड़ी** को यदि प्रस्थान सिगनल किसी ट्रेन के लिये आफ किया गया हो तो उसको आन करने के लिये सूचित किया जायेगा। यदि कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ बहेड़ी** ने **किच्छा** को किसी गाड़ी को लाइन क्लीयर दिया हो तो कार्यरत स्टेशन मास्टर–**किच्छा** को प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुए अवरोध के बारे में सूचित करेगा।

4. यदि दो या तीन प्रयासो के बाद भी कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ बहेड़ी** से कोई प्रत्युतर नही प्राप्त होता हैं तो गेटमैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के उपरान्त पुनः टेलीफोन द्वारा सूचित करेगा।

5. गेटमैन पटाखा एवं दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल ट्राइ कलर फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प लेकर तेजी से उस तरफ आगे बढ़ेगा जिस तरफ से गाड़ी का आगमन संभावित हैं, तथा रेल पथ को 'गेट मैनो' की कार्य प्रणाली सामान्य निर्देश के मद संरव्या 1.5 के अनुसार संरक्षित करेंगा।

6. तदोपरान्त गेटमैन गेट को दूसरी तरफ संरक्षित करेगा।

7. गेटमैन सड़क वाहन के विवरणों चालक का नाम सड़क वाहन के मालिक का नाम लिरवकर **स्टेशन मास्टर/ बहेड़ी** को सूचित करेगा तथा **स्टेशन मास्टर/ बहेड़ी** तब तक गाड़ी को नही चलायेगा जब तक गेटमैन सुनिश्चित नहीं कर देता है कि सड़क यातायात या लिफ्टिंग बैरियर रेल पथ को बाधित नही कर रहे है।

8. कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ बहेड़ी** कार्यरत **स्टेशन मास्टर/किच्छा** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि वह अपने तरफ से कोई गाड़ी ब्लाक खण्ड में न भेजे जब तक रेल पथ से बाधा हटा न दिया जाय।

(अतुल सिंह)	(के0एस0सोनाल)	(बालक राम)	(नानक चन्द)
मसिदूई/इज्जतनगर	मपरिप्र/इज्जतनगर	मसिदूई/निर्माण/लखनऊ	मण्डल इंजी0/इज्जतनगर

9. रेल पथ से बाधा हटा दिये जाने के बाद गेटमैन प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ बहेड़ी** को सूचित करेगा । तब कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ बहेड़ी** यही सूचना कार्यरत **स्टेशन मास्टर –किच्छा** को प्राइवेट नम्बर के आदान–प्रदान के अन्तर्गत देगा।
10. तब कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ बहेड़ी एवं किच्छा** सभी गाड़ियों के लोको पायलट को सर्तकता पूर्वक जाने एवं गेटमैन द्वारा हाथ सिगनल (हरा संकेत) देने पर सावधानी पूर्वक पार करने हेतु सर्तकता आदेश जारी करेगा। यदि गेट टूटा हो परन्तु गेट पर कोई व्यवधान न हो।
11. गेटमैन समपार फाटक को संरक्षा चेन एवं तालों द्वारा सड़क यातायात के लिसे संरक्षित करेगा तथा उसके बाद यदि समपार फाटक पर कोई व्यवधान नहीं है तो गेटमैन दिन के समय हत्थेदार हरी झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती गुजरती हुयी गाडियो को दिरवायेगा।
12. कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ बहेड़ी** जिम्मेदार इंजीनियरिंग स्टाफ को गेट के शीध्र मरम्मत के लिए लिखित सूचना देगा।
13. सामान्य स्थिति केवल इंजीनियरिंग स्टाफ के मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो देने के बाद ही होगी।

2.6 **समपार फाटक के समीप रेल पथ पर अवरोध** –

यदि किसी रेल का टूटना, रेल पथ पर पेड़ गिरने से कोई अवरोध, सड़क वाहन द्वारा बाधा अथवा कोई अवपथन जो गेटमैन को दिरवाई देता हो तो गेट मैन तथा कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ बहेड़ी** मद संख्या 2.5 में वर्णित निर्देश के अनुसार कार्यवाही करेगें यदि कोई अवरोध समपार फाटक को बाधित करता हैं तो गेटमैन सड़क यातायात के लिये सड़क को उस समय तक बन्द ररवेगा जब तक रेल पथ से बाधा हटा नही दिया जाये।

(अतुल सिंह)	(के0एस0सोनाल)	(बालक राम)	(नानक चन्द)
मसिदूई/इज्जतनगर	मपरिप्र/इज्जतनगर	मसिदूई/निर्माण/लखनऊ	मण्डल इंजी0/इज्जतनगर

परिशिष्ट – ''क–V ''

बहेड़ी–किच्छा स्टेशनों के मध्य स्थित इंजी0 समपार फाटक संख्या 30 श्रेणी ''बी 1'' के संचालन हेतु अनुदेश –

1. **विवरण**

1.1 सामान्य –

1	समपार फाटक की संरव्या	30 / बी 1
2	इन्जीनियरिंग / ट्राफिक	इंजीनियरिंग
3	अधीन स्टेशन अधी0 / रेल पथ निरीक्षक	से0ई0(रेल पथ) / भोजीपुरा
4	किलोमीटर पर स्थित	34 / 6–7
5	स्टेशन	बहेड़ी
6	स्टेशन मध्य	बहेड़ी – किच्छा
7	बी0जी0 / एम0जी0 / एन0जी0	बी0जी0
8	इकहरी / दोहरी / मिश्रित	इकहरी लाइन
9	सामान्य स्थिति	सड़क यातायात के लिए खुला
10	इण्टरलाक्ड / नान इण्टरलाक्ड	इण्टरलाक्ड
11	इण्टरलाकिंग का प्रकार	गेट सिगनल
12	गेट सिगनलों का प्रावधान किलोमीटर	
(i)	अप गेट डिस्टेन्ट	33/4-5
(ii)	अप गेट सिगनल	34/4-5
(iii)	डाउन गेट सिगनल	34/9-10
(iv)	डाउन गेट डिस्टेन्ट	43/9-10
13	संकेतन व्यवस्था	कलर लाइट सिगनल
14	संचार साधन टेलीफोन / घंटी	टेलीफोन स्टेशन मास्टर / किच्छा से
15	समपार फाटक की चौड़ाई	9.00 मीटर
16	सड़क का प्रकार (एन0एच0 / एस0एच0 / अन्य)	अन्य
17	सड़क का नाम	ढकिया मन्डनपुर– नैनीताल रोड
18	पक्का / कच्चा	पक्का
19	पहुॅच मार्ग	नैनीताल
20	सड़क की चौड़ाई	7.00 मीटर
21	सड़क का क्रासिंग कोण (इस्क्यू गेट के लिए)	
	पूर्व / उत्तर की तरफ	90 डिग्री
	पश्चिम / दक्षिण की तरफ	90 डिग्री
22	सड़क का ढ़ाल यदि कोई हो	
(i)	पूर्व / उत्तर की तरफ	1 : 30
(ii)	पश्चिम / दक्षिण की तरफ	1 : 30
23	सड़क का प्रकार (सीधा / गोलाई)	
(i)	पूर्व / उत्तर की तरफ	सीधा
(ii)	पश्चिम / दक्षिण की तरफ	सीधा
24	हाइट गेज का प्राविधान	नहीं
25	बैरियर का प्रकार	लिफ्टिंग बैरियर
26	चेक रेल की लम्बाई	11.00 मीटर

(रितेश गुप्ता) (जे0ए0आज़मी) (नानक चन्द)
मसिदूई/इज्जतनगर मपरिप्र / सा0/इज्जतनगर मण्डल इंजी0 / मु0/इज्जतनगर

27	समपार के मध्य सड़क का सतह	समतल पक्का
28	रम्बल स्ट्रिप / गति अवरोधक की लम्बाई	.
29	रोड साइन	उपलब्ध
30	गति अवरोधक बोर्ड	उपलब्ध
31	टी0वी0यू0	25870 अक्टूबर 2010
32	अगली गणना की तिथि	2013
33	पटाखा सिगनल लगाने का निर्दिष्ट स्थान	है
34	गेटमैनो की संरव्या	दो
35	निकटतम रेलवे सहायता केन्द्र	लालकुआ
36	निकटतम निजी चिकित्सा सहायता की उपलब्धता यदि कोई हो	बहेड़ी
37	उपलब्ध उपकरणों की सूची हॉ / नही	हॉ

1.2 उपकरण –

क्रम.सं.	सामग्री	संख्या
1	हाथ सिगनल बत्ती K. Oil	02
2	हरी हाथ झंडी	01
3	लाल हाथ झंडी	03
4	बैनर फ्लैग लाल	03
5	लाल बैनर फ्लैग लगाने हेतु पोस्ट	02
6	तालों के साथ अतिरिक्त चेन (जंजीर)	02 (स्टाप डिस्क के साथ)
7	पटाखा सिगनल	10
8	ट्राइ कलर फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प बैट्री लिट	01
9	गेट लैम्प	02
10	टोमीवार	01
11	मोर्टार पैन (तसला)	01
12	फावड़ा/बेल्चा	01
13	दुर्मुठ	01
14	पिक एक्स	01
15	टिन केस झंडी के लिए	01
16	कैन मिटटी के तेल हेतु	01
17	बाल्टी/पानी पीने का बर्तन	01
18	टिन केस मस्टर शीट के लिए	01
19	चश्मों का अतिरिक्त सेट जो चश्मा लगाते है (दृष्टि वाला)	01
20	गेट पर अवरोध की दशा में समपार की संरक्षा हेतु प्रदर्शित डायग्राम	01
21	टोकरी	01
22	सीटी (Thunder Whistle)	01
23	दीवार घड़ी	01
24	छोटी चेन व ताले (बूम लॉकिंग हेतु)	02

जारी तिथि लागू तिथि

1.3. **गेट लाज पर रखे जाने वाले अभिलेख –**

(1) गेट का कार्यकारी अनुदेश हिन्दी में ।

(2) गेटमैन नियम पुस्तिका स्थानीय भाषा में ।

(3) पुस्तकों एवं उपकरणों की सूची

(4) डियूटी रोस्टर ।

(5) गेटमैन का कार्य करने का प्रमाण पत्र ।

(6) गेटमैन का वायोडाटा, नेत्र जांच, प्रारंभिक पुनश्चर्या, संरक्षा कैम्प इत्यादि ।

(7) दुर्घटना रजिस्टर ।

(8) समपार फाटक पर अंतिम गणना का अभिलेख ।

(9) निरीक्षण पुस्तिका ।

(10) जन प्रतिवेदन पुस्तिका ।

1.4 **गेटमैन के कर्तव्य :**

(1) **सावधानी**

गेट मैन सदैव किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिये की जाने वाली त्वरित कार्यवाही के प्रति सावधान रहेगा।

(2) **ट्रेन के समपार फाटक से गुजरते समय फाटक वाले की स्थिति**

ट्रेन के गुजरने की स्थिति में गेट मैन बतायी गयी निम्नलिखित स्थिति में खड़ा रहेगा।

(i) गेट मैन सतर्कता पूर्वक गेटलाज के सामने आती हुयी ट्रेन के तरफ मुॅह करके खड़ा रहेगा।

(ii) दिन में गेट मैन दॉये हाथ में लाल झण्डी तथा बायें हाथ में हरी झण्डी डण्डे में लगी हुई मोड़कर लिये रहेगा।

(iii) रात्रि समय में गेट मैन जलती हुयी सफेद हाथ बत्ती लाइन के तरफ दिखाता हुआ खड़ा रहेगा।

(iv) गेट मैन गले में धागे में बांधकर सीटी लटकाये रहेगा।

(3) **गेट मैन की नियमित ड्यूटी**

(i) गेट मैन आपात स्थिति अथवा अवरोध की स्थिति में रेल पथ पर समपार के दोनों तरफ दिन में लाल बैनर फ्लैग एवं रात्रि में लाल बत्ती निर्धारित स्थान पर लगायेगा।

(ii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि गेट लैम्प को सूर्यास्त से सूर्योदय तक लगातार जलते हुए स्थिति में रखेगा।

(iii) गेट मैन अपनी ड्यूटी निश्चित रूप से ड्यूटी रोस्टर के अनुसार करेगा और जब तक कार्यमुक्त करने हेतु साथी आ न जाये और वह गेट का कार्यभार ग्रहण न कर ले, तब तक गेट मैन गेट छोड़कर नहीं जायेगा। गेट मैन को यदि आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक से हटना अपरिहार्य हो तो वह गेट छोड़ने से पूर्व गेट को सड़क यातायात के लिए बंद करके ताला लगायेगा।

(iv) इन निर्देशों के अतिरिक्त गेट मैन गुजरती हुयी ट्रेन को देखता रहेगा और ट्रेन की संरक्षा हेतु कार्य करने के लिए तत्पर रहेगा।

(रितेश गुप्ता)	(जे0ए0आज़मी)	(नानक चन्द)
मसिदूई/इज्जतनगर	मपरिप्र / सा0/इज्जतनगर	मण्डल इंजी0 / मु0/इज्जतनगर

जारी तिथि लागू तिथि

(v) गेट मैन गुजरती हुयी सभी ट्रेनों पर पैनी नजर रखेगा जिससे किसी अप्रत्याशित घटना जैसे – हॉट एक्सल (गर्म धुरा), लटकती हुई चैन, लटकती हुई बैट्री, किसी वाहन / वैगन / ट्रेन /बैट्री बाक्स में आग लगी हो, ब्रेक ब्लाक, ब्रेक बीम, सेफ्टी ब्रेकेट, वैक्यूम सिलेन्डर आदि का लटकना, गिरना जिसके कारण ट्रेन की संरक्षा बाधित हो का पता लगाकर आवश्यक कार्यवाही करेगा।

(vi) गेट मैन गार्ड द्वारा लोको पायलट को वाकी–टाकी अथवा किसी अन्य माध्यम से दिये गये संकेतों को दोहराने के लिए तैयार रहेगा।

(vii) समपार फाटक का बैरियर गेट क्षतिग्रस्त अथवा खराब होने की दशा में गेट मैन अतिरिक्त चैन डिस्क एवं तालों का प्रयोग कर सड़क यातायात बंद करेगा।

(viii) गेट मैन अपने गेट की किसी भी खराबी के लिए यथाशीघ्र स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी**, गैंग मेट अथवा रेल पथ निरीक्षक को सूचित करेगा।

(ix) जब गेट मैन अपने कार्य पर रहेगा तो वह निर्धारित वर्दी एवं बैज धारण करेगा।

(x) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि ड्यिूटी के समय उसके पास दक्षता प्रमाण पत्र उपलब्ध है।

(xi) गेटमैन, गेट संचालन नियमों के अनुरूप कार्य करेगा तथा नियमों के बारे में पूर्णरूपेण जानकारी रखेगा।

(xii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि उसके गेट पर आपूर्ति किये गये सभी उपकरण अच्छी स्थिति में है एवं तत्काल प्रयोग हेतु तैयार है।

(xiii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि समपार पर चैक रेल गैप साफ है।

(xiv) गेट मैन समपार फाटक की सड़क को (कच्ची सड़क) पानी छिड़ककर एवं दुरमुट से ठोककर ठीक रखेगा।

(xv) गेट मैन सड़क प्रयोगकर्ताओं की, गेट को बंद रखने की स्थिति से उत्पन्न असुविधाओं के प्रति सतर्क रहेगा तथा ध्यान देगा कि समपार फाटक कम से कम समय के लिए बन्द हो।

(xvi) जहां तक संभव हो गेट मैन मनुष्यों, वाहनों अथवा जानवरों के अवैध आवागमन पर रोक लगायेगा।

(4) <u>ट्रेन की असामान्य स्थिति में किया जाने वाला कार्य</u>

यदि गेटमैन किसी पास हो रही गाड़ी में कोई असामान्य बात देखता है तो वह निम्न कार्य करेगा

(i) वह तत्काल ही लोको पायलट/गार्ड को दिन में लाल झण्डी तथा रात में लाल बत्ती दिखाकर सचेत करेगा ।

(ii) साथ ही साथ लोको पायलट/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिए लगातार सीटी बजायेगा, चिल्लायेगा, असामान्य हाव–भाव प्रदर्शित करेगा तथा ब्रेकवान पर पत्थर फेकेगा अथवा कोई अन्य साधन अपनायेगा।

(iii) यदि लोको पायलट/गार्ड उपरोक्त कार्यों के उपरांत भी ध्यान नहीं देते हैं तो वह स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी** को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुए तो तद्नुसार कार्यवाही करने हेतु सूचित करेगा।

(iv) किसी ट्रेन के विभक्त (पार्टिंग) हो जाने की दशा में गेट मैन रोक हैण्ड सिगनल (लाल) नहीं दिखायेगा बल्कि वह दिन में हरी झन्डी तथा रात में सफेद बत्ती ऊपर–नीचे करके निर्धारित संकेत करेगा।

(अतुल सिंह)	(के0एस0सोनाल)	(बालक राम)	(नानक चन्द)
मसिदूई/इज्जतनगर	मपरिप्र/इज्जतनगर	मसिदूई/निर्माण/लखनऊ	मण्डल इंजी0/इज्जतनगर

जारी तिथि लागू तिथि

(v) वह लोको पायलट/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास लगातार सीटी बजाकर, चिल्लाकर, असामान्य हाव–भाव प्रदर्शित करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाकर तुरन्त दोनों हाथों को अलग करके पुनः दोनों हाथों को सटाते हुए पुनः हाथों को बिल्कुल नीचे करते हुए करेगा।

(vi) ऐसा करने से यदि ट्रेन नहीं रूकती है तो गेटमैन तुरन्त टेलीफोन पर स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी** को उचित कार्यवाही करने हेतु गोपनीय संख्या के आदान–प्रदान के अन्तर्गत इसकी सूचना देगा।

(5) <u>आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक पर की जाने वाली कार्यवाही</u>

(i) समपार फाटक पर कोई अवरोध आ जाने पर वह लाइन पर दोनों तरफ दिन में लाल बैनर फ्लैग एवं रात्रि में लाल बत्ती निर्धारित स्थान पर लगायेगा।

(ii) इसके उपरान्त यदि गेट मैन अवरोध हटाने में सक्षम नहीं है तो वह स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी** को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुए गेट की खराबी/अवरोध के बारे में तत्काल सूचित करेगा।

(iii) यदि दो या तीन प्रयासों के बाद भी स्टेशन मास्टर/**किच्छा** कोई प्रत्युत्तर नहीं देते है तो गेट मैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के बाद पुनः टेलीफोन से सूचित करेगा।

1.5 **<u>गेट मैन गेट की संरक्षा (बचाव) निम्नलिखित अनुसार करेगा</u>**

(अ) **<u>इकहरी लाइन पर</u>**

(i) गेट मैन दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती 5 मीटर दूर निर्धारित पोस्ट पर सर्वप्रथम उस तरफ लगा देगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना है।

(ii) इसके पश्चात उसी तरह दिन में दूसरा लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती लाइन की दूसरी ओर अवरोध से 5 मीटर की दूरी पर लगायेगा।

(iii) गेट मैन तब पटाखे, और दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल ट्राइ कलर फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प लेकर गेट को संरक्षित करने के लिये आगे बढ़ेगा।

(iv) गेट मैन दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल ट्राई कलर फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प दिखाते हुये पहले उस दिशा में बढ़ेगा जिधर से ट्रेन के आने की सम्भावना है तब समपार/अवरोध से 600 मीटर पर एक पटाखा लगा देगा उसके पश्चात वह समपार/अवरोध से 1200 मीटर की दूरी पर तीन पटाखे 10–10 मीटर की दूरी पर लगायेगा। इस प्रकार लाइन को संरक्षित करने के उपरान्त वह समपार पर लौटते हुये पूर्व में 600 मीटर पर लगाये गये पटाखा उठा लेगा।

(v) इसके बाद वह लाल झण्डी दिखाते हुये उसी प्रकार जेसा क्रमांक (iv) में वर्णित है लाइन की दूसरी तरफ पटाखा लगायेगा तथा समपार की तरफ लौटते हुये बीच का पटाखा उठा लेगा।

(vi) समपार गेट पर लौटने के पश्चात गेट मैन अवरोध को हटाने तथा आने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सचेत करने का प्रयास करेगा।

(vii) उन परिस्थितियों में जब गेट मैन रास्ते में ही है और निर्दिष्ट स्थानों पर जहॉ पटाखे लगाये जाते हैं, पहुॅचने के पूर्व ही वह ट्रेन को आते देखता है अथवा ट्रेन की आवाज सुनाई पड़ती है तो वह जहॉ तक पहॅुच सकता है उसी स्थान पर पटाखा लगा देगा।

(viii) उसके उपरान्त गेट आने वाली ट्रेन के लोको पायलट को दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल ट्राइ कलर फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प दिखाकर सचेत करेगा / रोकेगा।

(अतुल सिंह)	(के0एस0सोनाल)	(बालक राम)	(नानक चन्द)
मसिदूई/इज्जतनगर	मपरिप्र/इज्जतनगर	मसिदूई/निर्माण/लखनऊ	मण्डल इंजी0/इज्जतनगर

(ब) **<u>गेट मैन द्वारा किये जाने वाली अन्य कार्यवाही</u>**

(i) यदि समपार गेट किसी वाहन द्वारा तोड़ दिया जाता है और वाहन ट्रैक को बाधित कर रहा है, या बैरियर गेट का अन्य कोई भाग ट्रैक को बाधित कर रहा है या गेट पर अन्य कोई अवरोध है तो गेट मैन तुरन्त कार्यवाही करेगा।

(ii) गेट मैन सड़क वाहन का विवरण लिखेगा जैसे–वाहन संख्या, ड्राइवर का नाम, मालिक का नाम और गेट मैन **स्टेशन मास्टर–किच्छा** अथवा रेल पथ निरीक्षक को किसी संदेशवाहक या अन्य उपलब्ध संसाधनों के द्वारा सूचित करेगा।

2. **<u>समपार फाटक के संचालन हेतु विशेष अनुदेश</u>** –

इन निर्देशो को आर0डी0 सं0 उपमुसिदूई/नि/इज्जत/2012(आर0डी0)4 दिनांक 17.3.2012 संशोधन'ए' दिनांक 18.9.2012 के साथ पढ़ा जाय।

2.1 **<u>संचालन पद्धति</u>** –

समपार फाटक को सड़क यातायात के विरूद बंद करने के लिए कार्यरत गेटमैन विंच को तब तक संचालित करेगा जब तक कि बैरियर नीचे आकर समतल स्थिति में बूम पोस्ट पर स्थिर न हो जायें। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर के बीच में कोई सड़क वाहन न फॅस जाए। विंच को इस स्थिति में लाक (Lock) करने के लिए 'ई' प्रकार के लाक (Lock) से चाभी '**पी–1**' को निकाल लेगा तथा बमू लाक में लगे 'ई' प्रकार के लाक में चाबी '**पी–1**' को लगाकर रिवर्स करेगा। जिससे चाबी **'पी'** निकालेगा जो बूम को फाटक बन्द स्थिति में लाक करेगा। गेटमैन चाबी 'पी' के सिरे रिवीट एवं वेल्डिंग की हुई KLCR की चाबी को KLCR में लगाकर क्लाक वाइज धुमायेगा। तत्पश्चात गेटमैन गेट सिगनलों आफ करने के लिए सम्बन्धित स्वीच को **'आर'** की तरफ धुमाएगा, जिससे गेट सिगनल आफ हो जायेगा तथा गेट डिस्टेन्ट स्वमेव आफ हो जायेगा। गेट सिगनल आफ को आफ करने के बाद गेटमैन दिन में दाहिने हाथ सिमटी हुई हत्थेदार लाल झण्डी एवं बाये हाथ में सिमटी हुई हरी झण्डी तथा रात में सफेद प्रकाश वाला हैण्ड सिगनल लैम्प ट्रैक की तरफ दिखाता हुआ गेट लाज के पास खड़ा होकर गाड़ी के समपार फाटक से सुरक्षित गुजरने का प्रेक्षण करेगा।

फाटक की सुरक्षा के लिये निम्नलिखित बहुसंकेतीय रंगीन बत्ती सिगनलो की व्यवस्था है जो इस समपार की गाड़ियो से रक्षा करते है। सिगनल के परिचालन के लिए दो स्वीच तथा बूम लाकिंग हेतु 1 लीवर का ग्राउन्ड फ्रेम लगा है जो इस प्रकार है :–

लीवर /स्वीच संख्या	विवरण	किसके द्वारा मुक्त होते हैं (Released by)	लाक्ड (Lock)
1	बूम लाकिंग लीवर	चाबी 'पी'	––
1	अप गेट सिगनल	बूम लाकिंग लीवर	2.
2	डाउन गेट सिगनल	बूम लाकिंग लीवर	1

गाड़ी के पूरी तरह गुजर जाने के बाद गेटमैन समपार फाटक को सड़क यातायात के लिए खोलने के लिए सिगनल स्वीच को नार्मल करेगा तत्पश्चात KLCR पर लगे बटन को दबाकर KLCR से चाबी **'पी'** निकाल लेगा। चाबी **'पी'** को बूम लाक लीवर में लगाकर धुमाएगा जिससे बूम लाक लीवर मुक्त होगा, जिसे नार्मल करने के बाद **'ई'** प्रकार के लॉक में लगी चाबी **'पी–1'** को निकाल लेगा। चाबी 'पी–1' को बिंच में लगे **'ई'** प्रकार लाक में लगााकर घुमाएगा तथा विन्च को तब तक संचालित करेगा जब तक कि लिफ्टिंग बैरियर ठीक ऊपर लम्बवत उठ न जाय।

गाड़ी के सम्भावित आगमन और प्रस्थान से पहले 10 मिनट से अधिक समय तक फाटक को बन्द नही रखना चाहिए। किसी भी मामले में समपार फाटक लगातार 12 मिनट से अधिक समय तक बन्द नही रखना चाहिए।

(रितेश गुप्ता)	(जे0ए0आज़मी)	(नानक चन्द)
मसिदूई/इज्जतनगर	मपरिप/सा0/इज्जतनगर	मण्डल इंजी0/मु0/इज्जतनगर

जारी तिथि लागू तिथि

1.2.2 **गेट मैन को सूचित करना गेट मैन को सूचित करना :–**

1. कार्यरत स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी,** गाड़ी के संचालन की सूचना समय से गेटमैन को टेलीफोन द्वारा गाड़ी की संख्या, विवरण, दिशा तथा समपार से पास करने का सम्भावित समय की सूचना देगा।

स्टेशन मास्टर/गेटमैन इन सूचनाओं की प्रविष्टि अपनी लॉग–बुक में निम्न प्रकार करेगा –

स्टेशन मास्टर की लॉग बुक :-

तिथि	गाड़ी सं0	गेटमैन को सूचित करने का समय	समपार से गाड़ी गुजरने का सम्भावित समय	स्टेशन मास्टर का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5

गेटमैन की लाग बुक

तिथि	गाड़ी सं0	समपार से गाड़ी गुजरने का सम्भावित समय	गेट बन्द करने का समय	समपार से गाड़ी गुजरने का वास्तविक समय / समपार खोलने का समय	गेटमैन का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6

3. गेटमैन का यह दायित्व है कि वह समय से समपार फाटक बन्द करे जिससे गाड़ियों का विलम्बन न हो।

2.3 **टेलीफोन संचार की विफलता :–**

जब टेलीफोन संचार विफल हो जाय अथवा दो या तीन प्रयास के बाद भी गेटमैन के तरफ से कोई प्रत्युत्तर न प्राप्त हो तो –

1 कार्यरत स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।

2. यदि गेट सिगनल आन हैं तो ड्राइवर गेट सिगनल के पहले गाड़ी रोककर सामान्य नियम 3.73 के अनुसार कार्यवाही करेगा।

3 जब गाड़ी **किच्छा** की तरफ से आने वाली है तथ कार्यरत स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी** कार्यरत स्टेशन मास्टर/**किच्छा** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि टेलीफोन रवराब है।

4 तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/**किच्छा** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेटमैन के हाथ संकेत का पालन करते हुए गेट की तरफ आगे बढ़े।

(अतुल सिंह)	(के0एस0सोनाल)	(बालक राम)	(नानक चन्द)
मसिदूई/इज्जतनगर	मपरिप्र/इज्जतनगर	मसिदूई/निर्माण/लखनऊ	मण्डल इंजी0/इज्जतनगर

5. लोको पायलट को गेटमैन द्वारा हाथ संकेत देने पर समपार फाटक को सतर्कता पूर्वक पार करने का निर्देश दिया जायेगा। यदि हाथ सिगनल संकेत नही दिखायी देता हैं तो लोको पायलट को समपार गेट के पहले रूककर अपने सहायक लोको पायलट को समपार फाटक की स्थिति जानने के लिये भेजेगा। यदि समपार फाटक बन्द हैं तो सहायक लोको पायलट 'सभी ठीक है' सिगनल देगा और यदि समपार फाटक बन्द नही हैं तो सहायक लोको पायलट समपार फाटक को अवश्य बन्द करेगा और तब 'सभी ठीक है' संकेत देगा। सहायक लोको पायलट की अनुपस्थिति में लोको पायलट सहायक गार्ड की सहायता लेगा।

6 कार्यरत स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी** गेटमैन को भी गैंग मैन/पेट्रोल मैन/प्रथम गाड़ी के लोको पायलट द्वारा टेलीफोन खराब होने की सूचना देगा।

7 कार्यरत स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी** सिगनल एवं दूरसंचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीध्र टेलीफोन ठीक करने के लिए सूचना देगा।

8 सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब सिगनल एवं दूरसंचार विभाग टेलीफोन ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

2.4 **लिफ्टिंग बैरियर या बूम लॉकिंग की विफलता** –

1. जब लिफ्टिंग बैरियर गेट खराब हो जाने के कारण गेट बन्द न किया जा सके तो गेटमैन तुरन्त प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करके कार्य पर उपस्थित स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी** को सूचित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर रेल पथ को बाधित नही कर रहा हैं।

2. बूम लॉकिंग विफल होने पर इस सम्बन्ध में प्रदत्त छोटी चेन को प्रत्येक बूम पर बूम पोस्ट से बांध कर बूम को लॉक करेगा।

3. गेटमैन तुरन्त दिन में लाल बैनर फलैग एवं रात्रि में लाल बत्ती समपार पर निर्दिष्ट स्थान (पोस्ट) पर सर्वप्रथम उस तरफ लगायेगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना हो तदोपरान्त समपार के दूसरी तरफ लगायेगा।

4. सड़क यातायात को सुरक्षित करने के उपरान्त गेटमैन दिन के समय हत्थेदार हरी झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती आती हुयी गाड़ी के लोको पायलट को दिखायेगा।

5. कार्यरत स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए गेटमैन के हाथ सिगनल का पालन करते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।

6. जब गाड़ी **किच्छा** के तरफ से आनी वाली हो तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी** कार्यरत स्टेशन मास्टर/**किच्छा** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर खराब है तथा गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करे तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/**किच्छा** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए गेटमैन के हाथ सिगनल का पालन करते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।

7. यदि गेट सिगनल आन हैं तो लोको पायलट गेट सिगनल के पहले गाड़ी रोककर सामान्य नियम 3.73 के अनुसार कार्यवाही करेगा।

8. कार्यरत स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी** सिगनल एवं दूर संचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीध्र लिफ्टिंग बैरियर ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।

9. सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब सिगनल एंव दूर संचार विभाग बैरियर को ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

(रितेश गुप्ता) (जे0ए0आज़मी) (नानक चन्द)
मसिदूई/इज्जतनगर मपरिप/सा0/इज्जतनगर मण्डल इंजी0/मु0/इज्जतनगर

2.5 **<u>गेट की चाबी गेट के बन्द स्थिति में विफल हो जाना जब चाबी गेट खोलने के लिये बाहर न निकाली जा सके –</u>**

1. जब गेट चाबी विंच से या बूम लाक लीवर से बाहर नहीं निकाली जा सके तब गेटमैन तुरन्त कार्यरत स्टेशन मास्टर–**बहेड़ी** को प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करके टेलीफोन पर सूचित करेगा।
2 इस स्थिति में गेट को नान–इन्टरलाक समझा जायेगा और उसी के अनुसार कार्यवाही करना चाहिए।
3. कार्यरत स्टेशन मास्टर–**बहेड़ी** द्वारा गेट के तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ियों के लिये सतर्कता आदेश जारी करना चाहिए।
4. कार्यरत स्टेशन मास्टर–**बहेड़ी** स्टेशन मास्टर –**किच्छा** को प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर गेट रवराब है। तब कार्यरत स्टेशन मास्टर–**किच्छा** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी को सतर्कता आदेश जारी करे कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
5. कार्यरत स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी** सिगनल एवं दूर संचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीध्र लिफ्टिंग बैरियर ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।
6. सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब सिगनल एवं दूर संचार विभाग बैरियर को ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

2.6 **<u>गेट की चाबी गेट के खुली स्थिति में विफल हो जाना :–</u>**

1. जब गेट चाबी विंच से या बूम लाक लीवर से बाहर निकाली जा सके तब गेटमैन तुरन्त कार्यरत स्टेशन मास्टर–**बहेड़ी** को प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करके टेलीफोन पर सूचित करेगा।
2 इस स्थिति में गेट को नान–इन्टरलाक समझा जायेगा और उसी के अनुसार कार्यवाही करना चाहिए।
3. कार्यरत स्टेशन मास्टर–**बहेड़ी** द्वारा गेट के तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ियों के लिये सतर्कता आदेश जारी करना चाहिए।
4. कार्यरत स्टेशन मास्टर–**बहेड़ी** स्टेशन मास्टर –**किच्छा** को प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर गेट रवराब है। तब कार्यरत स्टेशन मास्टर–**किच्छा** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी को सतर्कता आदेश जारी करे कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
5 गेटमैन चेन एवं तालों द्वारा गेट को बन्द कर देगा तथा गाड़ियों को हाथ संकेत द्वारा पास करेगा।
6. कार्यरत स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी** सिगनल एवं दूर संचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीध्र लिफ्टिंग बैरियर ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।
7. सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब सिगनल एवं दूर संचार विभाग बैरियर को ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

(अतुल सिंह)	(के0एस0सोनाल)	(बालक राम)	(नानक चन्द)
मसिदूई/इज्जतनगर	मपरिप्र/इज्जतनगर	मसिदूई/निर्माण/लखनऊ	मण्डल इंजी0/इज्जतनगर

2.7 **<u>गेट सिगनल की विफलता :–</u>**

1 गेटमैन निम्नलिखित परिस्थितियों में गेट सिगनल को खराब मानेगा और गेट सिगनल को आफ नहीं करेगा :–

(अ) यदि गेट सिगनल बिना गेट बन्द किये हुए आफ किया जा सके।

(ब) यदि चाबी गेट की खुली स्थिति में विंच से निकाली जा सके।

2. यदि गेट या गेट सिगनल 'आफ' की स्थिति में खराब हो जाये तो गेटमैन गेट सिगनल को 'आन' की स्थिति में लाने का प्रयास करेगा।

3. गेट मैन तुरन्त कार्यरत स्टेशन मास्टर–**बहेड़ी** को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुए सूचित करेगा।

4. उसके बाद गेट को नान–इन्टरलाक समझा जायेगा और उसी के अनुसार गाड़ियों का आगमन अथवा प्रस्थान किया जायेगा।

5. गेटमैन गेट को चेन एवं ताले से बन्द करने के बाद दिन में हत्थेदार हरी झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती गुजरती हुई गाड़ियों को दिखायेगा।

6. कार्यरत स्टेशन मास्टर–**बहेड़ी** द्वारा गेट के तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ियों के लिये सतर्कता आदेश जारी करना चाहिए।

7. कार्यरत स्टेशन मास्टर–**बहेड़ी** स्टेशन मास्टर –**किच्छा** को प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर गेट रवराब है। तब कार्यरत स्टेशन मास्टर–**किच्छा** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी को सतर्कता आदेश जारी करे कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।

8. कार्यरत स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी** सिगनल एवं दूर संचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीध्र लिफ्टिंग बैरियर ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।

9. सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब सिगनल एवं दूर संचार विभाग बैरियर को ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

2.8 **<u>समपार फाटक पर अवरोध</u> –**

1. यदि काई सड़क वाहन समपार फाटक को तोड़कर रेल पथ को बाधित कर रहा है या लिफ्टिंग बैरियर या गेट का कोई अन्य भाग रेल पथ को बाधित कर रहा है या यदि अन्य कोई बाधा गेट पर है तो गेटमैन तत्काल ही गेट सिगनल को 'आन' की स्थिति में कर देगा।

2 गेटमैन दिन में लाल बैनर फ्लैग एवं रात्रि में लाल बत्ती समपार के दोनो तरफ इस उद्देश्य के लिये लगाये गये पोस्टों लगायेगा।

3. इसके तुरन्त बाद ही गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए अवरोध के बारे में सूचित करेगा।

4. यदि दो या तीन प्रयासो के बाद भी कार्यरत स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी** से कोई प्रत्युतर नही प्राप्त होता हैं तो गेटमैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के उपरान्त पुनः टेलीफोन द्वारा सूचित करेगा।

5. गेटमैन पटाखा एवं दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल ट्राइ कलर फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प लेकर तेजी से उस तरफ आगे बढ़ेगा जिस तरफ से गाड़ी का आगमन संभावित हैं, तथा रेल पथ को 'गेट मैनो' की कार्य प्रणाली सामान्य निर्देश के मद संरव्या 1.5 के अनुसार संरक्षित करेंगा।

(अतुल सिंह)	(के0एस0सोनाल)	(बालक राम)	(नानक चन्द)
मसिदूई/इज्जतनगर	मपरिप्र/इज्जतनगर	मसिदूई/निर्माण/लखनऊ	मण्डल इंजी0/इज्जतनगर

6. तदोपरान्त गेटमैन गेट को दूसरी तरफ संरक्षित करेगा।

7. गेटमैन सड़क वाहन के विवरणों चालक का नाम सड़क वाहन के मालिक का नाम लिरवकर स्टेशन मास्टर/किच्छा को सूचित करेगा तथा स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी** तब तक गाड़ी को नही चलायेगा जब तक गेटमैन सुनिश्चित नहीं कर देता है कि सड़क यातायात या लिफ्टिंग बैरियर रेल पथ को बाधित नही कर रहे है।

8. कार्यरत स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी** कार्यरत स्टेशन मास्टर/**किच्छा** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि वह अपने तरफ से कोई गाड़ी ब्लाक खण्ड में न भेजे जब तक रेल पथ से बाधा हटा न दिया जाय।

9. रेल पथ से बाधा हटा दिये जाने के बाद गेटमैन प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए कार्यरत स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी** को सूचित

10. तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी** सभी गाड़ियों के लोको पायलट को सर्तकता पूर्वक जाने एवं गेटमैन द्वारा हाथ सिगनल (हरा संकेत) देने पर सावधानी पूर्वक पार करने हेतु सर्तकता आदेश जारी करेगा। यदि गेट टूटा हो परन्तु गेट पर कोई व्यवधान न हो।

11. गेटमैन समपार फाटक को संरक्षा चेन एवं तालों द्वारा सड़क यातायात के लिसे संरक्षित करेगा तथा उसके बाद यदि समपार फाटक पर कोई व्यवधान नहीं है तो गेटमैन दिन के समय हत्थेदार हरी झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती गुजरती हुयी गाडियो को दिरवायेगा।

12. कार्यरत स्टेशन मास्टर–**बहेड़ी** जिम्मेदार सिगनल एवं दूर संचार स्टाफ को गेट के शीध्र मरम्मत के लिए लिखित सूचना देगा।

13. सामान्य स्थिति केवल सिगनल एवं दूर संचार स्टाफ के मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो देने के बाद ही होगी।

2.9 **समपार फाटक के समीप रेल पथ पर अवरोध –**

यदि किसी रेल का टूटना, रेल पथ पर पेड़ गिरने से कोई अवरोध, सड़क वाहन द्वारा बाधा अथवा कोई अवपथन जो गेटमैन को दिरवाई देता हो तो गेट मैन तथा कार्यरत स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी** मद संख्या 2.5 में वर्णित निर्देश के अनुसार कार्यवाही करेगें यदि कोई अवरोध समपार फाटक को बाधित करता हैं तो गेटमैन सड़क यातायात के लिये सड़क को उस समय तक बन्द ररवेगा जब तक रेल पथ से बाधा हटा नही दिया जाये।

(अतुल सिंह)	(के0एस0सोनाल)	(बालक राम)	(नानक चन्द)
मसिदूई/इज्जतनगर	मपरिप्र/इज्जतनगर	मसिदूई/निर्माण/लखनऊ	मण्डल इंजी0/इज्जतनगर

जारी तिथि लागू तिथि

परिशिष्ट – ''क–VI ''

बहेड़ी–किच्छा स्टेशनों के मध्य स्थित इंजी0 समपार फाटक संख्या 33 श्रेणी ''बी 1'' के संचालन हेतु अनुदेश –

1. **विवरण**

1.1 सामान्य –

1	समपार फाटक की संरव्या	33 / बी 1
2	इन्जीनियरिंग / ट्राफिक	इंजीनियरिंग
3	अधीन स्टेशन अधी0 / रेल पथ निरीक्षक	से0ई0(रेल पथ) / भोजीपुरा
4	किलोमीटर पर स्थित	37 / 2–3
5	स्टेशन	बहेड़ी
6	स्टेशन मध्य	बहेड़ी – किच्छा
7	बी0जी0 / एम0जी0 / एन0जी0	बी0जी0
8	इकहरी / दोहरी / मिश्रित	इकहरी लाइन
9	सामान्य स्थिति	सड़क यातायात के लिए खुला
10	इण्टरलाक्ड / नान इण्टरलाक्ड	इण्टरलाक्ड
11	इण्टरलाकिंग का प्रकार	गेट सिगनल
12	गेट सिगनलों का प्रावधान किलोमीटर	
(i)	अप गेट डिस्टेन्ट	36/0-1
(ii)	अप गेट सिगनल	37/0-1
(iii)	डाउन गेट सिगनल	37/3-4
(iv)	डाउन गेट डिस्टेन्ट	38/3-4
13	संकेतन व्यवस्था	कलर लाइट सिगनल
14	संचार साधन टेलीफोन / घंटी	टेलीफोन स्टेशन मास्टर / बहेड़ी से
15	समपार फाटक की चौड़ाई	7.50 मीटर
16	सड़क का प्रकार (एन0एच0 / एस0एच0 / अन्य)	अन्य
17	सड़क का नाम	परहोही रोड
18	पक्का / कच्चा	पक्का
19	पहुॅच मार्ग	नैनीताल
20	सड़क की चौड़ाई	5.50 मीटर
21	सड़क का क्रासिंग कोण (इस्क्यू गेट के लिए)	
	पूर्व / उत्तर की तरफ	90 डिग्री
	पश्चिम / दक्षिण की तरफ	90 डिग्री
22	सड़क का ढ़ाल यदि कोई हो	
(i)	पूर्व / उत्तर की तरफ	1 : 30
(ii)	पश्चिम / दक्षिण की तरफ	1 : 30
23	सड़क का प्रकार (सीधा / गोलाई)	
(i)	पूर्व / उत्तर की तरफ	सीधा
(ii)	पश्चिम / दक्षिण की तरफ	सीधा
24	हाइट गेज का प्राविधान	नहीं
25	बैरियर का प्रकार	लिफ्टिंग बैरियर
26	चेक रेल की लम्बाई	9.50 मीटर

(अतुल सिंह) मसिदूई/इज्जतनगर | (के0एस0सोनाल) मपरिप्र/इज्जतनगर | (बालक राम) मसिदूई/निर्माण/लखनऊ | (नानक चन्द) मण्डल इंजी0/इज्जतनगर

जारी तिथि लागू तिथि

27	समपार के मध्य सड़क का सतह	समतल पक्का
28	रम्बल स्ट्रिप / गति अवरोधक की लम्बाई	.
29	रोड साइन	उपलब्ध
30	गति अवरोधक बोर्ड	उपलब्ध
31	टी0वी0यू0	25870 अक्टूबर 2010
32	अगली गणना की तिथि	2013
33	पटाखा सिगनल लगाने का निर्दिष्ट स्थान	है
34	गेटमैनो की संरव्या	दो
35	निकटतम रेलवे सहायता केन्द्र	लालकुआ
36	निकटतम निजी चिकित्सा सहायता की उपलब्धता यदि कोई हो	बहेड़ी
37	उपलब्ध उपकरणों की सूची हॉ / नही	हॉ

1.2 उपकरण –

क्रम.सं.	सामग्री	संख्या
1	हाथ सिगनल बत्ती K. Oil	02
2	हरी हाथ झंडी	01
3	लाल हाथ झंडी	03
4	बैनर फ्लैग लाल	03
5	लाल बैनर फ्लैग लगाने हेतु पोस्ट	02
6	तालों के साथ अतिरिक्त चेन (जंजीर)	02 (स्टाप डिस्क के साथ)
7	पटाखा सिगनल	10
8	ट्राइ कलर फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प बेट्री लिट	01
6	गेट लैम्प	02
10	टोमीवार	01
11	मोर्टार पैन (तसला)	01
12	फावड़ा/बेल्चा	01
13	दुर्मुठ	01
14	पिक एक्स	01
15	टिन केस झंडी के लिए	01
15	कैन मिटटी के तेल हेतु	01
17	बाल्टी/पानी पीने का बर्तन	01
18	टिन केस मस्टर शीट के लिए	01
19	चश्मों का अतिरिक्त सेट जो चश्मा लगाते है (दृष्टि वाला)	01
20	गेट पर अवरोध की दशा में समपार की संरक्षा हेतु प्रदर्शित डायग्राम	01
21	टोकरी	01
22	सीटी (Thunder Whistle)	01
23	दीवार घड़ी	01
24	छोटी चेन व ताले (बूम लॉकिंग हेतु)	02

(अतुल सिंह)	(के0एस0सोनाल)	(बालक राम)	(नानक चन्द)
मसिदूई/इज्जतनगर	मपरिप्र/इज्जतनगर	मसिदूई/निर्माण/लखनऊ	मण्डल इंजी0/इज्जतनगर

1.3. **<u>गेट लाज पर रखे जाने वाले अभिलेख</u> –**

(1) गेट का कार्यकारी अनुदेश हिन्दी में ।

(2) गेटमैन नियम पुस्तिका स्थानीय भाषा में ।

(3) पुस्तकों एवं उपकरणों की सूची

(4) डियूटी रोस्टर ।

(5) गेटमैन का कार्य करने का प्रमाण पत्र ।

(6) गेटमैन का वायोडाटा, नेत्र जांच, प्रारंभिक पुनश्चर्या, संरक्षा कैम्प इत्यादि ।

(7) दुर्घटना रजिस्टर ।

(8) समपार फाटक पर अंतिम गणना का अभिलेख ।

(9) निरीक्षण पुस्तिका ।

(10) जन प्रतिवेदन पुस्तिका ।

1.4 **<u>गेटमैन के कर्तव्य :</u>**

(1) **<u>सावधानी</u>**
गेट मैन सदैव किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिये की जाने वाली त्वरित कार्यवाही के प्रति सावधान रहेगा।

(2) **<u>ट्रेन के समपार फाटक से गुजरते समय फाटक वाले की स्थिति</u>**
ट्रेन के गुजरने की स्थिति में गेट मैन बतायी गयी निम्नलिखित स्थिति में खड़ा रहेगा।

(i) गेट मैन सतर्कता पूर्वक गेटलाज के सामने आती हुयी ट्रेन के तरफ मुँह करके खड़ा रहेगा।

(ii) दिन में गेट मैन दॉये हाथ में लाल झण्डी तथा बायें हाथ में हरी झण्डी डण्डे में लगी हुई मोड़कर लिये रहेगा।

(iii) रात्रि समय में गेट मैन जलती हुयी सफेद हाथ बत्ती लाइन के तरफ दिखाता हुआ खड़ा रहेगा।

(iv) गेट मैन गले में धागे में बांधकर सीटी लटकाये रहेगा।

(3) **<u>गेट मैन की नियमित ड्यूटी</u>**

(i) गेट मैन आपात स्थिति अथवा अवरोध की स्थिति में रेल पथ पर समपार के दोनों तरफ दिन में लाल बैनर फ्लैग एवं रात्रि में लाल बत्ती निर्धारित स्थान पर लगायेगा।

(ii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि गेट लैम्प को सूर्यास्त से सूर्योदय तक लगातार जलते हुए स्थिति में रखेगा।

(iii) गेट मैन अपनी ड्यूटी निश्चित रूप से ड्यूटी रोस्टर के अनुसार करेगा और जब तक कार्यमुक्त करने हेतु साथी आ न जाये और वह गेट का कार्यभार ग्रहण न कर ले, तब तक गेट मैन गेट छोड़कर नहीं जायेगा। गेट मैन को यदि आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक से हटना अपरिहार्य हो तो वह गेट छोड़ने से पूर्व गेट को सड़क यातायात के लिए बंद करके ताला लगायेगा।

(iv) इन निर्देशों के अतिरिक्त गेट मैन गुजरती हुयी ट्रेन को देखता रहेगा और ट्रेन की संरक्षा हेतु कार्य करने के लिए तत्पर रहेगा।

(रितेश गुप्ता)	(जे0ए0आज़मी)	(नानक चन्द)
मसिदूई/इज्जतनगर	मपरिप्र / सा0/इज्जतनगर	मण्डल इंजी0 / मु0/इज्जतनगर

(v) गेट मैन गुजरती हुयी सभी ट्रेनों पर पैनी नजर रखेगा जिससे किसी अप्रत्याशित घटना जैसे – हॉट एक्सल (गर्म धुरा), लटकती हुई चैन, लटकती हुई बैट्री, किसी वाहन / वैगन / ट्रेन /बैट्री बाक्स में आग लगी हो, ब्रेक ब्लाक, ब्रेक बीम, सेफ्टी ब्रेकेट, वैक्यूम सिलेन्डर आदि का लटकना, गिरना जिसके कारण ट्रेन की संरक्षा बाधित हो का पता लगाकर आवश्यक कार्यवाही करेगा।

(vi) गेट मैन गार्ड द्वारा लोको पायलट को वाकी–टाकी अथवा किसी अन्य माध्यम से दिये गये संकेतों को दोहराने के लिए तैयार रहेगा।

(vii) समपार फाटक का बैरियर गेट क्षतिग्रस्त अथवा खराब होने की दशा में गेट मैन अतिरिक्त चैन डिस्क एवं तालों का प्रयोग कर सड़क यातायात बंद करेगा।

(viii) गेट मैन अपने गेट की किसी भी खराबी के लिए यथाशीघ्र स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी**, गैंग मेट अथवा रेल पथ निरीक्षक को सूचित करेगा।

(ix) जब गेट मैन अपने कार्य पर रहेगा तो वह निर्धारित वर्दी एवं बैज धारण करेगा।

(x) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि ड्यिूटी के समय उसके पास दक्षता प्रमाण पत्र उपलब्ध है।

(xi) गेटमैन, गेट संचालन नियमों के अनुरूप कार्य करेगा तथा नियमों के बारे में पूर्णरूपेण जानकारी रखेगा।

(xii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि उसके गेट पर आपूर्ति किये गये सभी उपकरण अच्छी स्थिति में है एवं तत्काल प्रयोग हेतु तैयार है।

(xiii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि समपार पर चैक रेल गैप साफ है।

(xiv) गेट मैन समपार फाटक की सड़क को (कच्ची सड़क) पानी छिड़ककर एवं दुरमुट से ठोककर ठीक रखेगा।

(xv) गेट मैन सड़क प्रयोगकर्ताओं की, गेट को बंद रखने की स्थिति से उत्पन्न असुविधाओं के प्रति सतर्क रहेगा तथा ध्यान देगा कि समपार फाटक कम से कम समय के लिए बन्द हो।

(xvi) जहां तक संभव हो गेट मैन मनुष्यों, वाहनों अथवा जानवरों के अवैध आवागमन पर रोक लगायेगा।

(4) **<u>ट्रेन की असामान्य स्थिति में किया जाने वाला कार्य</u>**

यदि गेटमैन किसी पास हो रही गाड़ी में कोई असामान्य बात देखता है तो वह निम्न कार्य करेगा

(i) वह तत्काल ही लोको पायलट/गार्ड को दिन में लाल झण्डी तथा रात में लाल बत्ती दिखाकर सचेत करेगा ।

(ii) साथ ही साथ लोको पायलट/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिए लगातार सीटी बजायेगा, चिल्लायेगा, असामान्य हाव–भाव प्रदर्शित करेगा तथा ब्रेकवान पर पत्थर फेकेगा अथवा कोई अन्य साधन अपनायेगा।

(iii) यदि लोको पायलट/गार्ड उपरोक्त कार्यों के उपरांत भी ध्यान नहीं देते हैं तो वह स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी** को टेलिफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुए तो तद्नुसार कार्यवाही करने हेतु सूचित करेगा।

(iv) किसी ट्रेन के विभक्त (पार्टिंग) हो जाने की दशा में गेट मैन रोक हैण्ड सिगनल (लाल) नहीं दिखायेगा बल्कि वह दिन में हरी झन्डी तथा रात में सफेद बत्ती ऊपर–नीचे करके निर्धारित संकेत करेगा।

(अतुल सिंह)	(के0एस0सोनाल)	(बालक राम)	(नानक चन्द)
मसिदूई/इज्जतनगर	मपरिप्र/इज्जतनगर	मसिदूई/निर्माण/लखनऊ	मण्डल इंजी0/इज्जतनगर

जारी तिथि लागू तिथि

(v) वह लोको पायलट/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास लगातार सीटी बजाकर, चिल्लाकर, असामान्य हाव–भाव प्रदर्शित करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाकर तुरन्त दोनों हाथों को अलग करके पुनः दोनों हाथों को सटाते हुए पुनः हाथों को बिल्कुल नीचे करते हुए करेगा।

(vi) ऐसा करने से यदि ट्रेन नहीं रूकती है तो गेटमैन तुरन्त टेलीफोन पर स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी** को उचित कार्यवाही करने हेतु गोपनीय संख्या के आदान–प्रदान के अन्तर्गत इसकी सूचना देगा।

(5) **आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक पर की जाने वाली कार्यवाही**

(i) समपार फाटक पर कोई अवरोध आ जाने पर वह लाइन पर दोनों तरफ दिन में लाल बैनर फ्लैग एवं रात्रि में लाल बत्ती निर्धारित स्थान पर लगायेगा।

(ii) इसके उपरान्त यदि गेट मैन अवरोध हटाने में सक्षम नहीं है तो वह स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी** को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुए गेट की खराबी/अवरोध के बारे में तत्काल सूचित करेगा।

(iii) यदि दो या तीन प्रयासों के बाद भी स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी** कोई प्रत्युत्तर नहीं देते है तो गेट मैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के बाद पुनः टेलीफोन से सूचित करेगा।

1.5 **गेट मैन गेट की संरक्षा (बचाव) निम्नलिखित अनुसार करेगा**

(अ) **इकहरी लाइन पर**

(i) गेट मैन दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती 5 मीटर दूर निर्धारित पोस्ट पर सर्वप्रथम उस तरफ लगा देगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना है।

(ii) इसके पश्चात उसी तरह दिन में दूसरा लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती लाइन की दूसरी ओर अवरोध से 5 मीटर की दूरी पर लगायेगा।

(iii) गेट मैन तब पटाखे, और दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल ट्राइ कलर फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प लेकर गेट को संरक्षित करने के लिये आगे बढ़ेगा।

(iv) गेट मैन दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल ट्राई कलर फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प दिखाते हुये पहले उस दिशा में बढ़ेगा जिधर से ट्रेन के आने की सम्भावना है तब समपार/अवरोध से 600 मीटर पर एक पटाखा लगा देगा उसके पश्चात वह समपार/अवरोध से 1200 मीटर की दूरी पर तीन पटाखे 10–10 मीटर की दूरी पर लगायेगा। इस प्रकार लाइन को संरक्षित करने के उपरान्त वह समपार पर लौटते हुये पूर्व में 600 मीटर पर लगाये गये पटाखा उठा लेगा।

(v) इसके बाद वह लाल झण्डी दिखाते हुये उसी प्रकार जेसा क्रमांक (iv) में वर्णित है लाइन की दूसरी तरफ पटाखा लगायेगा तथा समपार की तरफ लौटते हुये बीच का पटाखा उठा लेगा।

(vi) समपार गेट पर लौटने के पश्चात गेट मैन अवरोध को हटाने तथा आने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सचेत करने का प्रयास करेगा।

(vii) उन परिस्थितियों में जब गेट मैन रास्ते में ही है और निर्दिष्ट स्थानों पर जहॉ पटाखे लगाये जाते हैं, पहॅुचने के पूर्व ही वह ट्रेन को आते देखता है अथवा ट्रेन की आवाज सुनाई पड़ती है तो वह जहॉ तक पहॅुच सकता है उसी स्थान पर पटाखा लगा देगा।

(viii) उसके उपरान्त गेट आने वाली ट्रेन के लोको पायलट को दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल ट्राई कलर फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प दिखाकर सचेत करेगा / रोकेगा।

(अतुल सिंह)	(के0एस0सोनाल)	(बालक राम)	(नानक चन्द)
मसिदूई/इज्जतनगर	मपरिप्र/इज्जतनगर	मसिदूई/निर्माण/लखनऊ	मण्डल इंजी0/इज्जतनगर

(ब) **गेट मैन द्वारा किये जाने वाली अन्य कार्यवाही**

(i) यदि समपार गेट किसी वाहन द्वारा तोड़ दिया जाता है और वाहन ट्रैक को बाधित कर रहा है, या बैरियर गेट का अन्य कोई भाग ट्रैक को बाधित कर रहा है या गेट पर अन्य कोई अवरोध है तो गेट मैन तुरन्त कार्यवाही करेगा।

(ii) गेट मैन सड़क वाहन का विवरण लिखेगा जैसे–वाहन संख्या, ड्राइवर का नाम, मालिक का नाम और गेट मैन स्टेशन मास्टर–किच्छा अथवा रेल पथ निरीक्षक को किसी संदेशवाहक या अन्य उपलब्ध संसाधनों के द्वारा सूचित करेगा।

2. **समपार फाटक के संचालन हेतु विशेष अनुदेश** –

2.1 **संचालन पद्धति** –

इन निर्देशो को आर0डी0 सं0 उपमुसिदूई/नि/इज्जत/2012(आर0डी0) 5 दिनांक 17.3.2012 संशोधन'ए' दिनांक 12.9.2012 के साथ पढ़ा जाय।

समपार फाटक को सड़क यातायात के विरूद बंद करने के लिए कार्यरत गेटमैन विंच को तब तक संचालित करेगा जब तक कि बैरियर नीचे आकर समतल स्थिति में बूम पोस्ट पर स्थिर न हो जायें। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर के बीच में कोई सड़क वाहन न फॅस जाए। विंच को इस स्थिति में लाक (Lock) करने के लिए 'ई' प्रकार के लाक (Lock) से चाभी **'पी–1'** को निकाल लेगा तथा बमू लाक में लगे 'ई' प्रकार के लाक में चाबी '**पी–1**' को लगाकर रिवर्स करेगा। जिससे चाबी **'पी'** निकालेगा जो बूम को फाटक बन्द स्थिति में लाक करेगा। गेटमैन चाबी 'पी' के सिरे रिवीट एवं वेल्डिंग की हुई KLCR की चाबी को KLCR में लगाकर क्लाक वाइज धुमायेगा। तत्पश्चात गेटमैन गेट सिगनलों आफ करने के लिए सम्बन्धित स्वीच को **'आर'** की तरफ धुमाएगा, जिससे गेट सिगनल आफ हो जायेगा तथा गेट डिस्टेन्ट स्वमेव आफ हो जायेगा। गेट सिगनल आफ को आफ करने के बाद गेटमैन दिन में दाहिने हाथ सिमटी हुई हत्थेदार लाल झण्डी एवं बाये हाथ में सिमटी हुई हरी झण्डी तथा रात में सफेद प्रकाश वाला हैण्ड सिगनल लैम्प ट्रैक की तरफ दिखाता हुआ गेट लाज के पास खड़ा होकर गाड़ी के समपार फाटक से सुरक्षित गुजरने का प्रेक्षण करेगा।

फाटक की सुरक्षा के लिये निम्नलिखित बहुसंकेतीय रंगीन बत्ती सिगनलो की व्यवस्था है जो इस समपार की गाड़ियो से रक्षा करते है। सिगनल के परिचालन के लिए दो स्वीच तथा बूम लाकिंग हेतु 1 लीवर का ग्राउन्ड फ्रेम लगा है जो इस प्रकार है :–

लीवर /स्वीच संख्या	विवरण	किसके द्वारा मुक्त होते हैं (Released by)	लाक्ड (Lock)
1	बूम लाकिंग लीवर	चाबी 'पी'	––
1	अप गेट सिगनल	बूम लाकिंग लीवर	2.
2	डाउन गेट सिगनल	बूम लाकिंग लीवर	1

गाड़ी के पूरी तरह गुजर जाने के बाद गेटमैन समपार फाटक को सड़क यातायात के लिए खोलने के लिए सिगनल स्वीच को नार्मल करेगा तत्पश्चात KLCR पर लगे बटन को दबाकर KLCR से चाबी **'पी'** निकाल लेगा। चाबी **'पी'** को बूम लाक लीवर में लगाकर धुमाएगा जिससे बूम लाक लीवर मुक्त होगा, जिसे नार्मल करने के बाद **'ई'** प्रकार के लॉक में लगी चाबी **'पी–1'** को निकाल लेगा। चाबी 'पी–1' को बिंच में लगे **'ई'** प्रकार लाक में लगाकर घुमाएगा तथा विन्च को तब तक संचालित करेगा जब तक कि लिफ्टिंग बैरियर ठीक ऊपर लम्बवत उठ न जाय।

गाड़ी के सम्भावित आगमन और प्रस्थान से पहले 10 मिनट से अधिक समय तक फाटक को बन्द नही रखना चाहिए। किसी भी मामले में समपार फाटक लगातार 12 मिनट से अधिक समय तक बन्द नही रखना चाहिए।

(रितेश गुप्ता) (जे0ए0आज़मी) (नानक चन्द)
मसिदूई/इज्जतनगर मपरिप/सा0/इज्जतनगर मण्डल इंजी0/मु0/इज्जतनगर

1.2.2 **गेट मैन को सूचित करना गेट मैन को सूचित करना** :–

1. कार्यरत स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी,** गाड़ी के संचालन की सूचना समय से गेटमैन को टेलीफोन द्वारा गाड़ी की संख्या, विवरण, दिशा तथा समपार से पास करने का सम्भावित समय की सूचना देगा।

स्टेशन मास्टर/गेटमैन इन सूचनाओं की प्रविष्टि अपनी लॉग–बुक में निम्न प्रकार करेगा –

स्टेशन मास्टर की लॉग बुक :-

तिथि	गाड़ी सं0	गेटमैन को सूचित करने का समय	समपार से गाड़ी गुजरने का सम्भावित समय	स्टेशन मास्टर का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5

गेटमैन की लाग बुक

तिथि	गाड़ी सं0	समपार से गाड़ी गुजरने का सम्भावित समय	गेट बन्द करने का समय	समपार से गाड़ी गुजरने का वास्तविक समय / समपार खोलने का समय	गेटमैन का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6

3. गेटमैन का यह दायित्व है कि वह समय से समपार फाटक बन्द करे जिससे गाड़ियों का विलम्बन न हो।

2.3 **टेलीफोन संचार की विफलता** :–

जब टेलीफोन संचार विफल हो जाय अथवा दो या तीन प्रयास के बाद भी गेटमैन के तरफ से कोई प्रत्युत्तर न प्राप्त हो तो –

1 कार्यरत स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।

2. यदि गेट सिगनल आन हैं तो लोको पायलट गेट सिगनल के पहले गाड़ी रोककर सामान्य नियम 3.73 के अनुसार कार्यवाही करेगा।

3 जब गाड़ी **किच्छा** की तरफ से आने वाली है तथ कार्यरत स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी** कार्यरत स्टेशन मास्टर/**किच्छा** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि टेलीफोन खराब है।

4 तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/**किच्छा** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेटमैन के हाथ संकेत का पालन करते हुए गेट की तरफ आगे बढ़े।

(अतुल सिंह)	(के0एस0सोनाल)	(बालक राम)	(नानक चन्द)
मसिदूई/इज्जतनगर	मपरिप्र/इज्जतनगर	मसिदूई/निर्माण/लखनऊ	मण्डल इंजी0/इज्जतनगर

5. लोको पायलट को गेटमैन द्वारा हाथ संकेत देने पर समपार फाटक को सतर्कता पूर्वक पार करने का निर्देश दिया जायेगा। यदि हाथ सिगनल संकेत नही दिखायी देता हैं तो लोको पायलट को समपार गेट के पहले रूककर अपने सहायक लोको पायलट को समपार फाटक की स्थिति जानने के लिये भेजेगा। यदि समपार फाटक बन्द हैं तो सहायक लोको पायलट 'सभी ठीक है' सिगनल देगा और यदि समपार फाटक बन्द नही हैं तो सहायक लोको पायलट समपार फाटक को अवश्य बन्द करेगा और तब 'सभी ठीक है' संकेत देगा। सहायक लोको पायलट की अनुपस्थिति में लोको पायलट सहायक गार्ड की सहायता लेगा।

6 कार्यरत स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी** गेटमैन को भी गैंग मैन/पेट्रोल मैन/प्रथम गाड़ी के लोको पायलट द्वारा टेलीफोन खराब होने की सूचना देगा।

7 कार्यरत स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी** सिगनल एवं दूरसंचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीध्र टेलीफोन ठीक करने के लिए सूचना देगा।

8 सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब सिगनल एवं दूरसंचार विभाग टेलीफोन ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

2.4 **लिफ्टिंग बैरियर या बूम लॉकिंग की विफलता** –

1. जब लिफ्टिंग बैरियर गेट खराब हो जाने के कारण गेट बन्द न किया जा सके तो गेटमैन तुरन्त प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करके कार्य पर उपस्थित स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी** को सूचित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर रेल पथ को बाधित नही कर रहा हैं।

2. बूम लॉकिंग विफल होने पर इस सम्बन्ध में प्रदत्त छोटी चेन को प्रत्येक बूम पर बूम पोस्ट से बांध कर बूम को लॉक करेगा।

3. गेटमैन तुरन्त दिन में लाल बैनर फलैग एवं रात्रि में लाल बत्ती समपार पर निर्दिष्ट स्थान (पोस्ट) पर सर्वप्रथम उस तरफ लगायेगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना हो तदोपरान्त समपार के दूसरी तरफ लगायेगा।

4. सड़क यातायात को सुरक्षित करने के उपरान्त गेटमैन दिन के समय हत्थेदार हरी झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती आती हुयी गाड़ी के लोको पायलट को दिखायेगा।

5. कार्यरत स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए गेटमैन के हाथ सिगनल का पालन करते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।

6. जब गाड़ी **किच्छा** के तरफ से आनी वाली हो तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी** कार्यरत स्टेशन मास्टर/**किच्छा** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर खराब है तथा गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करे तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/**किच्छा** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए गेटमैन के हाथ सिगनल का पालन करते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।

7. यदि गेट सिगनल आन हैं तो लोको पायलट गेट सिगनल के पहले गाड़ी रोककर सामान्य नियम 3.73 के अनुसार कार्यवाही करेगा।

8. कार्यरत स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी** सिगनल एवं दूर संचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीध्र लिफ्टिंग बैरियर ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।

9. सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब सिगनल एंव दूर संचार विभाग बैरियर को ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

(रितेश गुप्ता) (जे0ए0आज़मी) (नानक चन्द)
मसिदूई/इज्जतनगर मपरिप्र/सा0/इज्जतनगर मण्डल इंजी0/मु0/इज्जतनगर

जारी तिथि लागू तिथि

2.5 **<u>गेट की चाबी गेट के बन्द स्थिति में विफल हो जाना जब चाबी गेट खोलने के लिये बाहर न निकाली जा सके</u>** –

1. जब गेट चाबी विंच से या बूम लाक लीवर से बाहर नहीं निकाली जा सके तब गेटमैन तुरन्त कार्यरत स्टेशन मास्टर–**बहेड़ी** को प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करके टेलीफोन पर सूचित करेगा।
2 इस स्थिति में गेट को नान–इन्टरलाक समझा जायेगा और उसी के अनुसार कार्यवाही करना चाहिए।
3. कार्यरत स्टेशन मास्टर–**बहेड़ी** द्वारा गेट के तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ियों के लिये सतर्कता आदेश जारी करना चाहिए।
4. कार्यरत स्टेशन मास्टर–**बहेड़ी** स्टेशन मास्टर –**किच्छा** को प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर गेट रवराब है। तब कार्यरत स्टेशन मास्टर–**किच्छा** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी को सतर्कता आदेश जारी करे कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
5. कार्यरत स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी** सिगनल एवं दूर संचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीध्र लिफ्टिंग बैरियर ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।
6. सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब सिगनल एवं दूर संचार विभाग बैरियर को ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

2.6 **<u>गेट की चाबी गेट के खुली स्थिति में विफल हो जाना</u>** :–

1. जब गेट चाबी विंच से या बूम लाक लीवर से बाहर निकाली जा सके तब गेटमैन तुरन्त कार्यरत स्टेशन मास्टर–**बहेड़ी** को प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करके टेलीफोन पर सूचित करेगा।
2 इस स्थिति में गेट को नान–इन्टरलाक समझा जायेगा और उसी के अनुसार कार्यवाही करना चाहिए।
3. कार्यरत स्टेशन मास्टर–**बहेड़ी** द्वारा गेट के तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ियों के लिये सतर्कता आदेश जारी करना चाहिए।
4. कार्यरत स्टेशन मास्टर–**बहेड़ी** स्टेशन मास्टर –**किच्छा** को प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर गेट रवराब है। तब कार्यरत स्टेशन मास्टर–**किच्छा** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी को सतर्कता आदेश जारी करे कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
5 गेटमैन चेन एवं तालों द्वारा गेट को बन्द कर देगा तथा गाड़ियों को हाथ संकेत द्वारा पास करेगा।
6. कार्यरत स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी** सिगनल एवं दूर संचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीध्र लिफ्टिंग बैरियर ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।
7. सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब सिगनल एवं दूर संचार विभाग बैरियर को ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

(अतुल सिंह)	(के0एस0सोनाल)	(बालक राम)	(नानक चन्द)
मसिदूई/इज्जतनगर	मपरिप्र/इज्जतनगर	मसिदूई/निर्माण/लखनऊ	मण्डल इंजी0/इज्जतनगर

2.7 **गेट सिगनल की विफलता :–**

1 गेटमैन निम्नलिखित परिस्थितियों में गेट सिगनल को खराब मानेगा और गेट सिगनल को आफ नहीं करेगा :–

(अ) यदि गेट सिगनल बिना गेट बन्द किये हुए आफ किया जा सके।

(ब) यदि चाबी गेट की खुली स्थिति में विंच से निकाली जा सके।

2. यदि गेट या गेट सिगनल 'आफ' की स्थिति में खराब हो जाये तो गेटमैन गेट सिगनल को 'आन' की स्थिति में लाने का प्रयास करेगा।

3. गेट मैन तुरन्त कार्यरत स्टेशन मास्टर–**बहेड़ी** को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुए सूचित करेगा।

4. उसके बाद गेट को नान–इन्टरलाक समझा जायेगा और उसी के अनुसार गाड़ियों का आगमन अथवा प्रस्थान किया जायेगा।

5. गेटमैन गेट को चेन एवं ताले से बन्द करने के बाद दिन में हत्थेदार हरी झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती गुजरती हुई गाड़ियों को दिखायेगा।

6. कार्यरत स्टेशन मास्टर–**बहेड़ी** द्वारा गेट के तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ियों के लिये सतर्कता आदेश जारी करना चाहिए।

7. कार्यरत स्टेशन मास्टर–**बहेड़ी** स्टेशन मास्टर –**किच्छा** को प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर गेट रवराब है। तब कार्यरत स्टेशन मास्टर–**किच्छा** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी को सतर्कता आदेश जारी करे कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।

8. कार्यरत स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी** सिगनल एवं दूर संचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीध्र लिफ्टिंग बैरियर ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।

9. सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब सिगनल एवं दूर संचार विभाग बैरियर को ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

2.8 **समपार फाटक पर अवरोध –**

1. यदि काई सड़क वाहन समपार फाटक को तोड़कर रेल पथ को बाधित कर रहा है या लिफ्टिंग बैरियर या गेट का कोई अन्य भाग रेल पथ को बाधित कर रहा है या यदि अन्य कोई बाधा गेट पर है तो गेटमैन तत्काल ही गेट सिगनल को 'आन' की स्थिति में कर देगा।

2 गेटमैन दिन में लाल बैनर फ्लैग एवं रात्रि में लाल बत्ती समपार के दोनो तरफ इस उद्देश्य के लिये लगाये गये पोस्टों लगायेगा।

3. इसके तुरन्त बाद ही गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए अवरोध के बारे में सूचित करेगा।

4. यदि दो या तीन प्रयासो के बाद भी कार्यरत स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी** से कोई प्रत्युतर नही प्राप्त होता हैं तो गेटमैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के उपरान्त पुनः टेलीफोन द्वारा सूचित करेगा।

5. गेटमैन पटाखा एवं दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल ट्राइ कलर फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प लेकर तेजी से उस तरफ आगे बढ़ेगा जिस तरफ से गाड़ी का आगमन संभावित हैं, तथा रेल पथ को 'गेट मैनो' की कार्य प्रणाली सामान्य निर्देश के मद संरव्या 1.5 के अनुसार संरक्षित करेंगा।

(अतुल सिंह) मसिदूई/इज्जतनगर — (के0एस0सोनाल) मपरिप्र/इज्जतनगर — (बालक राम) मसिदूई/निर्माण/लखनऊ — (नानक चन्द) मण्डल इंजी0/इज्जतनगर

6. तदोपरान्त गेटमैन गेट को दूसरी तरफ संरक्षित करेगा।

7. गेटमैन सड़क वाहन के विवरणों चालक का नाम सड़क वाहन के मालिक का नाम लिरवकर स्टेशन मास्टर/किच्छा को सूचित करेगा तथा स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी** तब तक गाड़ी को नही चलायेगा जब तक गेटमैन सुनिश्चित नहीं कर देता है कि सड़क यातायात या लिफ्टिंग बैरियर रेल पथ को बाधित नही कर रहे है।

8. कार्यरत स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी** कार्यरत स्टेशन मास्टर/**किच्छा** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि वह अपने तरफ से कोई गाड़ी ब्लाक खण्ड में न भेजे जब तक रेल पथ से बाधा हटा न दिया जाय।

9. रेल पथ से बाधा हटा दिये जाने के बाद गेटमैन प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए कार्यरत स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी** को सूचित

10. तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी** सभी गाड़ियों के लोको पायलट को सर्तकता पूर्वक जाने एवं गेटमैन द्वारा हाथ सिगनल (हरा संकेत) देने पर सावधानी पूर्वक पार करने हेतु सर्तकता आदेश जारी करेगा। यदि गेट टूटा हो परन्तु गेट पर कोई व्यवधान न हो।

11. गेटमैन समपार फाटक को संरक्षा चेन एवं तालों द्वारा सड़क यातायात के लिसे संरक्षित करेगा तथा उसके बाद यदि समपार फाटक पर कोई व्यवधान नहीं है तो गेटमैन दिन के समय हत्थेदार हरी झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती गुजरती हुयी गाडियो को दिरवायेगा।

12. कार्यरत स्टेशन मास्टर–**बहेड़ी** जिम्मेदार सिगनल एवं दूर संचार स्टाफ को गेट के शीध्र मरम्मत के लिए लिखित सूचना देगा।

13. सामान्य स्थिति केवल सिगनल एवं दूर संचार स्टाफ के मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो देने के बाद ही होगी।

2.9 **समपार फाटक के समीप रेल पथ पर अवरोध –**

यदि किसी रेल का टूटना, रेल पथ पर पेड़ गिरने से कोई अवरोध, सड़क वाहन द्वारा बाधा अथवा कोई अवपथन जो गेटमैन को दिरवाई देता हो तो गेट मैन तथा कार्यरत स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी** मद संख्या 2.5 में वर्णित निर्देश के अनुसार कार्यवाही करेगें यदि कोई अवरोध समपार फाटक को बाधित करता हैं तो गेटमैन सड़क यातायात के लिये सड़क को उस समय तक बन्द ररवेगा जब तक रेल पथ से बाधा हटा नही दिया जाय।

(अतुल सिंह)	(के0एस0सोनाल)	(बालक राम)	(नानक चन्द)
मसिदूई/इज्जतनगर	मपरिप्र/इज्जतनगर	मसिदूई/निर्माण/लखनऊ	मण्डल इंजी0/इज्जतनगर

परिशिष्ट – ''क–VII''

बहेड़ी –किच्छा स्टेशनों के मध्य स्थित इंजी0 समपार फाटक संख्या 34 श्रेणी ''सी'' के संचालन हेतु अनुदेश –

1. **विवरण**

1.1 सामान्य –

1	समपार फाटक की संख्या	34/सी
2	इन्जीनियरिंग / ट्राफिक	इंजीनियरिंग
3	अधीन स्टेशन अधी0/रेल पथ निरीक्षक	से0ई0(रेल पथ)/भोजीपुरा
4	किलोमीटर पर स्थित	38 / 7-8
5	स्टेशन	बहेड़ी
6	स्टेशन मध्य	बहेड़ी – किच्छा
7	बी0जी0/एम0जी0/एन0जी0	बी0जी0
8	इकहरी / दोहरी / मिश्रित	इकहरी लाइन
9	सामान्य स्थिति	सड़क यातायात के लिए खुला
10	इण्टरलाक्ड/नान इण्टरलाक्ड	नान–इण्टरलाक्ड
11	इण्टरलाकिंग का प्रकार	..
12	गेट सिगनलों का प्रावधान किलोमीटर	
(i)	अप साइड	--
(ii)	डाउन साइड	----
13	संकेतन व्यवस्था	....
14	संचार साधन टेलीफोन / घन्टी	टेलीफोन स्टेशन मास्टर/बहेड़ी से
15	समपार फाटक की चौड़ाई	7.50 मीटर
16	सड़क का प्रकार (एन0एच0/एस0एच0/अन्य)	अन्य
17	सड़क का नाम	विलेज रोड
18	पक्का / कच्चा	पक्का
19	पहुँच मार्ग	नैनीताल रोड
20	सड़क की चौड़ाई	7.50 मीटर
21	सड़क का क्रासिंग कोण (इस्क्यू गेट के लिए)	.
(i)	पूर्व / उत्तर की तरफ	90 डिग्री
(ii)	पश्चिम / दक्षिण की तरफ	90 डिग्री
22	सड़क का ढ़ाल यदि कोई हो	
(i)	पूर्व / उत्तर की तरफ	1 : 30
(ii)	पश्चिम / दक्षिण की तरफ	1 : 30
23	सड़क का प्रकार (सीधा/गोलाई)	
(i)	पूर्व / उत्तर की तरफ	सीधा
(ii)	पश्चिम / दक्षिण की तरफ	सीधा
24	हाइट गेज का प्राविधान	.नहीं
25	बैरियर का प्रकार	लिफ्टिंग बैरियर
26	चेक रेल की लम्बाई	9.50 मीटर
27	समपार के मध्य सड़क का सतह	प्रीमिक्स
28	रम्बल स्ट्रिप / गति अवरोधक की लम्बाई	9.0 मीटर

(अतुल सिंह) मसिदूई/इज्जतनगर | (के0एस0सोनाल) मपरिप्र/इज्जतनगर | (बालक राम) मसिदूई/निर्माण/लखनऊ | (नानक चन्द) मण्डल इंजी0/इज्जतनगर

जारी तिथि लागू तिथि

29	रोड साइन	उपलब्ध
30	गति अवरोधक बोर्ड	उपलब्ध
31	टी0वी0यू0	3036 दिसम्बर 2009
32	अगली गणना की तिथि	2013
33	पटाखा सिगनल लगाने का निर्दिष्ट स्थान	है
34	गेटमैनो की संरव्या	दो
35	निकटतम रेलवे सहायता केन्द्र	लालकुआ
36	निकटतम निजी चिकित्सा सहायता की उपलब्धता यदि कोई हो	बहेड़ी
37	उपलब्ध उपकरणों की सूची हॉ / नही	हॉ

1.2 उपकरण –

क्रम.सं.	समग्री	संख्या
1	हाथ सिगनल बत्ती K. Oil	02
2	हरी हाथ झंडी	01
3	लाल हाथ झंडी	03
4	बैनर फ्लैग लाल	03
5	लाल बैनर फ्लैग लगाने हेतु पोस्ट	02
6	तालों के साथ अतिरिक्त चेन (जंजीर)	02 (स्टाप डिस्क के साथ)
7	पटाखा सिगनल	10
8	ट्राइ कलर फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प बैट्री लिट	01
9	गेट लैम्प	02
10	टोमीवार	01
11	मोर्टार पैन (तसला)	01
12	फावड़ा / बेलचा	01
13	छुर्मुठ	01
14	पिक एक्स	01
15	टिन केस झंडी के लिए	01
16	कैन मिटटी के तेल हेतु	01
17	बाल्टी/पानी पीने का बर्तन	01
18	टिन केस मस्टर शीट के लिए	01
19	चश्मों का अतिरिक्त सेट जो चश्मा लगाते है (दृष्टि वाला)	01
20	गेट पर अवरोध की दशा में समपार की संरक्षा हेतु प्रदर्शित डायग्राम	01
21	टोकरी	01
22	सीटी (Thunder Whistle)	01
23	दीवार घड़ी	01
24	छोटी चेन व ताले (बूम लॉकिंग हेतु)	02

(अतुल सिंह) मसिदूई/इज्जतनगर | (के0एस0सोनाल) मपरिप्र/इज्जतनगर | (बालक राम) मसिदूई/निर्माण/लखनऊ | (नानक चन्द) मण्डल इंजी0/इज्जतनगर

1.3. **गेट लाज पर रखे जाने वाले अभिलेख** –

(1) गेट का कार्यकारी अनुदेश हिन्दी में ।

(2) गेटमैन नियम पुस्तिका स्थानीय भाषा में ।

(3) पुस्तकों एवं उपकरणों की सूची

(4) डियूटी रोस्टर ।

(5) गेटमैन का कार्य करने का प्रमाण पत्र ।

(6) गेटमैन का वायोडाटा, नेत्र जांच, प्रारंभिक पुनश्चर्या, संरक्षा कैम्प इत्यादि ।

(7) दुर्घटना रजिस्टर ।

(8) समपार फाटक पर अंतिम गणना का अभिलेख ।

(9) निरीक्षण पुस्तिका ।

(10) जन प्रतिवेदन पुस्तिका ।

1.4 **गेटमैन के कर्तव्य :**

(1) **सावधानी**
गेट मैन सदैव किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिये की जाने वाली त्वरित कार्यवाही के प्रति सावधान रहेगा। समपार फाटक की चाभी गेटमैन के व्यक्तिगत कब्जे में रहेगी।

(2) **ट्रेन के समपार फाटक से गुजरते समय फाटक वाले की स्थिति**
ट्रेन के गुजरने की स्थिति में गेट मैन बतायी गयी निम्नलिखित स्थिति में खड़ा रहेगा।

(i) गेट मैन सतर्कता पूर्वक गेटलाज के सामने आती हुयी ट्रेन के तरफ मुॅह करके खड़ा रहेगा।

(ii) दिन में गेट मैन दॉये हाथ में लाल झण्डी तथा बायें हाथ में हरी झण्डी डण्डे में लगी हुई मोड़कर लिये रहेगा।

(iii) रात्रि समय में गेट मैन जलती हुयी सफेद हाथ बत्ती लाइन के तरफ दिखाता हुआ खड़ा रहेगा।

(iv) गेट मैन गले में धागे में बांधकर सीटी लटकाये रहेगा।

(3) **गेट मैन की नियमित ड्यूटी**

(i) गेट मैन जब समपार फाटक सड़क यातायात के लिये खुला हुआ हो तो रेल पथ पर समपार के दोनों तरफ दिन में लाल बैनर फ्लैग एवं रात्रि में लाल बत्ती निर्धारित स्थान पर लगायेगा।

(ii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि गेट लैम्प को सूर्यास्त से सूर्योदय तक लगातार जलते हुए स्थिति में रखेगा।

(iii) गेट मैन अपनी ड्यूटी निश्चित रूप से ड्यूटी रोस्टर के अनुसार करेगा और जब तक कार्यमुक्त करने हेतु साथी आ न जाये और वह गेट का कार्यभार ग्रहण न कर ले, तब तक गेट मैन गेट छोड़कर नहीं जायेगा। गेट मैन को यदि आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक से हटना अपरिहार्य हो तो वह गेट छोड़ने से पूर्व गेट को सड़क यातायात के लिए बंद करके ताला लगायेगा।

(अतुल सिंह)	(के0एस0सोनाल)	(बालक राम)	(नानक चन्द)
मसिदूई/इज्जतनगर	मपरिप्र/इज्जतनगर	मसिदूई/निर्माण/लखनऊ	मण्डल इंजी0/इज्जतनगर

(iv) इन निर्देशों के अतिरिक्त गेट मैन गुजरती हुयी ट्रेन को देखता रहेगा और ट्रेन की संरक्षा हेतु कार्य करने के लिए तत्पर रहेगा।

(v) गेट मैन गुजरती हुयी सभी ट्रेनों पर पैनी नजर रखेगा जिससे किसी अप्रत्याशित घटना जैसे–हॉट एक्सल (गर्म धुरा), लटकती हुई चैन, लटकती हुई बैट्री, किसी वाहन/वैगन/ट्रेन/बैट्री बाक्स में आग लगी हो, ब्रेक ब्लाक, ब्रेक बीम, सेफ्टी ब्रेकेट, वैक्यूम सिलेन्डर आदि का लटकना, गिरना जिसके कारण ट्रेन की संरक्षा बाधित हो का पता लगाकर आवश्यक कार्यवाही करेगा।

(vi) गेट मैन गार्ड द्वारा लोको पायलट को वाकी–टाकी अथवा किसी अन्य माध्यम से दिये गये संकेतों को दोहराने के लिए तैयार रहेगा।

(vii) समपार फाटक का बैरियर गेट क्षतिग्रस्त अथवा खराब होने की दशा में गेट मैन अतिरिक्त चैन डिस्क एवं तालों का प्रयोग कर सड़क यातायात बंद करेगा।

(viii) गेट मैन अपने गेट की किसी भी खराबी के लिए यथाशीघ्र **स्टेशन मास्टर/बहेड़ी** गैंग मेट अथवा रेल पथ निरीक्षक को सूचित करेगा।

(ix) जब गेट मैन अपने कार्य पर रहेगा तो वह निर्धारित वर्दी एवं बैज धारण करेगा।

(x) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि ड्यिूटी के समय उसके पास दक्षता प्रमाण पत्र उपलब्ध है।

(xi) गेटमैन, गेट संचालन नियमों के अनुरूप कार्य करेगा तथा नियमों के बारे में पूर्णरूपेण जानकारी रखेगा।

(xii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि उसके गेट पर आपूर्ति किये गये सभी उपकरण अच्छी स्थिति में है एवं तत्काल प्रयोग हेतु तैयार है।

(xiii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि समपार पर चैक रेल गैप साफ है।

(xiv) गेट मैन समपार फाटक की सड़क को (कच्ची सड़क) पानी छिड़ककर एवं दुरमुट से ठोककर ठीक रखेगा।

(xv) गेट मैन सड़क प्रयोगकर्ताओं की, गेट को बंद रखने की स्थिति से उत्पन्न असुविधाओं के प्रति सतर्क रहेगा तथा ध्यान देगा कि समपार फाटक कम से कम समय के लिए बन्द हो।

(xvi) जहां तक संभव हो गेट मैन मनुष्यों, वाहनों अथवा जानवरों के अवैध आवागमन पर रोक लगायेगा।

(4) <u>ट्रेन की असामान्य स्थिति में किया जाने वाला कार्य</u>

यदि गेटमैन किसी पास हो रही गाड़ी में कोई असामान्य बात देखता है तो वह निम्न कार्य करेगा

(i) वह तत्काल ही लोको पायलट/गार्ड को दिन में लाल झण्डी तथा रात में लाल बत्ती दिखाकर सचेत करेगा ।

(ii) साथ ही साथ लोको पायलट /गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिए लगातार सीटी बजायेगा, चिल्लायेगा, असामान्य हाव–भाव प्रदर्शित करेगा तथा ब्रेकवान पर पत्थर फेकेगा अथवा कोई अन्य साधन अपनायेगा।

(iii) यदि लोको पायलट/गार्ड उपरोक्त कार्यों के उपरांत भी ध्यान नहीं देते हैं तो वह **स्टेशन मास्टर/बहेड़ी** को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुए तो तद्नुसार कार्यवाही करने हेतु सूचित करेगा।

(अतुल सिंह)	(के0एस0सोनाल)	(बालक राम)	(नानक चन्द)
मसिदूई/इज्जतनगर	मपरिप्र/इज्जतनगर	मसिदूई/निर्माण/लखनऊ	मण्डल इंजी0/इज्जतनगर

जारी तिथि लागू तिथि

(iv) किसी ट्रेन के विभक्त (पार्टिंग) हो जाने की दशा में गेट मैन रोक हैण्ड सिगनल (लाल) नहीं दिखायेगा बल्कि वह दिन में हरी झन्डी तथा रात में सफेद बत्ती ऊपर–नीचे करके निर्धारित संकेत करेगा।

(v) वह लोको पायलट/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास लगातार सीटी बजाकर, चिल्लाकर, असामान्य हाव–भाव प्रदर्शित करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाकर तुरन्त दोनों हाथों को अलग करके पुनः दोनों हाथों को सटाते हुए पुनः हाथों को बिल्कुल नीचे करते हुए करेगा।

(vi) ऐसा करने से यदि ट्रेन नहीं रूकती है तो गेटमैन तुरन्त टेलीफोन पर **स्टेशन मास्टर/बहेड़ी** को उचित कार्यवाही करने हेतु गोपनीय संख्या के आदान–प्रदान के अन्तर्गत इसकी सूचना देगा।

(i) समपार फाटक पर कोई अवरोध आ जाने पर वह लाइन पर दोनों तरफ दिन में लाल बैनर फ्लैग एवं रात्रि में लाल बत्ती निर्धारित स्थान पर लगायेगा।

(ii) इसके उपरान्त यदि गेट मैन अवरोध हटाने में सक्षम नहीं है तो वह **स्टेशन मास्टर/बहेड़ी** को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुए गेट की खराबी/अवरोध के बारे में तत्काल सूचित करेगा।

(iii) यदि दो या तीन प्रयासों के बाद भी **स्टेशन मास्टर/बहेड़ी** कोई प्रत्युत्तर नहीं देते है तो गेट मैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के बाद पुनः टेलीफोन से सूचित करेगा।

1.5 **<u>गेट मैन गेट की संरक्षा (बचाव) निम्नलिखित अनुसार करेगा</u>**

(अ) **<u>इकहरी लाइन पर</u>**

(i) गेट मैन दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती 5 मीटर दूर निर्धारित पोस्ट पर सर्वप्रथम उस तरफ लगा देगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना है।

(ii) इसके पश्चात उसी तरह दिन में दूसरा लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती लाइन की दूसरी ओर अवरोध से 5 मीटर की दूरी पर लगायेगा।

(iii) गेट मैन तब पटाखे, और दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल ट्राइ कलर फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प लेकर गेट को संरक्षित करने के लिये आगे बढ़ेगा।

(iv) गेट मैन दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल ट्राई कलर फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प दिखाते हुये पहले लाइन पर उस दिशा में बढ़ेगा जिधर से ट्रेन के आने की सम्भावना है तब समपार/अवरोध से 600 मीटर पर एक पटाखा लगा देगा उसके पश्चात वह समपार/अवरोध से 1200 मीटर की दूरी पर तीन पटाखे 10–10 मीटर की दूरी पर लगायेगा। इस प्रकार लाइन को संरक्षित करने के उपरान्त वह समपार पर लौटते हुये पूर्व में 600 मीटर पर लगाये गये पटाखा उठा लेगा।

(v) इसके बाद वह लाल झण्डी दिखाते हुये उसी प्रकार जेसा क्रमांक (iv) में वर्णित है लाइन की दूसरी तरफ पटाखा लगायेगा तथा समपार की तरफ लौटते हुये बीच का पटाखा उठा लेगा।

(vi) समपार गेट पर लौटने के पश्चात गेट मैन अवरोध को हटाने तथा आने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सचेत करने का प्रयास करेगा।

(vii) उन परिस्थितियों में जब गेट मैन रास्ते में ही है और निर्दिष्ट स्थानों पर जहॉ पटाखे लगाये जाते हैं, पहुॅचने के पूर्व ही वह ट्रेन को आते देखता है अथवा ट्रेन की आवाज सुनाई पड़ती है तो वह जहॉ तक पहुॅच सकता है उसी स्थान पर पटाखा लगा देगा।

(viii) उसके उपरान्त गेट मैन आने वाली ट्रेन के लोको को दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल ट्राइ कलर फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प दिखाकर सचेत करेगा / रोकेगा।

(अतुल सिंह)	(के0एस0सोनाल)	(बालक राम)	(नानक चन्द)
मसिदूई/इज्जतनगर	मपरिप्र/इज्जतनगर	मसिदूई/निर्माण/लखनऊ	मण्डल इंजी0/इज्जतनगर

जारी तिथि लागू तिथि

(ब) **गेट मैन द्वारा किये जाने वाली अन्य कार्यवाही**

(i) यदि समपार गेट किसी वाहन द्वारा तोड़ दिया जाता है और वाहन ट्रैक को बाधित कर रहा है, या बैरियर गेट का अन्य कोई भाग ट्रैक को बाधित कर रहा है या गेट पर अन्य कोई अवरोध है तो गेट मैन तुरन्त कार्यवाही करेगा।

(ii) गेट मैन सड़क वाहन का विवरण लिखेगा जैसे–वाहन संख्या, ड्राइवर का नाम, मालिक का नाम और गेट मैन **स्टेशन मास्टर– बहेड़ी** अथवा रेल पथ निरीक्षक को किसी संदेशवाहक या अन्य उपलब्ध संसाधनों के द्वारा सूचित करेगा।

2. **समपार फाटक के संचालन हेतु विशेष अनुदेश** –

2.1 **संचालन पद्धति** –

समपार फाटक को सड़क यातायात के विरूध्द बन्द करने के लिये कार्यरत गेटमैन विंच को तब तक संचालित करेगा जब तक कि बैरियर नीचे आकर समतल स्थिति में बूम पोस्ट पर स्थिर न हो जाय। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर के बीच में कोई सड़क वाहन न फॅस जाए। विंच को इस स्थिति में लाक करने के लिए बूम लाकिंग लीवर को रिवर्स करेगा जिससे बूम क्षैतिजीय स्थिति में लाक हो जायेगा। इसके बाद गेटमैन दिन में बॉये हाथ में सिमटी हुई हत्थेदार हरी झण्डी एवं दाहिने हाथ में लाल झण्डी तथा रात में सफेद प्रकाश वाला हैण्ड सिगनल लैम्प ट्रैक की तरफ दिखाता हुआ गेट लाज के पास खड़ा होकर गाड़ी के समपार फाटक से सुरक्षित गुजरने का प्रेक्षण करेगा।

गाड़ी के पूरी तरह गुजर जाने के बाद गेटमैन समपार फाटक को सड़क यातायात के लिए खोलने के लिए पहले बूम लाकिंग लीवर को सामान्य स्थिति में करेगा फिर उससे चाबी निकालकर विंच में लगाकर विंच को उल्टी दिशा में तब तक संचालित करेगा जब तक कि बैरियर ठीक लम्बवत ऊपर खड़ा न हो जाये।

गाड़ी के सम्भावित आगमन से पहले 10 मिनट से अधिक समय तक फाटक बन्द नहीं रखना चाहिए। किसी भी मामले में फाटक लगातार 12 मिनट से अधिक समय तक बन्द नहीं रखना चाहिए।

1.2.2 **प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करना** :–

1. **गाड़ियों का प्रस्थान** :–

(i) कार्यरत **स्टेशन मास्टर–बहेड़ी** गेटमैन को गाड़ी का नम्बर, विवरण, दिशा एवं गेट से गाड़ी पास होने का सम्भावित समय गोपनीय संख्या के आदान–प्रदान के अन्तर्गत बतायेगा।

(ii) यह सूचना प्रस्थान सिगनल आफ करने से पहले / प्रस्थान प्राधिकार देने से पूर्व दी जायेगी।

(iii) गेटमैन यह सूचना प्राप्त करने के बाद गेट को समय से बन्द एवं पाशित करेगा और इसकी पुष्टि **स्टेशन मास्टर–बहेड़ी** को गोपनीय संख्या के आदान–प्रदान के के साथ करेगा।

(iv) **स्टेशन मास्टर –बहेड़ी** गेटमैन से इस गोपनीय संख्या के प्राप्ति के बाद ही प्रस्थान सिगनल आफ करेगा/ प्रस्थान प्राधिकार गाड़ी के लोको पायलट को देगा।

(v) इस प्रकार एक बार किसी गाड़ी के लिये बन्द किया गया गेट तब तक नहीं खोला जायेगा जब तक वह गाड़ी समपार से सुरक्षित पास न हो जाय तथा गेट मैन TL/LV देखकर यह सुनिश्चित न कर ले कि गाड़ी पूरी पास हो गयी है।

(अतुल सिंह)	(के0एस0सोनाल)	(बालक राम)	(नानक चन्द)
मसिदूई/इज्जतनगर	मपरिप्र/इज्जतनगर	मसिदूई/निर्माण/लखनऊ	मण्डल इंजी0/इज्जतनगर

2. **गाड़ियों का आगमन** :–

(i) स्टेशन मास्टर–**बहेड़ी** किसी गाड़ी का लाइन स्टेशन मास्टर–**किच्छा** को देने से पूर्व गाड़ी का नम्बर, विवरण, एवं समपार से गाड़ी गुजरने का सम्भावित समय गोपनीय संख्या के आदान–प्रदान के अन्तर्गत पूछेगा।

(ii) स्टेशन मास्टर–**बहेड़ी** इस सूचना को गेटमैन को गोपनीय संख्या के आदान–प्रदान के अन्तर्गत देगा।

(iii) गेटमैन गेट को सड़क यातायात के विरूध्द बन्द करके अपना प्राइवेट नम्बर स्टेशन मास्टर –**बहेड़ी** को देगा।

(iv) गेटमैन से इस गोपनीय संख्या के प्राप्त होने के बाद ही स्टेशन मास्टर–**बहेड़ी**, स्टेशन मास्टर–**किच्छा** को गाड़ी का लाइन क्लीयर देगा।

(v) इस प्रकार एक बार किसी गाड़ी के लिये बन्द किया गया गेट तब तक नहीं खोला जायेगा जब तक कि वह गाड़ी समपार से सुरक्षित पास न हो जाये तथा गेटमैन TL/LV देखकर यह सुनिश्चित कर ले कि गाड़ी पूरी पास हो गयी है।
स्टेशन मास्टर तथा गेटमैन इन सूचनाओं की प्रविष्टि अपनी लॉग–बुक में निम्न प्रकार करेगें –

स्टेशन मास्टर की लॉग बुक :-

तिथि	गाड़ी सं0	स्टेमा0 द्वारा सूचना देने का समय	समपार से गाड़ी गुजरने का सम्भावित समय	स्टेशन मास्टर का प्राइवेट नम्बर	गेटमैन से सूचना प्राप्ति का प्राइवेट नम्बर	गेटमैन द्वारा गेट बन्द करके दिया गया प्राइवेट नम्बर	स्टेशन मास्टर द्वारा दिया गया प्राइवेट नम्बर	स्टेशन मास्टर का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9

गेटमैन की लाग बुक

तिथि	गाड़ी सं0	गेट से गाड़ी गुजरने का सम्भावित समय	स्टेशन मास्टर द्वारा दिया गया प्राइवेट नम्बर	गेटमैन द्वारा स्टेशन मास्टर को दिया गया प्राइवेट नम्बर	गेटमैन द्वारा गेट बन्द करके दिया गया प्राइवेट नम्बर	स्टेशन मास्टर का प्राइवेट नम्बर	गेटमैन का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8

2.3 टेलीफोन संचार की विफलता :–

जब टेलिफोन संचार विफल हो जाय अथवा दो या तीन प्रयास के बाद भी गेटमैन के तरफ से कोई प्रत्युत्तर न प्राप्त हो तो –

1 कार्यरत **स्टेशन मास्टर/बहेड़ी** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को काशन आर्डर जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।

2. गेट के तरफ आने वाली गाड़ियों के सम्बन्ध में कार्यरत **स्टेशन मास्टर/बहेड़ी** कार्यरत **स्टेशन मास्टर/किच्छा** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि टेलीफोन रवराब है।

(अतुल सिंह)	(के0एस0सोनाल)	(बालक राम)	(नानक चन्द)
मसिदूई/इज्जतनगर	मपरिप्र/इज्जतनगर	मसिदूई/निर्माण/लखनऊ	मण्डल इंजी0/इज्जतनगर

3 तब कार्यरत **स्टेशन मास्टर/बहेड़ी** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को काशन आर्डर जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेटमैन के हाथ संकेत का पालन करते हुए गेट की तरफ आगे बढ़े।

4 जारी किये गये काशन आर्डर में लोको पायलट को समपार फाटक के तरफ सावधानी पूर्वक लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेटमैन के हाथ संकेत का पालन करते हुए गेट के तरफ आगे बढ़ने का निर्देश होगा।

5. लोको पायलट को गेटमैन द्वारा हाथ संकेत देने पर समपार फाटक को सतर्कता पूर्वक पार करने का निर्देश दिया जायेगा। यदि हाथ सिगनल संकेत नही दिखायी देता हैं तो लोको पायलट को समपार गेट के पहले रूककर अपने सहायक लोको पायलट को समपार फाटक की स्थिति जानने के लिये भेजेगा। यदि समपार फाटक बन्द हैं तो सहायक लोको पायलट 'सभी ठीक है' सिगनल देगा और यदि समपार फाटक बन्द नही हैं तो सहायक लोको पायलट समपार फाटक को अवश्य बन्द करेगा और तब 'सभी ठीक है' संकेत देगा। सहायक लोाको पायलट की अनुपस्थिति में लोको पायलट सहायक गार्ड की सहायता लेगा।

6 कार्यरत **स्टेशन मास्टर/बहेड़ी** गेटमैन को भी गैंग मैन/पेट्रोल मैन/प्रथम गाड़ी के लोको पायलट द्वारा टेलीफोन रवराब होने की सूचना देगा।

7 कार्यरत **स्टेशन मास्टर/बहेड़ी** सिगनल एवं दूरसंचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीध्र टेलीफोन ठीक करने के लिए सूचना देगा।

8 सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब सिगनल एवं दूरसंचार विभाग टेलीफोन ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

2.4 <u>लिफ्टिंग बैरियर या बूम लॉकिंग की विफलता</u> –

1. जब लिफ्टिंग बैरियर गेट रवराब हो जाने के कारण गेट बन्द न किया जा सके तो गेटमैन तुरन्त प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करके कार्य पर उपस्थित **स्टेशन मास्टर/बहेड़ी** को सूचित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर रेल पथ को बाधित नही कर रहा हैं।

2. बूम लॉकिंग विफल होने पर इस सम्बन्ध में प्रदत्त छोटी चेन को प्रत्येक बूम पर बूम पोस्ट से बांध कर बूम को लॉक करेगा।

3. गेटमैन तुरन्त दिन में लाल बैनर फलैग एवं रात्रि में लाल बत्ती समपार पर निर्दिष्ट स्थान (पोस्ट) पर सर्वप्रथम उस तरफ लगायेगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना हो तदोपरान्त समपार के दूसरी तरफ लगायेगा।

4 गेटमैन समपार को सड़क यातायात से रोकने के लिये सेफ्टी चेन और तालों द्वारा बन्द करेगा।

5. सड़क यातायात को सुरक्षित करने के उपरान्त गेटमैन दिन के समय हत्थेदार हरी झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती आती हुयी गाड़ी के लोको पायलट को दिरवायेगा।

6. कार्यरत **स्टेशन मास्टर/बहेड़ी** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को काशन आर्डर जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए गेटमैन के हाथ सिगनल का पालन करते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।

7. जब गाड़ी **किच्छा** के तरफ से आनी वाली तब कार्यरत **स्टेशन मास्टर/बहेड़ी** कार्यरत **स्टेशन मास्टर/किच्छा** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर रवराब है तथा गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोाको पायलट को काशन आर्डर जारी करे तब कार्यरत **स्टेशन मास्टर/किच्छा** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को काशन आर्डर जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए गेटमैन के हाथ सिगनल का पालन करते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।

8. कार्यरत **स्टेशन मास्टर/बहेड़ी** इंजीनियरिंग विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीध्र लिफ्टिंग बैरियर ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।

9. सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब इंजीनियरिंग विभाग बैरियर को ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

2.5 <u>**समपार फाटक पर अवरोध**</u> –

1 यदि काई सड़क वाहन समपार फाटक को तोड़कर रेल पथ को बाधित कर रहा है या लिफ्टिंग बैरियर या गेट का कोई अन्य भाग रेल पथ को बाधित कर रहा है या यदि अन्य कोई बाधा गेट पर है तो गेटमैन तत्काल ही दिन में लाल बैनर फ्लैग एवं रात्रि में लाल बत्ती समपार पर दोनों तरफ इस कार्य के लिये लगाये गये पोस्टों पर लगायेगां

2 इसके तुरन्त बाद ही गेटमैन कार्यरत **स्टेशन मास्टर/बहेड़ी** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए अवरोध के बारे में सूचित करेगा।

3 गेट मैन कार्यरत **स्टेशन मास्टर–बहेड़ी** को यदि प्रस्थान सिगनल किसी ट्रेन के लिये आफ किया गया हो तो उसको आन करने के लिये सूचित किया जायेगा। यदि कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ बहेड़ी** ने **किच्छा** को किसी गाड़ी को लाइन क्लीयर दिया हो तो कार्यरत स्टेशन मास्टर–**किच्छा** को प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुए अवरोध के बारे में सूचित करेगा।

4. यदि दो या तीन प्रयासो के बाद भी कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ बहेड़ी** से कोई प्रत्युतर नही प्राप्त होता हैं तो गेटमैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के उपरान्त पुनः टेलीफोन द्वारा सूचित करेगा।

5. गेटमैन पटाखा एवं दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल ट्राइ कलर फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प लेकर तेजी से उस तरफ आगे बढ़ेगा जिस तरफ से गाड़ी का आगमन संभावित हैं, तथा रेल पथ को 'गेट मैनो' की कार्य प्रणाली सामान्य निर्देश के मद संरव्या 1.5 के अनुसार संरक्षित करेंगा।

6. तदोपरान्त गेटमैन गेट को दूसरी तरफ संरक्षित करेगा।

7. गेटमैन सड़क वाहन के विवरणों चालक का नाम सड़क वाहन के मालिक का नाम लिरवकर **स्टेशन मास्टर/ बहेड़ी** को सूचित करेगा तथा **स्टेशन मास्टर/ बहेड़ी** तब तक गाड़ी को नही चलायेगा जब तक गेटमैन सुनिश्चित नहीं कर देता है कि सड़क यातायात या लिफ्टिंग बैरियर रेल पथ को बाधित नही कर रहे है।

8. कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ बहेड़ी** कार्यरत **स्टेशन मास्टर/किच्छा** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि वह अपने तरफ से कोई गाड़ी ब्लाक खण्ड में न भेजे जब तक रेल पथ से बाधा हटा न दिया जाय।

(अतुल सिंह)	(के0एस0सोनाल)	(बालक राम)	(नानक चन्द)
मसिदूई/इज्जतनगर	मपरिप्र/इज्जतनगर	मसिदूई/निर्माण/लखनऊ	मण्डल इंजी0/इज्जतनगर

9. रेल पथ से बाधा हटा दिये जाने के बाद गेटमैन प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ बहेड़ी** को सूचित करेगा । तब कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ बहेड़ी** यही सूचना कार्यरत **स्टेशन मास्टर –किच्छा** को प्राइवेट नम्बर के आदान–प्रदान के अन्तर्गत देगा।

10. तब कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ बहेड़ी एवं किच्छा** सभी गाड़ियों के लोको पायलट को सर्तकता पूर्वक जाने एवं गेटमैन द्वारा हाथ सिगनल (हरा संकेत) देने पर सावधानी पूर्वक पार करने हेतु सर्तकता आदेश जारी करेगा। यदि गेट टूटा हो परन्तु गेट पर कोई व्यवधान न हो।

11. गेटमैन समपार फाटक को संरक्षा चेन एवं तालों द्वारा सड़क यातायात के लिसे संरक्षित करेगा तथा उसके बाद यदि समपार फाटक पर कोई व्यवधान नहीं है तो गेटमैन दिन के समय हत्थेदार हरी झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती गुजरती हुयी गाडियो को दिरवायेगा।

12. कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ बहेड़ी** जिम्मेदार इंजीनियरिंग स्टाफ को गेट के शीध्र मरम्मत के लिए लिखित सूचना देगा।

13. सामान्य स्थिति केवल इंजीनियरिंग स्टाफ के मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो देने के बाद ही होगी।

2.6 समपार फाटक के समीप रेल पथ पर अवरोध –

यदि किसी रेल का टूटना, रेल पथ पर पेड़ गिरने से कोई अवरोध, सड़क वाहन द्वारा बाधा अथवा कोई अवपथन जो गेटमैन को दिरवाई देता हो तो गेट मैन तथा कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ बहेड़ी** मद संख्या 2.5 में वर्णित निर्देश के अनुसार कार्यवाही करेगें यदि कोई अवरोध समपार फाटक को बाधित करता हैं तो गेटमैन सड़क यातायात के लिये सड़क को उस समय तक बन्द ररवेगा जब तक रेल पथ से बाधा हटा नही दिया जाये।

(अतुल सिंह)	(के0एस0सोनाल)	(बालक राम)	(नानक चन्द)
मसिदूई/इज्जतनगर	मपरिप्र/इज्जतनगर	मसिदूई/निर्माण/लखनऊ	मण्डल इंजी0/इज्जतनगर

परिशिष्ट 'ख'

बहेड़ी स्टेशन पर प्रदत्त संकेतन एवं अन्तर्पाशन उपस्करों के केन्द्रीय संचालन हेतु अनुदेश

1. **प्रमुख विशेषताएं :–**

1.1 नियमारेख संख्या – उपमुसिदूई/नि/आई0जेड0एन0/2011/आर0डी0/5 दिनाँक 28.11.2011 संशोधन ''ए'' दिनांक 18.9.2012

1.2 संकतन आरेख संख्या – NER/IZN/BHI/SIP/2008/VER-ZERO/38 Alt ‘ C’

1.2 पैनल आरेख संख्या – उपमुसिदूई/नि/आई0जेड0एन0/2011/पी0डी0/6 दिनाँक 28.11.2011 ''ए'' संशोधन दिनांक 18.9.2012

1.4 स्टेशन की श्रेणी – बी

1.5 संकेतन का मानक – मानक –III

1.6 संकेतन का प्रकार – बहुसंकेती रंगीन बत्ती सिगनल व्यवस्था (MACL)

1.7 खण्ड का ब्लाक कार्य संचालन (Block Working)

1.7.1 बहेड़ी–किच्छा स्टेशनों के मध्य इकहरी लाइन पर टेलीफोन युक्त डायडो टाइप सहकारी टोकेनलैस ब्लाक उपकरण (हैण्डिल टाइप) एक्सिल काउन्टर के साथ

1.7.2 बहेड़ी–देवरनिया स्टेशनों के मध्य इकहरी लाइन पर टेलीफोन युक्त डायडो टाइप सहकारी टोकेन लैस ब्लाक उपकरण (हैण्डिल टाइप) एक्सिल काउन्टर के साथ

1. **विचलन :–**

साधारण एवं सहायक नियम 3.40(1)(b) के अन्तर्गत गाड़ियों के आगमन हेतु पर्याप्त दूरी सामान्यतया गाड़ियों के रूकने के स्थान से मापी गयी है। जैसा कि,

(क) अप स्टार्टर सिगनल संख्या S-6 तथा S-8 क्रमशः लाइन संख्या 1 एवं 3 के लिये

(ख) डाउन स्टार्टर सिगनल संख्या S-7 तथा S-9 क्रमशः लाइन संख्या 1 एवं 3 के लिये

2. **काँटों तथा सिगनलों का विवरण**

यार्ड में निम्नलिखित सिगनल व काँटें प्रदत्त हैं। सिगनल कलर लाइट तथा विद्युत से प्रकाशित होते हैं। सभी कॉटे मोटर चालित हैं तथा सभी कॉटें एवं सिगनल स्टेशन मास्टर के कार्यालय में लगे डोमिनो कन्ट्रोल पैनल से प्रचालित होते है।

2.1 **यार्ड का देवरनिया छोर :–**

2.1.1 **काँटें :–**

(i) कॉटा संख्या 203A- 203B से लाइन संख्या 2 से 1 के लिये एवं विपरीत क्रम में मार्ग सैट किया जाता है।

(ii) कॉटा संख्या 204A- 204B से लाइन संख्या 2 से 3 के लिये एवं विपरीत क्रम में मार्ग सैट किया जाता है।

2.1.2 **सिगनल :–**

(i) अप डिस्टेन्ट सिगनल ए 12 - होम सिगनल संख्या S 12 के संकेतों पर आधारित
अप होम सिगनल संख्या S 12 निम्नलिखित संकेत प्रदर्शित करता है :-

(ii) अप होम सिगनल संख्या S 12 - मेन लाइन संख्या 2 के लिये जं० इंडिकेटर रहित

(iii) अप होम सिगनल संख्या S 12 - लूप लाइन संख्या 1 के लिये बाँया जं० इंडिकेटर सहित

(iv) अप होम सिगनल संख्या S 12 - लूप लाइन संख्या 3 के लिये दाहिना जं० इंडिकेटर सहित

(v) डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या - S-11, देवरनिया छोर के टोकेनलैस ब्लाक यन्त्र की 'ट्रेन गोइंग टू' स्थिति से नियन्त्रित है।

(के0एस0सोनाल)	(अतुल सिंह)	(बालक राम)
मपरिप्र/इज्जतनगर	मसिदूई/इज्जतनगर	मसिदूई/निर्माण/लखनऊ

(v) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या S 5 - लाइन संख्या 2 से

(vi) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या S 7 - लाइन संख्या 1 से

(vii) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या S 9 - लाइन संख्या 3 से

(viii) डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या - S-11, देवरनिया छोर के टोकेनलैस ब्लाक यन्त्र की 'ट्रेन गोइंग टू' स्थिति से नियन्त्रित है।

2.1.2(क) **अतिरिक्त सिगनल :-**

कालिंग आन सिगनल :-

कालिंग आन सिगनल सं०	**विवरण**
अप कालिंग आन सिगनल सं० सी-10	अप होम सिगनल संख्या एस-12 के नीचे उसी खम्बे पर लगा है। यह **देवरनिया** साइड से लाइन सं० 1, 2 अथवा 3 में आने के लिये है

2.1.2(ख) **शन्ट सिगनल :-**

आश्रित शन्ट सिगनल		
शन्ट सिगलन संख्या	किस सिगनल के नीचे स्थित है	विवरण
एस एच 25	डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस 5	लाइन सं० 2 से देवरनिया छोर पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 11 तक शंटिंग के लिये
एस एच 27	डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस 7	लाइन सं० 1 से देवरनिया छोर पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 11 तक शंटिंग के लिये
एस एच 29	डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस 9	लाइन सं० 3 से देवरनिया छोर पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 11 तक शंटिंग के लिये

अनाश्रित शन्ट सिगनल	
शन्ट सिगलन संख्या	विवरण
एस एच 32	देवरनिया छोर पर लाइन सं० 1, 2 या 3 में शंटिंग के लिये आने हेतु

2.2 **यार्ड का किच्छा छोर** :–

2.2.1 **काँटें** :–

(i) कॉटा संख्या 201A- 201B से लाइन संख्या 2 से 1 के लिये एवं विपरीत क्रम में मार्ग सैट किया जाता है।

(ii) कॉटा संख्या 202A- 202B से लाइन संख्या 2 से 3 के लिये एवं विपरीत क्रम में मार्ग सैट किया जाता है।

2.2.2 **सिगनल** :–

(i) डाउन डिस्टेन्ट सिगनल संख्य ए-1 - होम सिगनल संख्या S- 1 के संकेतों पर आधारित

डाउन होम सिगनल संख्या S 1 निम्नलिखित संकेत प्रदर्शित करता है :-

(ii) डाउन होम सिगनल संख्या S 1 - मेन लाइन संख्या 2 के लिये जं० इंडिकेटर रहित

(iii) डाउन होम सिगनल संख्या S 1 - लूप लाइन संख्या 3 के लिये बाँया जं० इंडिकेटर सहित

(के0एस0सोनाल)	(अतुल सिंह)	(आर0पी0मिश्रा)
मपरिप्र/इज्जतनगर	मसिदूई/इज्जतनगर	मसिदूई/निर्माण/लखनऊ

(iv) डाउन होम सिगनल संख्या S 1 - लूप लाइन संख्या 1 के लिये दाहिना जं० इंडिकेटर सहित

(v) अप प्रस्थान सिगनल संख्या - S-4 लाइन संख्या 2 से
(vi) अप प्रस्थान सिगनल संख्या - S-6 लाइन संख्या 1 से
(vii) अप प्रस्थान सिगनल संख्या - S-8 लाइन संख्या 3 से
(viii) अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या - S-2 किच्दा छोर के टोकेनलैस ब्लाक यन्त्र की 'ट्रेन गोइंग टू' स्थिति से नियन्त्रित है।

2.2.2(क) **अतिरिक्त सिगनल :-**

कालिंग आन सिगनल :-

कालिंग आन सिगनल संख्या	**विवरण**
डाउन कालिंग आन सिगनल सं० सी-3	डाउन होम सिगनल संख्या एस-1 के नीचे उसी खम्बे पर लगा है। यह **किच्छा** साइड से लाइन सं० 1, 2 अथवा 3 में आने के लिये है

2.2.2(ख) **शन्ट सिगनल :-**

आश्रित शन्ट सिगनल		
शन्ट सिगलन संख्या	किस सिगनल के नीचे स्थित है	विवरण
एस एच 24	अप प्रस्थान सिगनल सं० एस 4	लाइन सं० 2 से किच्छा छोर पर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 2 तक शंटिंग के लिये
एस एच 26	अप प्रस्थान सिगनल सं० एस 6	लाइन सं० 1 से किच्छा छोर पर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 2 तक शंटिंग के लिये
एस एच 28	अप प्रस्थान सिगनल सं० एस 8	लाइन सं० 3 से किच्छा छोर पर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 2 तक शंटिंग के लिये

अनाश्रित शन्ट सिगनल	
शन्ट सिगलन संख्या	विवरण
एस एच 31	किच्छा छोर पर लाइन सं० 1, 2 या 3 में शंटिंग के लिये आने हेतु

3. **सिगनल आस्पैक्ट** :-

3.1 डिस्टेन्ट सिगनल के अतिरिक्त सभी मुख्य सिगनलों का नार्मल आस्पैक्ट लाल हैं। डिस्टेन्ट सिगनल का नार्मल आस्पैक्ट पीला है। डिस्टेन्ट सिगनल के आस्पैक्ट का परिवर्तन उसके आगे स्थित होम सिगनल के आस्पैक्ट के अनुसार स्वतः हो जाता है। डिस्टेन्ट सिगनल का आस्पैक्ट एक पीला, दो पीला तथा हरा है। डिस्टेन्ट सिगनल आन स्थिति में एक पीला , लूप लाइन संख्या 1 एवं 3 के लिये आफ होने पर दो पीला तथा मेन लाइन संख्या 2 के लिये आफ होने पर हरा जलता है। डिस्टेन्ट सिगनल के लिये पैनल पर कोई अलग से स्विच नही है।

(के0एस0सोनाल)
मपरिप्र/इज्जतनगर

(अतुल सिंह)
मसिदूई/इज्जतनगर

(आर0पी0मिश्रा)
मसिदूई/निर्माण/लखनऊ

3.2 एडवॉस स्टार्टर सिगनलों का आफ आस्पैक्ट हरा होता हैं। एडवॉस स्टार्टर में हरे रंग का आस्पैक्ट होने का तात्पर्य यह है कि अगले स्टेशन को गाड़ी भेजने के लिये सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गयी हैं तथा सम्बन्धित ब्लाक यन्त्र से लाइन क्लीयर प्राप्त कर लिया गया है।

3.3 मेन लाइन के स्टार्टर सिगनलों का आफ आस्पैक्ट हरा तथा लूप लाइन के स्टार्टरों का आफ आस्पैक्ट पीला है। स्टार्टर सिगनलों का आफ आस्पैक्ट सम्बन्धित एडवॉस स्टार्टर सिगनल के आफ आस्पैक्ट द्वारा नियन्त्रित हैं।

3.4 अप / डाउन होम सिगनल में तीन आस्पैक्ट लाल, पीला तथा हरा है जो रूट इंडिकेटर रहित अप / डाउन होम सिगनल को आफ करने पर केवल पीला आस्पैक्ट लाइन संख्या 2 पर आने का संकेत करता है। अप / डाउन होम सिगनल के पीले आस्पैक्ट के साथ–साथ रूट इंडिकेटर की सफेद बत्तियों का प्रकाश संकेत करता है कि गाड़ी का आगमन लूप लाइन संख्या 1 या 3 पर होगा। अप / डाउन होम सिगनल का हरा आस्पैक्ट मेन लाइन संख्या 2 के अप / डाउन स्टार्टर का हरा आस्पैक्ट अप / डाउन एडवॉस स्टार्टर का हरा आस्पैक्ट गाड़ी को स्टेशन से बिना रूके रन–थ्रू जाने का संकेत करता है।

3.5 शन्ट सिगनल संख्या 31 एवं 32 अनाश्रित पोजीशन लाइट शन्ट सिगनल हैं तथा अलग–अलग पोस्ट पर स्वतन्त्र रूप से लगे हैं। ये स्टेशन पैनल से अलग - अलग बटनों द्वारा नियन्त्रित होते हें। आन स्थिति में दो सफेद बत्ती क्षैतिज तल पर तथा आफ स्थिति में क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर दो सफेद बत्ती दिखाते हैं।

3.6 शन्ट सिगनल संख्या एस एच 24, एस एच 25, एस एच 26, एस एच 27, एस एच 28 एवं एस एच 29 आश्रित पोजीशन लाइट शन्ट सिगनल हैं जो स्टार्टर सिगनलो के नीचे उसी पोस्ट पर लगे हैं तथा स्टेशन पैनल से अलग -अलग बटनों द्वारा नियन्त्रित होते हें। ये आन की स्थिति में नो लाइट तथा आफ की स्थिति में क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर दो सफेद बत्ती दिखाते हैं।

3.7 कालिंग आन सिगनल का आन स्थिति में कोई आस्पैक्ट नहीं जलता है किन्तु आाफ की स्थिति में एक छोटा पीला आस्पैक्ट जलता है।

3.8 यदि सम्बन्धित कॉटें की सही सैटिंग का इंडिकेशन न भी जलता हो तथा सिगनल आस्पैक्ट का नियमित इंडिकेशन मिल रहा हो तो यह समझा जाय कि कॉटा सही सैट एवं लाक है।

4. **स्टेशन मास्टर पैनल** :–

स्टेशन मास्टर के कक्ष में डोमिनो टाइप स्टेशन मास्टर कन्ट्रोल पैनल का प्रावधान है जिसमें पुश बटनों द्वारा मोटर कॉटों एवं सिगनल आदि का संचालन तथा समपार फाटकों का नियन्त्रण किया जाता है। इनकी स्थिति दर्शाने हेतु सूचक बत्ती का प्रावधान है। कॉटों एवं सिगनलों के संचालन हेमु पैनल पर एक साथ दो पुश बटनों को दबाना आवश्यक है। पैनल पर प्रदत्त पुश बटनों, इंडिकेशन चाबी आदि का विवरण निम्न है :–

4.1 **स्टेशन मास्टर की पैनल नियन्त्रण चाबी :–**

स्टेशन मास्टर पैनल पर एक पैनल, रिलीज़ / लाक चाबी के साथ लगा होता है जो पाइन्ट एवं सिगनल आदि का अनाधिकृत संचालन रोकता है। जब तक पैनल कन्ट्रोंल चाबी पैनल से निकली रहेगी तब तक पाइन्ट एवं सिगनलों का विद्युतीय सम्बन्ध विच्छेदित रहेगा । परन्तु SM’s Key निकली होने पर भी अगर कोई भी सिगनल आफ है तो सिगनल बटन के साथ EGGN बटन दबाने पर सिगनल को आफ स्थिति से आन स्थिति में किया जा सकता है। चाबी लगाकर घुमा देने के बाद पैनल पर लगे पुश बटनों द्वारा कॉटों एवं सिगनलों आदि का संचालन किया जा सकता है। स्टेशन मास्टर की पैनल कन्ट्रोल चाबी चाहे पैनल से बाहर निकली हो, या पैनल में लगी हो, सभी ट्रैक सर्किट, कॉटों एवं सिगनलों के आस्पैक्ट आदि का इंडिकेशन अन्तिम संचालित स्थिति में अनवरत प्रकाशित होंगें।

(के0एस0सोनाल)	(अतुल सिंह)	(आर0पी0मिश्रा)
मपरिप्र/इज्जतनगर	मसिदूई/इज्जतनगर	मसिदूई/निर्माण/लखनऊ

4.2 **स्टेशन मास्टर की आपात कालीन रूट रिलीज चाबी :–**
इमरजेन्सी में रूट हेतु पैनल पर स्टेशन मास्टर की आपात कालीन रूट रिलीज चाबी का प्रावधान है। जब किसी कारण वश रूट रिलीज नहीं होता है तब स्टेशन मास्टर द्वारा पैनल पर इस चाबी को धुमाने के पश्चात सिगनल बटन एवं EUUYN बटन का सील तोड़कर एक साथ दबाने पर 120 सेकेन्ड बाद रूट रिलीज हो जाता है तथा रूट के कॉटें संचालन के लिये मुक्त हो जाते है। कार्यवाही पूर्ण हो जाने के बाद स्टेशन मास्टर इसकी प्रविष्टि स्टेशन मास्टर डायरी में एवं वीडर काउन्टर रजिस्टर में की जायेगी तथा सिगनल अनुरक्षक को इस बटन को सील करने हेतु लिखित सूचना दी जायेगी। स्टेशन मास्टर को उपरोक्त कार्यवाही करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।

4.3 **पूश बटन** :– स्टेशन मास्टर पैनल पर निम्नलिखित पुश बटनों का प्रावधान है –

4.3.1 **सिगनल/शन्ट सिंगनल बटन** :–
पैनल पर प्रत्येक सिगनल एवं शन्ट सिगनल के लिये अलग–अलग पुश बटनों का प्रावधान है जो सम्बन्धित सिगनल/शन्ट सिगनल केनिकट लगा है। सिगनल/शन्ट सिगनल आफ करने हेतु जिस सिगनल/शन्ट सिगनल को आफ करना है उसका बटन तथा जिस लाइन पर गाड़ी लेना है अथवा भेजना है उस लाइन पर स्थित रुट बटन को एक साथ दबाने पर सिगनल/ शन्ट सिगनल आफ जायेगा।

4.3.2 **रुट बटन** :–
पैनल पर जिन लाइनों के लिये सिगनल आफ किया जाता है उन लाइनों पर अलग–अलग रुट बटन का प्रावधान किया गया है। सिगनल बटन एवं रुट बटन को एक साथ दबाने पर सिगनल आफ हो जाता है। जैसे कि लूप लाइन सं0 1 में अप गाड़ी के आगमन हेतु अप होम सिगनल सं0 एस 12 को आफ करने के लिये सिगनल बटन सं0 एस 12 तथा लाइन सं0 1 पर स्थित रुट बटन सं0 बी को एक साथ दबाने पर रुट सैट हो जायेगा और सिगसनल आफ हो जायेगा। इसी प्राकर अप एसवॉस स्टार्टर सं0 एस 2 को आफ करने के लिये लाइन क्लीयर प्राप्त करने के बाद सिगनल बटन सं0 एस 2 तथा रुट बटन सं0 ई को एक साथ दबाने पर अप एडवास स्टार्टर सिगनल आफ हो जायेगा। इसी प्रकार एस 4 को आफ करने के लिए एस 4 सिगनल बटन एवं रूट बटन एफ को एक साथ दबाने पर एस 4 सिगनल आफ हो जायेगा।

4.3.3 **कॉटा बटन** :–
पैनल के दोनों सिरों पर काकॅटों के संचालन के लिये प्रत्येक कॉटें के लिये उसका पुश बटन दिया गया है। कॉटें को नार्मल स्थिति में करने के लिये उस कॉटे का बटन ताा साथ में NWWN बटन एक साथ दबाना होगा। इसी प्रकार कॉटें को रिवर्स स्थिति में करने के लिये उस कॉटें का बटन तथा RWWN बटन को एक साथ दबाना होगा। सभी सिगनलों के लिये सिगनल को कालिग आन सिगनल पर लेने के लिये एवं गाड़ी आगमन के बाद कॉटों को नार्मल/रिवर्स करने के लिये किया जायेगा।

4.3.4 **एन0डब्लू0डब्लू0एन0/आर0डब्लू0डब्लू0एन0 बटन** :–
कॉटों को अलग–अलग सैट करने हेतु कॉटे/क्रास ओवर का बटन तथा NWWN/RWWN बटन एक साथ दबाने पर कॉटा/क्रास ओवर नार्मल/रिवर्स स्थिति के लिये संचालित हो जाता है।

(के0एस0सोनाल)	(अतुल सिंह)	(आर0पी0मिश्रा)
मपरिप्र/इज्जतनगर	मसिदूई/इज्जतनगर	मसिदूई/निर्माण/लखनऊ

4.3.5 **कैन्क हैण्डिल, साइडिंग एवं गेट नियन्त्रण बटन एल0एन0 / वाई0 एन0 बटन :–**

कांटा सं0 201A-201B, 202A-202B तथा 203A-203B, 204A-204B के लिए कैन्क हैण्डिल सीएच–1 एवं सी एच–2 तथा गेट संख्या 27/A व 28 Spl के नियन्त्रण हेतु अलग–अलग एल एन / वाई एन (Lock & Release) बटनों का प्रावधान है। एल एन बटन द्वारा कैन्क हैण्डिल / गेट लाक तथा वाई एन बटन द्वारा रिलीज होता है।

4.3.6 **ई0जी0 जी0 एन0 बटन :–**

आफ किये गये सिगनलों को आफ से आन करने हेतु ई0जी0जी0एन0 बटन को सिगनल बटन के साथ दबाने पर सिगनल आफ स्थिति से आन स्थिति में हो जाता है।

4.3.7 **जी0बी0 एन0 बटन :–**

यह ग्रुप बटन है जिसका उपयोग कैन्क हैण्डिल एवं समपार फाटक नियन्त्रण हेतु प्रदत्त एलएन/ वाईएन बटन को एक साथ दबाने में किया जाता है।

4.3.8 **ई0 यू0 वाई0 एन0 बटन रूट निरस्तीकरण बटन :–**

जब सिगनल को आफ कर दिया गया हो और आपात काल मे वॉछित रूट को कैन्सिल करना हो, तो सम्बन्धित सिगनल बटन को नार्मल स्थिति में घुमाया जायेगा और सम्बन्धित **EUYN** बटन को दबाने पर आपातकालीन निरस्तीकरण काउन्टर के पास एक छोटी सफेद बत्ती जल जायेगी। इस प्रकार का निरस्तीकरण होने पर वीडर काउन्टर हर बार एक उच्च संख्या को दर्ज करेगा। लगभग 120 सेकेण्ड के बाद छोटा प्रकाश बुझ जायेगा और पैनल पर दिखायी देने वाला सम्बन्धित मार्ग भी दिखायी देना बन्द हो जायेगा। स्टेशन मास्टर द्वारा स्टेशन का कार्यभार सौंपते / ग्रहण करते समय वीडर काउन्टर की रीडिंग को इस उद्देश्य के लिये बनायी गयी पंजिका में अवश्य अंकित किया जाये।

4.3.9 **ई0 डब्लू0 एन0 बटन आपात कालीन प्वाइन्ट आपरेशन बटन** :–

यह सील बन्द बटन है। पैनल पर प्वाइन्ट पोर्शन का कोई ट्रैक कॉटें की नार्मल या रिवर्स स्थिति में किसी कारणवश यदि लाल इंडिकेशन प्रदर्शित करता है तो इस स्थिति में कॉटें को संचालित करने के लिये इस बटन के साथ एन0डब्लू0डब्लू0एन0 / आर0डब्लू0डब्लू0एन0 को दबाने के पश्चात सम्बन्धित कॉटें के बटन को दबाकर कॉटें को नार्मल / रिवर्स स्थिति में किया जा सकता है। इस बटन का प्रयोग करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। स्टेशन मास्टर सम्बन्धित प्वाइन्ट जोन की व्यक्तिगत रूप से जॉच करें कि ट्रैक साफ है या नहीं। यदि ट्रैक साफ है तो तभी इस बटन का प्रयोग किया जायेगा तथा इसकी प्रविष्टि इस कार्य के लिये बनायी गयी पंजिका में की जायेगी।

4.3.10 **ई0 यू0 यू0 वाई0 एन0 बटन (आपात कालीन रूट रिलीज बटन) :–**

यह एक सील बन्द बटन है। यदि किसी कारण वश रूट रिलीज नहीं होता है तब पैनल पर आपात कालीन रूट रिलीज चाबी लगाने के पश्चात **EUUYN** बटन का सील तोड़कर **EUUYN** बटन के साथ सिगनल बटन को दबाने के 120 सेकेण्ड बाद रूट रिलीज हो जाता है। रूट रिलीज करने के बाद इस बटन को पुनः ई0 एस0 एम0 द्वारा सील कर दिया जायेगा। इस बटन का प्रयोग करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। तथा इसकी प्रविष्टि स्टेशन डायरी में अवश्य करनी चाहिए।

4.3.11 **जी0 यू0 डब्लू0 जी0 आर0 बटन (अभिस्वीकृति बटन) :–**

पैनल पर यदि कोई कॉटा बटन, सिगनल बटन, रूट बटन या ग्रुप बटन दबा रह जाता है तब एक चेतावनी घन्टी बजने लगती है। चेतावनी घन्टी को बन्द करने हेतु इस बटन को दबाया जायेगा।

(के0एस0सोनाल)	(अतुल सिंह)	(बालक राम)
मपरिप्र/इज्जतनगर	मसिदूई/इज्जतनगर	मसिदूई/निर्माण/लखनऊ

4.3.12 **गेट नियन्त्रण बटन 552 एवं 551 गेट सं0 27/A एवं 28 /Spl के लिये :–**

(क) स्टेशन पैनल पर समपार फाटकों के लिये अलग–अलग वाई0 एन0 तथा एल0 एन0 बटनों का प्रावधान है। गेट खोलने के लिये वाई0 एन0 तथा जी0बी0एन0 बटन एक साथ दबाने से पैनल पर रिलीज की लाल बत्ती जल जायेगी एवं गेट पर लगे लीवर लाक में फ्री बत्ती जल जायेगी तथा नियन्त्रण चाबी लीवर लाक से निकालकर गेट खोल दिया जायेगा। गेट बन्द करने के बाद फिर नियन्त्रण चाबी लीवर लाक में लगा दी जायेगी। पैनल पर लगे एल0एन0 तथा जी0बी0एन0 बटन एक साथ दबाने से गेट नियन्त्रण चाबी लीवर लाक में लाक हो जायेगी और पैनल लाक्ड होने का सफेद इंडिकेशन जल जायेगा।

4.3.13 **गेट संख्या 27/Aएवं 28/Spl के लिये आपात कालीन चाबी :–**

(ख) समपार फाटक संख्या 27/A एवं 28//Spl पर विद्युतीय नियन्त्रण की विफलता के समय समपार फाटकों को खोलने के लिये आपात कालीन चाबी क्रमशः 'क्यू ई' तथा 'पी ई' का प्रावधान है। ये चाबियॉ स्टेशन मास्टर कार्यालय के पैनल रूम में लगे सीव्ल्ड एवं ताला बन्द केस में लगी पार्किंग एच0के0टी0 में लगी रहती है। आपात कालीन चाबी बूम लाक लीवर को रिलीज करने के लिये परिचालन विभाग के कर्मचारी द्वारा गेट पर भेजी जाती है। इस चाबी के निकालने से आवागमन सिगनल 'आन' स्थिति में हो रहते हैं। विफलता ठीक हो जाने पर ये चाबी पुनः पार्किंग एच0के0टी0 में लगा दी जाती हैं तथा ग्लास केस सील्ड एवं ताला बन्द कर दिया जाता है।

4.4 **ट्रैक सर्किट सूचक सूक्ष्म प्रकाश बत्ती :–**

परिचालित लाइनों पर प्रदत्त ट्रैक सर्किटों के लिये पैनल पर ट्रैक सर्किटों के ऊपर प्रकाश पट्टियॉ (स्ट्रिप) का प्रावधान है जो ट्रैक सर्किट पर गाड़ी नहीं रहने / खाली होने पर प्रकाशित नहीं होती हैं। जब कोई सिगनल 'आफ' किया जाता है तब उसके मार्ग में पड़ने वाले तथा ओवर लैप की ट्रैक सर्किटों की सफेद प्रकाश पट्टियॉ प्रकाशित हो जाती हैं। जब गाड़ी ट्रैक सर्किटों पर आती है तब प्रकाश पट्टियों का सफेद प्रकाश बुझ जाता है और लाल प्रकाश जल जाता है। जब गाड़ी ट्रैक सर्किटों को पार कर जाती है तब लाल प्रकाश बुझ जाता है तथा सफेद प्रकाश जल जाता है।

ट्रैक सर्किट की विफलता की स्थिति में ये प्रकाश पट्टियॉ लाल प्रकाश से प्रकाशित हो जाती हैं। इस स्टेशन पर दोनो ओर होम सिगनल से होम सिगनल तक तथा उसके आगे 5 रेल तक ट्रैक सर्किट की व्यवस्था की गयी है।

टिप्पणी :–

गाड़ी ट्रैक पर आने के बाद यदि लाल प्रकाश पट्टी प्रकाशित नहीं हो तो इसक अर्थ है कि सूक्ष्म प्रकाश बत्ती फ्यूज़ हो गयी है। तब इसके मरम्मत हेतु सम्बन्धित विद्युत सिगनल अनुरक्षक को तुरन्त सूचित करें। यदि सफेद प्रकाश पट्टी का प्रकाशित होना अपेक्षित हो और वह न जलती हो तो स्टेशन मास्टर व्यक्तिगत रूप से जॉच करें कि ट्रैक साफ है अथवा नहीं। यदि साफ है तो ट्रैक सर्किट को क्रियाशील समझा जाये । तथापि बत्ती मरम्मत हेतु सम्बन्धित विद्युत सिगनल अनुरक्षक को तुरन्त सूचित करें ।

4.5 **एक्सल काउन्टर का विवरण एवं कार्य प्रणाली :–**

4.5.1 डिजिटल एक्सल काउन्टर एक ट्रैक सर्किटिंग उपकरण है जिसका उपयोग रेलवे में किसी रेल खण्ड के आक्यूपाइड / अन–आक्यूपाइड का मानिटर करने के लिये होता है। यह किसी निर्धारित रेल खण्ड पर गाड़ी की उपस्थिति को सूचित करता है। डिजिटल एक्सल काउन्टर के निम्नलिखित भाग हैं –

(I) एक्सल काउन्टर

(क) टी0 एक्स0 क्वाइल – 2 नम्बर

(ख) आर0एक्स0 क्वाइल – 2 नम्बर

(II) एस0एस0डी0ए0सी0 – 2 नम्बर

(III) री–सैट बाक्स – 2 नम्बर

डिजिटल एक्सल काउन्टर दो यूनिट (1 जोड़ा) के संयोग से एक रेल खण्ड में कार्य करता हे। इस कार्य प्रणाली का एक एस0एस0डी0ए0सी0 यूनिट खण्ड के दोनों छोर पर एक सैट टी0 एक्स0 क्वाइल एवं आर0एक्स0 क्वाइल एक्सल काउन्टर के साथ स्थापित किया जाता है। टी0 एक्स0 एवं आर0एक्स0 क्वाइल प्रत्येक लोकेशन के रेल के वेब में माउन्ट किया जाता है। सिस्टम इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि रेल ट्रैक के बाहरी ओर स्थापित हो। सिस्टम दोनों यूनिट को एक पेयर के रूप में सिंगिल रेल खण्ड को मानीटर करता है।

4.5.2 सिस्टम का मूल डिजाइन प्रत्येक डिटैक्शन पाइन्ट से गुजरने वाले एक्सल की गणना पर आधारित है। यह प्रत्येक डिटैक्शन पाइन्ट से गुजरने वाले एक्सल एवं कुल गणना को रजिस्टर करता है। यह संग्रह की हुई गणना दूसरे यूनिट को आधुनिक संचार द्वारा प्रेषित एवं प्राप्त की जाती है। सिस्टम का प्रत्येक यूनिट स्वयं की गयी गणना एवं दूसरे यूनिट द्वारा की गयी गणना की तुलना तथा खण्ड की स्थिति का मूल्यॉकन करता है। संचार में डिजिटल गणना, स्थिति एवं कोई त्रूटि नहीं क्लीयरेन्स का निर्णय करती है। यदि गणना दोनों डिटैक्शन पाइन्टपर समान रहती है तो ब्लाक सैक्शन क्लीयर हरा अन्यथा आक्यूपाईड लाल रंग के रूप में प्रदर्शित करता है।

4.5.3 **<u>एस0 एम0 री–सैट बाक्स</u> :–ए**स0एम0 री–सैट बाक्स में निम्नलिखित संकेत दिये गये हैं –

(i) ब्लाक सैक्शन में कोई गाड़ी प्रवेश करने पर री–सैट बाक्स के ऊपर लाल इंडिकेशन (ब्लाक खण्ड आक्यूपाई) जलने लगता है। यह लाल इंडिकेशन एक्सल काउन्टर की विफलता में भी प्रकाशित होता है।

(ii) ब्लाक सैक्शन साफ रहने पर हरा इंडिकेशन (ब्लाक सैक्शन क्लीयर) जलता है।

(iii) प्रीपेरेटरी री–सैट – हरा

(iv) पावर आन –पीला

(v) एस0एम0 चाबी एवं री–सैट हेतु री–सैटिंग बटन

(v) री–सैट की गणना हेतु गणक

नोट :–1. एक्सल काउन्टर की विफलता से सम्बन्धित ब्लाक उपकरण किसी भी गाड़ी के आगमन के पश्चात लाइन क्लोज़्ड स्थिति में नहीं किया जा सकता।

2. री–सैट प्रक्रिया करने से पूर्व आने वाली गाड़ी का पूर्ण आगमन स्टेशन मास्टर व्यक्तिगत रूप से अवश्य सुनिश्चित कर लें।

4.5.4 **<u>री–सैट करने की प्रक्रिया</u> :–**

1. री–सैट करने के लिये दोनों छोर के स्टेशन मास्टर द्वारा निम्न विधि अपनायी जायेगी –

(क) सर्वप्रथम एस0एम0 चाबी को दाहिने तरफ घुमाएं

(ख) साथ–साथ री–सैट बटन दबायें।

(ग) री–सैट बटन एवं एस0एम0 चाबी को एक साथ रिलीज कर दें।

(के0एस0सोनाल) मपरिप्र/इज्जतनगर	(अतुल सिंह) मसिदूई/इज्जतनगर	(आर0पी0मिश्रा) मसिदूई/निर्माण/लखनऊ

(घ) एस0 एम0 चाबी को बॉये तरफ घुमाकर निकालकर स्टेशन मास्टर द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में रख लिय जाय।

2. उपरोक्त मद संख्या (क) (ख) प्रक्रिया में री–सैट बाक्स, एस0 एस0 डी0 ए0 सी0 री–सैट किया जाता है और अपना गणना शून्य होकर दोनों यूनिट में स्वयं जॉच प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। एस0 एस0 डी0 ए0 सी0 री–सैट होने की प्रक्रिया प्राप्त करती है जिससे प्रीपेरेटरी री–सैट का एक हरा इंडिकेशन जलने लगता है।

3. री–सैट की प्रक्रिया पूर्ण होन के बाद एक ट्रेन को पी0 एल0 सी0 पर खण्ड में गुजरने की प्रक्रिया की जायेगी। ट्रेन के अगले स्टेशन पहुँचने पर ब्लाक खण्ड स्वत : क्लीयर हो जायेगा एवं री–सैट पैनल पर ब्लाक खण्ड क्लीयर होने का हरा इंडिकेशन जलने लगता है।

4. री–सैट होने के बाद वीडर काउन्टर एक उच्च संख्या लगभग 5 सेकेण्ड के अन्तराल पर दर्ज करेगा एवं गणक की संख्या को रिकार्ड किया जायेगा।

4.5.5 <u>एक्सल काउन्टर की विफलता होने पर अपनायी जाने वाली प्रक्रिया</u> :–

(i) उपरोक्त पैरा 4.5.4 में दी गयी री–सैटिंग की प्रक्रिया अपनायी जाये।

(ii) यदि दोनों छोर के स्टेशन मास्टर द्वारा री–सैट करने के बाद एवं खण्ड में पहली गाड़ी पी0 एल0 सी0 पर गुजर जाने के बाद भी एक्सल काउन्टर लाल प्रदर्शित करता है तो निम्न प्रक्रिया अपनायी जाये।

(क) एक्सल काउन्टर की विफलता यदि 4 घन्टें से अधिक समय तक बनी हुई है तो सैक्शन इंजी0 सिगनल को जॉच स्वंय करके एक्सल काउन्टर का डिस्कनेक्शन मीमों एस0 एण्ड टी0 / डी0एन0 एनेक्सर–2 जारी करके कार्यरत स्टेशन मास्टर से अनुमति प्राप्त करनी चाहिए।

(ख) दोनों छोर पर स्थित स्टेशन के स्टेशन मास्टर प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करके यह सुनिश्चित करेगे कि उक्त खण्ड में कोई गाड़ी नहीं है / गाड़ी का पूर्ण आगमन हो चुका है।

(ग) ऐसा सुनिश्चित हो जाने के बाद एवं कार्यरत स्टेशन मास्टर से इस आशय का मीमों प्राप्त होने पर सैक्शन इंजी० सिगनल स्वयं व्यवस्था करेगें कि टोकेनलैस की कार्य प्रणाली (एक्सल काउन्टर को छोड़कर) कार्यरत रहे।

(घ) उपरोक्त (क) में अंकित विफलता के दौरान एवं टोकेनलैस के ठीक होने तक (एक्सल काउन्टर को छोड़कर) खण्ड में दोनों छोर से पी0 एल0 सी0 जारी रहेगी।

(ड़) उपरोक्त स्थिति में सामान्य नियम 8.03 (2) एवं सहायक नियम 8.03 (i) से (iv) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5. <u>सिगनल एवं मार्ग संकेत इंडिकेशन</u> :–

पैनल पर प्रत्येक सिगनल के लिये स्थल पर लगे सिगनल द्वारा दर्शायी गयी । ये इंडिकेशन सिगनलो द्वारा दर्शाये जाने वाले आस्पैक्ट के अनुरूप लाल / हरे / पीले रंग की लघु प्रकाश इंडिकेशन (सूचक बत्ती) दर्शाते हैं। होम सिगनल पर लगे रूट इंडिकेटर के लिये पैनल पर एक लघु सफेद प्रकाश पट्टी प्रकाशित होकर होम सिगनल का लूप लाइन के लिये 'आफ' होना दर्शाती है। आश्रित शन्ट सिगनल जो प्रस्थान सिगनल के खम्बे पर स्थित है, उनके इंडिकेशन के लिये एक सफेद पट्टी 'आफ' स्थिति में प्रकाशित होगी । अनाश्रित शन्ट सिगनल जो स्वतन्त्र खम्बे पर स्थित है, की 'आन' स्थिति में एक सीधी लघु प्रकाश पट्टी तथा 'आफ' स्थिति में 45 डिग्री के कोण पर लघु सफेद पट्टी प्रकाशित होगी। कालिंग आन सिगनल के आस्पैक्ट का इंडिकेशन पैनल पर होम सिगनल के नीचे लघु पीले प्रकाश के रूप में दिया गया है। सामान्य दशा में यह अप्रकाशित रहता है। यह तभी प्रकाशित होता है तब कालिंग आन सिगनल 'आफ' किया जाता है।

(के0एस0सोनाल)	(अतुल सिंह)	(आर0पी0मिश्रा)
मपरिप्र/इज्जतनगर	मसिदूई/इज्जतनगर	मसिदूई/निर्माण/लखनऊ

5.1 **कॉटा इंडिकेशन :–**

मोटर चालित कॉटों / क्रास ओवर कॉटों के संचालन हेतु दिये गये बटन के ऊपर नार्मल स्थिति में सफेद तथा रिवर्स स्थिति में लघु सफेद प्रकाश पट्टी का प्रावधान है। कॉटों / क्रास ओवर कॉटों की स्थिति के अनुसार ये इंडिकेशन अनवरत प्रकाशित रहेगें। जब कॉटें / क्रास ओवर कॉटें संचालित होते हैं तब वॉछित स्थिति का इंडिकेशन जलता –बुझता (फ्लैश) करता है जब तक कि कॉटा सैट एवं लाक नहीं हो जाता है। जैसे कि जब कॉटा नार्मल स्थिति से रिवर्स स्थिति में संचालित होता है तब नार्मल इंडिकेशन बुझ जाता है और रिवर्स का सफेद इंडिकेशन जलने बुझने लगता है। कॉटे के रिवर्स मे सैट एवं लाक हो जाने पर रिवर्स का सफेद इंडिकेशन लगातार जलने लगता है।

नोट :– मोटर कॉटों पर नान–सिगनल मूवमेन्ट के बाद कार्यरत स्टेशन मास्टर को चाहिए कि वह मोटर कॉटे को नार्मल या रिवर्स में चलाकर उसकी जॉच कर ले तथा उनके सम्बन्धित इंडिकेशनों को पैनल पर सुनिश्चित कर ले तथा इसकी जॉच की प्रविष्टि स्टेशन मास्टर डायरी में अवश्य करे।

5.2 **बटन हैल्ड इंडिकेशन :–**

पैनल पर जब कोई पुश बटन दबा रह जाता है तब ये इंडिकशन प्रकाशित हो जाते हैं।

5.2.1 **सिगनल बटन हैल्ड इंडिकेशन (GNCKE) :–**

कोई सिगनल बटन दबा रह जाने पर यह इंडिकेशन प्रकाशित हो जाता है।

5.2.2 **कॉटा बटन हैल्ड इंडिकेशन (WNCKE) :–**

कोई कॉटा बटन दबा रह जाने पर यह इंडिकेशन प्रकाशित हो जाता है।

5.2.3 **रूट बटन हैल्ड इंडिकेशन (UNCKE) :–**

कोई रूट बटन दबा रह जाने पर यह इंडिकेशन प्रकाशित हो जाता है।

5.2.4 **ग्रुप बटन हैल्ड इंडिकेशन (GR (N) CKE) :–**

कोई ग्रुप बटन दबा रह जाने पर यह इंडिकेशन प्रकाशित हो जाता है।

5.2.5 **ई0 यू0 वाई0 एन0 बटन हैल्ड इंडिकेशन (EUYKE) :–**

कोई ई0यू0वाई0 एन0 बटन दबा रह जाने पर यह इंडिकेशन प्रकाशित हो जाता है।

5.2.6 **ई0 यू0 यू0 वाई0 एन0 बटन हैल्ड इंडिकेशन (EUUYKE) :–**

कोई ई0 यू0 यू0 वाई0 एन0 बटन दबा रह जाने पर यह इंडिकेशन प्रकाशित हो जाता है।

5.2.7 **जी0 / यू0 / डब्लू0 / जी0 आर0 इंडिकेशन (G/ U / W/ GR) :–**

कोई सिगनल, कॉटा, रूट तथा ग्रुप बटन दबा रह जाने पर यह इंडिकेशन प्रकाशित हो जाता है तथा बटन हैल्ड अलार्म बजने लगता है जिसे बन्द करने हेतु जी0 / यू0 / डब्लू0 / जी0 आर0 एकनालेज (अभिस्वीकृति) बटन दबाने पर अलार्म बन्द हो जाता है परन्तु यह इंडिकेशन तब तक प्रकाशित रहता है जब तक कि दबे बटन को ठीक न कर दिया जाये।

उपरोक्त इंडिकेशन जलने तथा अलार्म बजने पर स्टेशन मास्टर द्वारा बटन को ऊपर खींचकर तुरन्त ठीक किया जाना चाहिए। यदि फिर भी अलार्म बजना बन्द नहीं होता है तो सिगनल एवं दूर संचार विभाग के अनुरक्षण कर्मचारी को सूचित करना चाहिए।

5.2.8 **लाक लाइट इंडिकेशन :–**

पैनल पर कॉटें के ट्रैक सर्किट पर कॉटें के फेसिंग में लघु सफेद बत्ती का प्रावधान है, जिसके प्रकाशित होने का अर्थ है कि कॉटा विद्युतीय रूप से लाक है तथा संचालित नहीं किया जा सकता है। यह लघु सफेद बत्ती लाक लाइट कहलाती है।

(के0एस0सोनाल)	(अतुल सिंह)	(आर0पी0मिश्रा)
मपरिप्र/इज्जतनगर	मसिदूई/इज्जतनगर	मसिदूई/निर्माण/लखनऊ

5.2.9 **पैनल लाक / रिलीज इंडिकेशन :–**

स्टेशन मास्टर की पैनल नियन्त्रण चाबी के ऊपर पैनल लाक / रिलीज के लिये लाल / सफेद इंडिकेशन का प्रावधान है। जब पैनल से चाबी निकालने हेतु घुमाया जाता है तब पैनल लाक का लाल इंडिकेशन प्रकाशित होता है तथा पैनल में चाबी लगाकर घुमा देने पर रिलीज का सफेद इंडिकेशन जलता है। पैनल के रिलीज स्थिति में पैनल द्वारा कॉटों तथा सिगनलो का संचालन सम्भव है।

5.2.10 **कैन्क हैण्डिल , साइडिंग एवं समपार फाटकों का लाक / रिलीज इंडिकेशन :–**

कैन्क हैण्डिल सी0 एच0 1 एवं सी0 एच0 2, तथा समपार फाटकों के वाई0 एन0 / एल0 एन0 बटनों के ऊपर रिलीज स्थिति में लाल तथा लाक में सफेद इंडिकेशन का प्रावधान है।

5.2.11 **एफ0 आर0 के0 ई0 इंडिकेशन :–**

पैनल के ऊपर दाहिने कोने पर यह इंडिकेशन लगातार जलता बुझता है तथा यह सूचित करता है कि फ्लैशिंग उपकरण ठीक अवस्था में है अन्यथा सिगनल विभाग के अनुरक्षण कर्मचारी को सूचित करना चाहिए।

5.2.12 **ओवरलैप इंडिकेशन :–**

प्रत्येक स्टार्टर सिगनल के निकट ओवर लैप इंडिकेशन हेतु सफेद लघु बत्ती का प्रावधान है। जिस लाइन के लिये होम सिगनल 'आफ' किया जाता है, उसके ओवर लैप में यह लघु सफेद इंडिकेशन प्रकाशित हो जाता है साथ ही ओवर लैप के ट्रैक सर्किटों पर सफेद प्रकाश पट्‌टी प्रकाशित हो जाती है । गाड़ी के बर्थिंग ट्रैक पर आगमन के पश्चात निर्धारित समयान्तराल तक यह यह इंडिकेशन जलता बुझता रहता है। इसके बुझ जाने पर ओवर लैप के कॉटें संचालन हेतु मुक्त हो जाते है।

5.2.13 **रूट लाक इंडिकेशन :–**

पैनल पर प्रत्येक सिगनल के पास उस सिगनल के रूट लाक इंडिकेशन का प्रावधान किया गया है। जब सिगनल को 'आफ' किया जाता है तब उस सिगनल का रूट लाक इंडिकेशन सफेद प्रकाशित हो जाता है। सिगनल निरस्तीकरण के बाद संरक्षा समय लगभग 120 सेकेण्ड तक यह इंडिकेशन जलता बुझता है एवं उसके बाद बुझ जाता है।

5.2.14 **120 एन जे के ई इंडिकेशन :–**

पैनल पर दोनों छोरों पर एक–एक सफेद इंडिकेशन का प्रावधान है। किसी गाड़ी के पूर्ण आगमन या सिगनल निरस्तीकरण के बाद संरक्षा समय लगभग 120 सेकेण्ड तक यह इंडिकेशन जलता बुझता है एवं उसके बाद बुझ जाता है। इसके बुझ जाने के बाद कॉटें प्रचालन हेतु मुक्त हो जायेगे।

6. **रिमाइन्डर कालर :–**

पैनल के ऊपर बने प्रोजैक्शनों पर लाल रंग के रिमाइन्डर कालर का प्रावधान है जिन्हें आवश्यकतानुसार सिगनल या कॉटा बटन पर लगा देने से उन्हें दबाया नहीं जा सकता। इससे स्टेशन मास्टर को पहले चेतावनी मिल जाती है कि उन्हें इन बटनों को संचालित नहीं करना है।

7. **कैन्क हैण्डिल :–**

7.1 मोटर चालित कॉटों की विफलता में अथवा टेस्टिंग हेतु कैन्क हैण्डिल द्वारा कॉटों का संचालन किया जाता है। स्टेशन पर दो कैन्क हैण्डिल चाबी सी0 एच0 1 तथा सी0 एच0 2 का प्रावधान है। कैन्क हैण्डिल निकालने की विधि निम्न प्रकार है –

(के0एस0सोनाल)	(अतुल सिंह)	(आर0पी0मिश्रा)
मपरिप्र/इज्जतनगर	मसिदूई/इज्जतनगर	मसिदूई/निर्माण/लखनऊ

(i) स्टेशन मास्टर नियन्त्रण पैनल पर सम्बन्धित कैन्क हैण्डिल चाबी का वाई0 एन0 एवं जी0 बी0 एन0 बटन एक साथ दबायेंगे।

(ii) विद्युत कॉटा मशीन को आपात कालीन संचालन हेतु जब सभी शर्ते पूरी होती हैं तो पैनल पर कैन्क हैण्डिल बटन पर एक लाल बत्ती प्रकाशित हो जायेगी। तब स्टेशन मास्टर धीरे से कैन्क हैण्डिल नियन्त्रण चाबी को धीरे से घुमाकर निकाल लेंगे।

(iii) इस परिशिष्ट के मद संख्या 7.3 में वर्णित विधि से कॉटों का संचालन किया जायेगा तथा कार्य पूरा हो जाने पर कैन्क हैण्डिल नियन्त्रक चाबी को पुनः कैन्क हैण्डिल लाक में लगाकर पूर्ववत स्थिति में घुमा दिया जाय।

(iv) स्टेशन मास्टर द्वारा नियन्त्रण पैनल पर सम्बन्धित कैन्क हैण्डिल नियन्त्रक चाबी का एल0 एन0 एवं जी0 बी0 एन0 बटन एक साथ दबाने पर कैन्क हैण्डिल नियन्त्रक चाबी लाक हो जायेगी तथा कैन्क हैण्डिल के एल0 एन0 बटन के ऊपर कैन्क हैण्डिल चाबी लाक होने का इंडिकेशन प्रकाशित हो जायेगा।

7.2 कैन्क हैण्डिल एवं उनके द्वारा नियन्त्रित कॉटों का विवरण निम्न प्रकार है –

क्रैन्क हैण्डिल संख्या	उनके द्वारा नियन्त्रित कॉटे
सी0 एच0 1	201A - 201B, 202A - 202B
सी0 एच0 2	203A - 203B, 204A - 204B

7.3 **<u>कॉटा मशीन के आपात कालीन संचालन की प्रकिया</u>** :–

जिन कॉटों पर मोटर कॉटा मशीन लगी है, उनका कैन्क हैण्डिल द्वारा संचालन करने की विधि निम्न प्रकार है –

(क) सिगनलिंग परिशिष्ट 'ख' के पैरा 7.1 में वर्णित विधि के अनुसार कैन्क हैण्डिल नियन्त्रक चाबी निकालें । स्टेशन मास्टर अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखी गयी मोटर प्वाइन्ट मशीन के ढक्कन की व ढक्कन के अन्दर के ताले की चाबियॉ एवं कैन्क हैण्डिल लेकर मोटर प्वाइन्ट मशीन पर जाये।

(ख) मोटर पाइन्ट मशीन पर कैन्क हैण्डिल लगाने हेतु बने छिद्र पर के ढक्कन में लगे ताले को खोलें।

(ग) ढक्कन को हटाकर चाबी लगाकर घुमा दें ताकि कैन्क हैण्डिल जाने के लिये साकेट में जगह बन जाये। इस कार्यवाही से मोटर प्वाइन्ट मशीन से बिजली की सप्लाई भी कट जाती है।

(घ) कैन्क हैण्डिल को साकेट में डालकर सीधा या उल्टा आवश्यकतानुसार घुमाएं। प्वाइन्ट स्विच के एक तरफ से दूसरे तरफ सैट हो जाने के बाद भी कैन्क हैण्डिल को तब तक चलाते रहना चाहिए जब तक प्वाइन्ट पूर्ण रूप से सैट होकर लाक न हो जाय।

(ड़) कार्य पूर्ण होने के बाद कैन्क हैण्डिल को निकाल कर चाबी घुमाकर बाहर निकाल लें ताकि प्वाइन्ट मशीन बिजली सप्लाई द्वारा चलाई जा सके। कैन्क हैण्डिल नियन्त्रक चाबी को स्टेशन मास्टर कार्यालय में सम्बन्धित लाक में लगा दें।

(च) पैनल पर सम्बन्धित कैन्क हैण्डिल के स्विच को लाक स्थिति में घुमा दें जिससे ऊपर लगी हुई सफेद लघु बत्ती प्रकाशित हो जायेगी। इस कार्यवाही से प्वाइन्ट मशीन पैनल द्वारा संचालन होने योग्य हो जायेगी।

नोट :- प्रत्येक समय जब विद्युतीय पाश संयोजन से क्रैंक हैण्डिल द्वारा परिचालित कॉटों को हाथ से प्रचालन हेतु मुक्त कराया जाता है तो इस सम्बन्ध में, इस उद्देश्य से बनायी गयी पंजिका में, कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा निम्नलिखित प्रारुप में प्रविष्टि अवश्य अँकित की जानी चाहिये।

(के0एस0सोनाल)	(अतुल सिंह)	(आर0पी0मिश्रा)
मपरिप्र/इज्जतनगर	मसिदूई/इज्जतनगर	मसिदूई/निर्माण/लखनऊ

क्रम सं0	क्रैंक हैण्डिल चाबी निकालने वाले कर्मचारी का नाम और पद	क्रैंक हैण्डिल चाबी निकाले जाने की तिथि एवं समय	क्रैंक हैण्डिल चाबी निकालने का उद्देश्य विफलता / परीक्षण	क्रैंक हैण्डिल चाबी निकालने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षर	वीडर काउन्टर द्वारा पंजीकृत सं0	स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर	क्रैंक हैण्डिल वापस करने की तिथि एवं समय	स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(छ) सिगनल विभाग के अनुरक्षण कर्मचारियों को अनुरक्षण अथवा टेस्टिंग के लिये क्रैन्क हैण्डिल देते समय उनसे सम्बन्धित प्वाइन्ट का डिस्कनेक्शन मेमो निर्धारित प्रारूप पर अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।

(ज) सम्बन्धित सिगनल विभाग के कर्मचारी से री–कनेक्शन मेमो क्रैन्क हैण्डिल के साथ प्राप्त होने पर नार्मल कार्य प्रणाली अपनायी जाये।

(झ) डिस्कनेक्शन की अवधि में गाड़ियों का संचालन साधारण नियम 3.69 (1), (3) एवं सहायक नियम 3.70 (1), (2) में उल्लिखित नियमानुसार किया जाय।

8 **वीडर काउन्टर :-**

पैनल पर निम्नलिखित वीडर काउन्टर का प्रावधान हैं जो पैनल द्वारा संबंधित संचालन के पश्चात् एक अंक बढ़ जाते हैं :–

1. आपात्कालीन रूट रिलीज वीडर काउन्टर (EUUYN)
2. आपात्कालीन रूट निरस्तीकरण वीडर काउन्टर (EUYN)
3. कालिंग आन सिगनल के लिये वीडर काउन्टर
4. आपातकालीन सिगनल रिपलेसमेन्ट के लिये वीडर काउन्टर **(EGGN)**।
5. क्रैंक हैण्डिल रिलीज़ के लिये वीडर काउन्टर
6. आपातकालीन कॉटा संचालन के लिये वीडर काउन्टर (EWN)
7. दोनों ओर के टोकेनलैस ब्लाक यन्त्र के वीडर काउन्टर
8. दोनों ओर के एक्सल काउन्टर के वीडर काउन्टर

जब सम्बन्धित बटन को जिसके लिये यह वीडर काउन्टर प्रदत्त है, को चलाया जाता है तब हर बार एक उच्च संख्या सम्बन्धित वीडर काउन्टर पर आती हैं। हर बार जब इन बटनो का उपयोग किया जाय तो वीडर काउन्टर द्वारा दर्ज की गयी संख्या को वीडर काउन्टर रजिस्टर में सम्बन्धित काउन्टर के लिये ऑवटित पृष्ठ पर इसकी प्रविष्टी कारण सहित अंकित किया जाय एव कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा स्टेशन का चार्ज सौंपते / ग्रहण करते समय वीडर काउन्टरो की वास्तविक संख्या तथा वीडर काउन्टर रजिस्टर की प्रविष्टियॉ समान / अद्यतन लिखना सुनिश्चित किया जाये।

(के0एस0सोनाल)	(अतुल सिंह)	(आर0पी0मिश्रा)
मपरिप्र/इज्जतनगर	मसिदूई/इज्जतनगर	मसिदूई/निर्माण/लखनऊ

9. **गाड़ियों का एक साथ आगमन / प्रस्थान / क्रासिंग :–**

(i) इस स्टेशन पर गाड़ियों के साथ आगमन की अनुमति है।

(ii) इस स्टेशन पर सवारी गाड़ी के ब्रेक यान को एक दूसरे के सम्मुख करके क्रासिंग की अनुमति है। गाड़ियों के साथ–साथ आगमन की अनुमति निम्न प्रकार है :–

(क) अप गाड़ी का लाइन संख्या 1 पर आगमन
और
अप गाड़ी का लाइन संख्या 2 या 3 से प्रस्थान

(ख) अप गाड़ी का लाइन संख्या 3 पर आगमन
और
अप गाड़ी का लाइन संख्या 2 या 1 से प्रस्थान

(ग) डाउन गाड़ी का लाइन संख्या 1 पर आगमन
और
डाउन गाड़ी का लाइन संख्या 2 या 3 से प्रस्थान

(घ) डाउन गाड़ी का लाइन संख्या 3 पर आगमन
और
डाउन गाड़ी का लाइन संख्या 2 या 1 से प्रस्थान

9.1 **गाड़ियों का बिना रूके सीधे जाना** :–

(i) मेन लाइन संख्या 2 से गाड़ियॉ बिना रूके सीधे जा सकती है।

(ii) लूप लाइन सख्या 1 तथा 3 से गाड़ियॉ नियमानुसार प्रतिबन्धित गति से सीधे जा सकती है।

10. **कॉटे, सिगनल तथा रूट बटन के संचालन की तालिका :–**

क्र0 सं0	गाड़ी संचालन	प्रचालित किये जाने वाले कॉटा बटन		सिगनल बटन दबायें	रूट बटन दबायें	गेट बन्द करें
		नार्मल	रिवर्स			
1	**अप गाड़ियों का देवरनिया से आगमन**					
(क)	लाइन सं0 1 पर डैड एण्ड बनाकर	201, 204	203	एस 12	बी	27,
(ख)	लाइन सं0 1 पर मेन लाइन बनाकर	202, 204	203, 201	एस 12, एस 6,	बी, एफ	27, 28
(ग)	लाइन सं0 3 पर डैड एण्ड बनाकर	202	204	एस 12	सी	27

(के0एस0सोनाल)
मपरिप्र/इज्जतनगर

(अतुल सिंह)
मसिदूई/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूई/निर्माण/लखनऊ

क0 सं0	गाड़ी संचालन	प्रचालित किये जाने वाले कॉटा बटन		सिगनल बटन दबायें	रूट बटन दबायें	गेट बन्द करें
		नार्मल	रिवर्स			
(घ)	लाइन सं0 3 पर मेन लाइन बनाकर	201,203	202, 204	एस 12 एस 8	सी, एफ	27, 28
(ड़)	लाइन सं0 2 पर आगमन	203, 204 201, 202	.....	एस 12	ए,	27, 28
(च)	गाड़ी का लाइन सं0 2 से रन–थ्रू	203, 204 201, 202	....	एस 2, एस 4, एस 12,	ए, एफ ई	27, 28
2	**डाउन गाड़ियों का किच्छा से आगमन**					
(क)	लाइन सं0 1 पर डैड एण्ड बनाकर	203, 202	201	एस 1	बी	28
(ख)	लाइन सं0 1 पर मेन लाइन बनाकर	202, 204	201, 203	एस 7 एस 1	बी, जी	27, 28
(ग)	लाइन सं0 3 पर डैड एण्ड बनाकर	201, 204	202	एस 1	सी	28
(घ)	लाइन सं0 3 पर मेन लाइन बनाकर	201,	202, 204	एस 9, एस 1	जी, सी	27, 28
(ड़)	लाइन सं0 2 पर आगमन	201, 202 203, 204	....	एस 1,	ए	27, 28
(च)	गाड़ी का लाइन सं0 2 से रन–थ्रू	203, 204 201, 202	....	एस 11, एस 5, एस 1	एच, जी, ए	27, 28
3	**अप गाड़ियों का किच्छा को प्रस्थान**					
(क)	लाइन सं0 1 से प्रस्थान	202	201	एस 2, एस 6	ई, एफ,	28
(ख)	लाइन सं0 2 से प्रस्थान	201, 202	...	एस 2, एस 4	ई, एफ,	28
	लाइन सं0 3 से प्रस्थान	201	202	एस 2, एस 8	ई, एफ	28
4	**डाउन गाड़ियों का देवरनिया को प्रस्थान**					
(क)	लाइन सं0 1 से प्रस्थान	204	203	एस 11, एस 7,	एच, जी	27
(ख)	लाइन सं0 2 से प्रस्थान	203, 204	....	एस 11, एस 5,	एच, जी	27
(ग)	लाइन सं0 3 से प्रस्थान	203	204	एस 11, एस 9,	एच, जी	27
5	**अप शन्ट सिगनल सं0 एस एच 32 से**					
(क)	लाइन सं0 1 पर आगमन	204	201	एसएच 32	बी	27
(ख)	लाइन सं0 2 पर आगमन	204, 203	....	एसएच 32	ए	27
(ग)	लाइन सं0 3 पर आगमन	......	204	एसएच 32	सी	27

(के0एस0सोनाल)
मपरिप्र/इज्जतनगर

(अतुल सिंह)
मसिदूई/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूई/निर्माण/लखनऊ

क0 सं0	गाड़ी संचालन	प्रचालित किये जाने वाले कॉटा बटन		सिगनल बटन दबायें	रूट बटन दबायें	गेट बन्द करें
		नार्मल	रिवर्स			
6	**डाउन शन्ट सिगनल सं0 एस एच 31 से**					
(क)	लाइन सं0 1 पर आगमन	...	201	एसएच 31	बी	28
(ख)	लाइन सं0 2 पर आगमन	201, 202	..	एसएच 31	ए	28
(ग)	लाइन सं0 3 पर आगमन	201	202	एसएच 31	सी	28
7	**अप शन्ट किच्छा की ओर**					
(क्)	लाइन सं0 1 के शंन्ट सिगनल सं0 एस एच 26 से	–	201	एसएच 26	एफ	28
(ख)	लाइन सं0 2 के शंन्ट सिगनल सं0 एस एच 24 से	201, 202	–	एसएच 24	एफ	28
(ग)	लाइन सं0 3 के शंन्ट सिगनल सं0 एस एच 28 से	.201	202	एसएच 28	एफ	28
8	**डाउन शन्ट देवरनिया की ओर**					
(क्)	लाइन सं0 1 के शंन्ट सिगनल सं0 एस एच 27 से	204	203	एसएच 27	जी	27
(ख)	लाइन सं0 2 के शंन्ट सिगनल सं0 एस एच 25 से	203, 204	...	एसएच 25	जी	27
(ग)	लाइन सं0 3 के शंन्ट सिगनल सं0 एस एच 29 से	..	204	एसएच 29	जी	27
9	**अप / डाउन गाड़ियों का कालिंग आन सिगनल पर आगमन**					
(i)	**डाउन गाड़ियों का कालिंग आन सिगनल पर आगमन**					
(क्)	लाइन सं0 1 पर आगमन	202	201	सी 3	बी	28
(ख)	लाइन सं0 2 पर आगमन	201, 202	...	सी 3	ए	28
(ग)	लाइन सं0 3 पर आगमन	201	202	सी 3	सी	28
(ii)	**अप गाड़ियों का कालिंग आन सिगनल पर आगमन**					
(क्)	लाइन सं0 1 पर आगमन	204	203	सी 10	बी	27
(ख)	लाइन सं0 2 पर आगमन	203, 204	...	सी 10	ए	27
(ग)	लाइन सं0 3 पर आगमन	203	204	सी 10	सी	27

(के0एस0सोनाल)
मपरिप्र/इज्जतनगर

(अतुल सिंह)
मसिदूई/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूई/निर्माण/लखनऊ

11. **<u>दूर संचार</u>** :- स्टेशन मास्टर के कार्यालय में निम्नलिखित टेलीफोन प्रदत्त हैं -

i) इज्जतनगर नियन्त्रण कार्यालय से सम्बध्द कन्ट्रोल टेलीफोन
ii) स्टेशन पर प्रदत्त बी०एस०एन०एल० फोन
iii) किच्छा स्टेशन के टोकेनलैस ब्लाक यन्त्र से सम्बध्द साइड टेलीफोन
iv) देवरनिया स्टेशन के टोकेनलैस ब्लाक यन्त्र से सम्बध्द साइड टेलीफोन
v) ट्रफिक गेट सं० 27/ए किमी 31/2-3 के गेटमैन के साथ टेलीफोन
vi) ट्रैफिक गेट सं० 28/स्पेशल किमी 32/3-4 के गेटमैन के साथ टेलीफोन
vii) इंजी० गेट सं० 21/A (बहेड़ी-देवरनिया) किमी० 24/9-25/0 के गेटमैन के साथ टेलीफोन
viii) इंजी० गेट सं० 23/C (बहेड़ी-देवरनिया) किमी० 27/0-1 के गेटमैन के साथ टेलीफोन
ix) इंजी० गेट सं० 29/C (बहेड़ी-किच्छा) किमी० 32/8-9 के गेटमैन के साथ टेलीफोन
x) इंजी० गेट सं० 30/B1 (बहेड़ी-किच्छा) किमी० 34/6-7 के गेटमैन के साथ टेलीफोन
xi) इंजी० गेट सं० 33/B1 (बहेड़ी-किच्छा) किमी० 37/2-3 के गेटमैन के साथ टेलीफोन
xii) इंजी० गेट सं० 34/C (बहेड़ी-किच्छा) किमी० 38/7-8 के गेटमैन के साथ टेलीफोन
xiii) वी०एच०एफ० सैट

11A. **<u>संचार साधनों की विफलता के दौरान कार्यवाही :-</u>**

साधारण एवं सहायक नियम पुस्तक के परिशिष्ट ‘ख’ पार्ट - II , परिशिष्ट ‘घ’ एवं साधारण एवं सहायक नियम 14.13 के नोट ‘बी’ के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।)

12. **<u>इकहरी लाइन के लिये एक्सल काउन्टर सहित सहकारी डायडो टाइप टोकेनलैस ब्लाक उपकरण की बनावट का विवरण</u>**

इस उपकरण की बनावट का विवरण निम्न प्रकार है :–

1 **गैल्वेनोस्कोप** –
यह अपने तथा जाने वाली डी0सी0 धारा के कारण विचलित होता है। जब दोनों ओर के किसी भी स्टेशन मास्टर द्वारा बटन दबाया जाता है तो इसकी सुई विचलित होती है।

2 **समय समाप्ति सूचक** –
यह उपकरण के सामने बॉयी ओर लगा होता है। लाइन क्लीयर निरस्तीकरण के समय साठ सेकेण्ड के समय अन्तराल की सूचना देता है। सामान्यतया यह सूचक सफेद पट्टी पर लाक्ड लिखा रहता है और साठ सेकेण्ड के समय अन्तराल के बाद खत्म (हरी पट्टी पर) लिखा हुआ आता है।

3 **स्विच एस ए 1** –
धातु का बना यह स्विच लाइन के निरस्तीकरण के लिये उपयोग किया जाता है जब गाड़ी ब्लाक खण्ड में ना पहुँची हो।

4 **स्विच एस ए 2** –
धातु का बना यह स्विच पुश बैक मूवमेन्ट के दौरान होम सिगनलों को आफ करने के लिये प्रयुक्त होता है तथा गाड़ी को भेजने वाले स्टेशन पर वापिस लिया जाता है।

(के0एस0सोनाल)	(अतुल सिंह)	(बालक राम)
मपरिप्र/इज्जतनगर	मसिदूई/इज्जतनगर	मसिदूई/निर्माण/लखनऊ

5 **टी0ओ0एल0 सूचक** –
यह उपकरण के सामने दॉयी ओर लगा रहता है। सामान्यतया यह सफेद रंग की पट्टी के रूप में रहता है और जैसे ही गाड़ी ब्लाक खण्ड में प्रवेश करती है तो लाल रंग की पट्टी में 'ट्रेन आन लाइन' प्रदर्शित करता है।

6 **पुश बटन पी0बी0 1** –
धातु की घुण्डी के रूप में यह बटन घण्टी कोड देने के लिये प्रयुक्त होता है और आटो टी0ओ0 एल0 संकेतन को गाड़ी आगमन स्टेशन के द्वारा एकनालेज करने में प्रयुक्त होता है।

7 **ब्लाक हैण्डिल** –
यह धातु का हैण्डिल उपकरण के सामने की ओर लगा रहता है। इसका हत्था ऊपर की ओर लाइन क्लोज्ड पोजीशन (एन) प्रदर्शित करता है। गाड़ी ब्लाक खण्ड मे जा रही है (एल) प्रदर्शित करता है। गाड़ी आ रही है (आर) प्रदर्शित करता है।

8 **पुश बटन पी0 बी0 2** – पी0 बी0 1 के साथ दबाने पर कोड भेजता है।

9 **सिंगिल स्ट्रोक बेल** –
धातु की यह घन्टी उपकरण के ऊपर लगी रहती है। जब दूसरा स्टेशन बेल कोड भेजता है तो इसकी हथौड़ी इससे टकराकर घन्टी की आवाज देती है।

10 **स्टेशन मास्टर चाबी** –
जब यह नहीं लगी रहती है तब उपकरण के सारे कार्य बन्द हो जाते हैं। केवल दूसरे स्टेशन के द्वारा बजायी गयी घन्टी बजती है तथा टी0 ओ0 एल0 कोड भेजा जाता है।

11 **शंटिंग चाबी** –
यह ब्लाक उपकरण में लगी रहती है तथा यह केवल तभी निकाली जा सकती है जब ब्लाक उपकरण का हैण्डिल नार्मल स्थिति में होता है या ट्रेन गोइग टू स्थिति में होती है। यह चाबी तभी निकाली या लगायी जा सकती है जब स्टेशन मास्टर चाबी लगी हो तथा घुमी हुई हों।

12 **काउन्टर्स (गणक)**–
काउन्टर एक और काउन्टर दो केवल स्विचों (एस 1 तथा एस 2) के कार्य की गणना करता है।

13 **टेलीफोन (एच0एम0टी0)**–
यह उपकरण के दॉयी ओर बातचीत करने के लिये लगा होता है तथा इसमें दबाने वाला बटन लगा होता है।

12.1 **<u>इकहरी लाइन पर सहकारी टोकेनलैस ब्लाक यन्त्र को संचालित करने की पध्दति</u>** :–

(क) **<u>'ए' स्टेशन से 'बी' स्टेशन पर गाड़ी भेजने की प्रकिया</u>** –

स्टेशन 'ए'		स्टेशन 'बी'	
	ब्लाक उपकरण 'लाइन क्लोज्ड' स्थिति में रहेगा और सभी सिगनल 'आन' की स्थिति में होंगे		ब्लाक उपकरण 'लाइन क्लोज्ड' स्थिति में रहेगा और सभी सिगनल 'आन' की स्थिति में होंगे
1	स्टेशन मास्टर की कुंजी को डालिये ओर घुमाइये		
2	पी0 बी0 1 से ध्यान आकर्षित करिये एवं टेलीफोन पर उपस्थित हों	3	ध्यानाकर्षण (काल अटैन्शन) का प्रति उत्तर दीजिये एवं टेलीफोन पर उपस्थित हों

(के0एस0सोनाल) (अतुल सिंह) (आर0पी0मिश्रा)
मपरिप्र/इज्जतनगर मसिदूई/इज्जतनगर मसिदूई/निर्माण/लखनऊ

		4	स्टेशन मास्टर की कुंजी को डालिये ओर घुमाइये
		5	पी0 बी0 1 को दबाकर बेल कोड का प्रति उत्तर दें
6	बेल कोड सिगनल का प्रति उत्तर प्राप्त करें		
7	टेलीफॉन अटैण्ड करें	8	टेलीफोन कोड प्राप्त करें तथा टेलीफोन पर बात करें
9	टेलीफोन पर बात करके लाइन क्लीयर पूछिये	10	लाइन क्लीयर सम्बन्धी पूछताछ का जवाब दें
11	पी 0 बी0 1 तथा पी0 बी0 2 को दबाकर लाइन क्लीयर मॉगिये	12	बात होने के बाद एक के बाद बटनों को दबाये जाने के बाद गैल्वो की सुई को देखते हुए हैण्डिल को धीरे–धीरे टी0सी0एफ0 की तरफ घुमायें
13	गैल्वो की सुई में हल्का झटका देखने के बाद पी0 बी0 1 को तथा पी0 बी0 2 को छोड़ें	14	अब आप पी 0 बी0 1 तथा पी0 बी0 2 को दबायें
15	हैण्डिल को धीरे–धीरे टी0जी0टी0 स्थिति में लायें	16	गैल्वो की सुई को देखते रहें तथा हल्का सा हिलने पर पी 0 बी0 1 तथा पी0 बी0 2 को छोड़ें
17 क	अन्तिम रोक सिगनल को आफ करें		
ख	ब्लाक खण्ड में गाड़ी प्रवेश करती है।		
ग	अन्तिम रोक सिगनल स्वतः आन हो जाता है तथा डिपार्चर बजर बोलेगा	18	टी0ओ0एल0 संकेतन बजने / दिखने पर पी0बी0 1 एकनालेज करें
19	टी0ओ0एल0 बजर बन्द हो जायेगा	20	टी0ओ0एल0 बजर बन्द हो जायेगा
		21 क	आगमन सिगनलों को आफ करें
		ख	गाड़ी स्टेशन पर प्रवेश करती है।
		ग	प्रथम रोक सिगनल आन की स्थिति में लौट आता है
		घ	गाड़ी के आगमन पर बजर बजने लगता है जिसे आगमन एकनालेज बटन दबाकर शान्त करें
		22	पी0 बी0 1 को तथा पी0 बी0 2 को दबाकर गाड़ी आगमन तथा ब्लाक सैक्शन क्लीयर की सूचना दें
23	ब्लाक यन्त्र के हैण्डिल को धीरे–धीरे लाइन क्लोज्ड स्थिति में लाइये	24	गैल्वो की सुई हिलने के बाद पी0 बी0 1 को तथा पी0 बी0 2 को छोड़ें
25	पी0 बी0 1 को तथा पी0 बी0 2 बटनो को दबायें	26	हैण्डिल को धीरे–धीरे क्लोज्ड स्थिति में लायें
27	गैल्वो की सुई हिलने के बाद पी0 बी0 1 को तथा पी0 बी0 2 को छोड़ें		

(के0एस0सोनाल) मपरिप्र/इज्जतनगर   (अतुल सिंह) मसिदूई/इज्जतनगर   (आर0पी0मिश्रा) मसिदूई/निर्माण/लखनऊ

(ख) **ब्लाक खण्ड में प्रवेश से पहले लाइन क्लीयर निरस्त करने की प्रकिया :–**

स्टेशन 'ए'		स्टेशन 'बी'	
	ब्लाक उपकरण गाड़ी प्रथान संकेत को प्रदर्शित करता है और सभी अन्तिम रोक सिगनल आन की स्थिति में रहते है।		ब्लाक उपकरण गाड़ी प्रथान संकेत को प्रदर्शित करता है और सभी अन्तिम रोक सिगनल आन की स्थिति में रहते है।
1	पी0 बी0 1 दबाकर स्टेशन 'बी' को बुलायें तथा लाइन क्लीयर निरस्तीकरण की बात करें।	2	टेलीफोन पर विस्तार से बात करें
3 क	स्टेशन मास्टर की कुन्जी लगाकर घुमाइये		
ख	स्विच एस 1 को घुमाएं		
ग	काउन्टर गणक अगली संख्या अंकित करता है		
घ	दो मिनट के समय अन्तराल के बाद फ्री इंडिकेशन जलेगा। पी0 बी0 1 तथा पी0 बी0 2 को दबायें	4	घन्टी सुनने के बाद गैल्वो को देखते हुए हैण्डिल को लाइन क्लोज्ड स्थिति में लायें
		5	हैण्डिल नार्मल होने के बाद पी 0 बी0 1 तथा पी0 बी0 2 को दबायें
6	हैण्डिल को टी0जी0टी0 से नार्मल में लायें तथा एस 1 को नार्मल करें		

(ग) **यदि किसी गाड़ी को भेजने वाले स्टेशन पर ही वापस लौटना है तब ब्लाक उपकरण को सामान्य करने की प्रकिया** :–

स्टेशन 'ए'		स्टेशन 'बी'	
	ब्लाक उपकरण गाड़ी प्रथान तथा लाइन पर गाड़ी है		ब्लाक उपकरण गाड़ी आगमन तथा लाइन पर गाड़ी है।
1	एस 2 स्विच घुमाइये		
2	काउन्टर पर अगला नम्बर देखें		
.3	आगमन संकेतक आफ करें तथा गाड़ी आगमन पर आगमन संकेतक स्वतः आन हो जायेगा। आगमन बजर को सुनें		
4	गड़ी आगमन की सूचना पी 0 बी0 1 तथा पी0 बी0 2 दबाकर भेजें	5	घन्टी सुनने के बाद हैण्डिल को लाइन क्लोज्ड स्थिति में लायें
		6	पी 0 बी0 1 तथा पी0 बी0 2 को दबायें
7	एस 2 को नार्मल करें तथा ब्लाक उपकरण हैण्डिल को नार्मल करें		

(के0एस0सोनाल)
मपरिप्र/इज्जतनगर

(अतुल सिंह)
मसिदूई/इज्जतनगर

(आर0पी0मिश्रा)
मसिदूई/निर्माण/लखनऊ

(घ) **अन्तिम रोक सिगनल तथा विपरीत दिशा के प्रथम रोक सिगनल के मध्य शन्टिंग की प्रक्रिया :**

स्टेशन ''ए''	स्टेशन ''बी''
ब्लाक उपकरण लाइन क्लोज्ड की स्थिति में हो तथा डिस्टेन्ट, होम एवं अन्तिम रोक सिगनल ''आन'' की स्थिति में हो।	ब्लाक उपकरण लाइन क्लोज्ड की स्थिति में हो तथो डिस्टेन्ट, होम एवं अन्तिम रोक सिगनल ''आन'' की स्थिति में हो।
1. स्टेशन मास्टर की चाबी लगाइये तथा घुमाइये।	
2.(क)शन्टिंग चाबी को बाहर निकालिये	
(ख) शन्टिंग चाबी ड्राइवर को दे दीजिये।	
3.(क) शन्टिंग कार्य समाप्त हो जाने के बाद ड्राइवर शन्टिंग चाबी को स्टेशन मास्टर को वापस कर देता है।	
(ख) शन्टिंग चाबी को उसके स्थान पर लगा दिया जाता है।	

(ङ) **अन्तिम रोक सिगनल और विपरीत दिशा के प्रथम रोक सिगनल के मध्य जाने वाली गाड़ी के पीछे जब ब्लाक उपकरण गाड़ी के प्रस्थान का संकेत दे रहा हो तब शन्टिंग करने की प्रक्रिया :-**

स्टेशन ''ए''	स्टेशन ''बी''
ब्लाक उपकरण गाड़ी प्रस्थान की स्थिति ` तथा डिस्टेन्ट, होम एवं अन्तिम रोक सिगनल ''आन'' स्थिति में हो।	ब्लाक उपकरण गाड़ी आगमन का संकेत दे रहा है।
1. स्टेशन मास्टर की चाबी लगाइये तथा घुमाइये।	
2.(क) शन्टिंग चाबी को बाहर निकालिये।	
(ख) शन्टिंग चाबी ड्राइवर को दे दीजिये।	
स्थिति-1 : यदि शन्टिंग कार्य गाड़ी पहुँचने से पहले समाप्त हो जाता है :	
3.(क) शन्टिंग कार्य समाप्त हो जाने पर ड्राईवर शन्टिंग चाबी को स्टेशन मास्टर को लौटा देता है।	
(ख) शन्टिंग चाबी ब्लाक उपकरण में लगायें	4. स्टेशन 'ए' से फोन द्वारा सूचना प्राप्त करें
स्थिति-2 : यदि शन्टिंग कार्य समाप्त होने के पहले ही गाड़ी पहुँच जाती है और स्टेशन ''बी'' ब्लाक उपकरण पर लाइन क्लोज्ड करने में असमर्थ हो जाता है, तथा स्टेशन ''ए'' की शंटिंग चाबी बाहर रहने की स्थिति में	
	1 स्टेशन 'ए' से टेलीफोन पर बात करके वस्तु स्थिति की जानकारी लें

'

(के0एस0सोनाल)
मपरिप्र/इज्जतनगर

(अतुल सिंह)
मसिदूई/इज्जतनगर

(आर0पी0मिश्रा)
मसिदूई/निर्माण/लखनऊ

2.(क) शन्टिंग कार्य समाप्त हो जाने पर ड्राईवर शन्टिंग चाबी को स्टेशन मास्टर को लौटा देता है।	
(ख) शन्टिंग चाबी को ब्लाक उपकरण में लगायें	
(ग) स्टेशन 'बी' को शन्टिंग समाप्त होने की सूचना दे	3.(क) टेलीफोन पर शन्टिंग समाप्त होने की अभिस्वीकृति दीजिये।
	(ख) ब्लाक उपकरण को लाइन क्लोज्ड स्थिमि में कर दे।

13 **कलर लाइट सिगनलों को प्रकाशित करने की व्यवस्था** :

(1) इस स्टेशन पर सिगनलों को प्रकाशित रखने के लिये इन्टीग्रेटेड पावर सप्लाई सिस्टम (आई०पी०एस०) का प्रावधान किया गया है जिससे सभी सिगनल लगातार प्रकाशित रहेगें। आई०पी०एस० की मानिटरिंग के लिये स्टेशन मास्टर के पैनल कक्ष में आडियो विजुअल आई०पी०एस० स्थित प्रकाशित बोर्ड लगाया गया है जिसमें निम्न सूचनाएं प्रकाशित होंगी :-

(2) सामान्यतया छः हरी बत्ती दो पीली, तथा दो लाल बत्ती सदैव जलती रहती है। अन्य लाल बत्तियॉ बुझी रहती हैं।

(क) छः हरी बत्ती आई०पी०एस० की बैट्री का वोल्टेज 120 वोल्ट तक होने पर जलती हैं, जो कि बैट्री वोल्टेज दो वोल्ट के अन्तराल में कम होने पर क्रमश : बुझती है / जलती हैं।

(ख) बैट्री का वोल्टेज 120 वोल्ट से कम होने पर ऊपर से छठी हरी बत्ती बुझती है तथा बजर के साथ जनरेटर चलाने हेतु अलार्म बजता है। अतः इस स्थिति में जनरेटर चलाकर बैट्री चार्ज की जानी चाहिए।

(ग) जनरेटर न चलने की दशा में बैट्री वोल्टेज कम होने पर दोनों पीली बत्तियॉ बुझती हैं तथा आपात कालीन जनरेटर स्टार्ट अलार्म बजता है एवं सिगनल व्यवस्था अकार्यशील हो जायेगी।

(घ) जनरेटर स्टार्ट करने के लिये जनरेटर पैनल पर प्रदत्त पुश बटन को दबाया जायेगा अथवा जनरेटर को हैण्डिल के माध्यम से डी०जी०सैट चलाया जायेगा।

3. इस स्टेशन पर सम्पूर्ण सिगनल व्यवस्था आई०पी०एस० से संचालित है। इस आपूर्ति के विफल होने पर विफलता के कारणों को दूर कर पुनः सामान्य किया जा सकता है।

(क) जनरेटर कक्ष में लगे चेन्ज ओवर स्विच 'ए' जो सामान्य स्थिति में सदैव कमर्शियल पावर सप्लाई की तरफ लगा रहता है, को जनरेटर साइड में लगा देगें ।

(ख) इस स्टेशन पर दो जनरेटर क्रमशः जनरेटर संख्या 1 एवं जनरेटर संख्या 2 लगे है। जनरेटर कक्ष में जनरेटर चेन्ज ओवर स्विच 'बी' लगा है जो सामान्य बीच में रहता है, जनरेटर को चालू करने के प्श्चात सम्बन्धित स्विच को चालू हुए जनरेटर की तरफ लगा दिया जाये।

(ग) सामान्यतया स्टेशन मास्टर स्टैण्डबाई जनरेटर संख्या 1 को चालू करेगा। इसके विफल होने पर जनरेटर संख्या 2 का प्रयोग किया जायेगा।

(के0एस0सोनाल) मपरिप्र/इज्जतनगर | (अतुल सिंह) मसिदूई/इज्जतनगर | (आर0पी0मिश्रा) मसिदूई/निर्माण/लखनऊ

(घ) आई०पी०एस० अधिक अवधि तक विफल रहने पर जनरेटर संख्या 1 तथा 2 को लगभग 4 - 4 घन्टा के अन्तराल में बदल-बदल कर चलायें।

4. जब कमर्शियल सप्लाई आ जाय तो स्विच 'ए' को कमर्शियल साइड की तरफ बदल कर लगा दें और स्विच 'बी' को मध्य स्थिति में कर दें तथा जनरेटर को बन्द कर दें।

5. जब जनरेटर में डीजल आयल भरा जाय तो स्टेशन मास्टर डीजल आयल पंजिका इसका इन्दराज तुरन्त करें। स्टेशन मास्टर डीजल जनरेटर के उपयोग का इन्दराज लाग बुक में अवश्य करें।

6. कार्यरत स्टेशन मास्टर पावर सप्लाई की विफलता / उपलब्धता का इन्दराज लाग बुक में निम्न प्रकार से करें।

प्रारुप

व्यवसायिक विद्युत विफलता एवं जनरेटर प्रचालन :

क्रम सं०	तिथि	IPS का चार्जिंग समय	डी०जी०सैट चलने का समय घन्टा एवं मिनट में			डीजल आयल भरा गया मात्र लीटर में	स्टेशन मास्टर का हस्ताक्षर	टिप्पणी
			स्टार्ट करने का समय	बन्द करने का समय	चलने का कुल समय कुल समय			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. डीजल जनरेटर की सर्विस ओवर हालिंग तथा मरम्मत आदि का विवरण लाग बुक के टिप्पणी कालम में इन्दराज करें।

8. **स्टेशन मास्टर के कर्तव्य :-**
आई०पी०एस०मानिटरिंग पैनल पर आने वाले सूचकों पर विशेष ध्यान रखें एवं सूचकों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही तुरन्त करे अन्यथा स्टेशन के सभी सिगनल बुझ जायेगें एवं रिले अकार्यशील हो जायेगीं।

9. **आई०पी०एस० की विफलता पर अपनायी जाने वाली विधि :-**
आई०पी०एस० के विफल होने पर स्टेशन मास्टर किसी भी ट्रेन को लाइन क्लीयर देने अथवा किसी अन्य गाड़ी का परिचालन करने से पहले यह भलिभॉति सुनिश्चित कर लें कि साधारण एवं सहायक नियम 3.68 से 3.71 के अनुसार गाड़ी लेने की व्यवस्था कर ली गयी है।

14. **कालिंग आन सिगनल :-**
कालिंग आन सिगनल होम सिगनल के नीचे छोटे पीले प्रकाश के रूप में दिया गया है। सामान्य दशा में यह अप्रकाशित रहता है। जब कभी होम सिगनल विफल हो जाये या मार्ग अथवा ओवर लैप का ट्रैक सर्किट (होम सिगनल के रिप्लेसर ट्रैक सर्किट को छोड़कर) विफल हो जाये तब इसे आफ किया जाता है। कालिंग आन सिगनल को आफ करने के लिये पैनल द्वारा कॉटों को अलग-अलग सैट किया जायेगा। इसके उपरान्त कालिंग आन सिगनल का सिगनल बटन एवं रूट बटन को एक साथ दबाने पर कालिंग आन सिगनल 60 सेकेण्ड के बाद आफ हो जायेगा।

(के0एस0सोनाल)	(अतुल सिंह)	(आर0पी0मिश्रा)
मपरिप्र/इज्जतनगर	मसिदूई/इज्जतनगर	मसिदूई/निर्माण/लखनऊ

कालिंग आन सिगनल आफ करने के लिये यह भी आवश्यक है कि यदि चालक गाड़ी को कालिंग आन ट्रैक सर्किट पर नहीं खड़ी करता है तो स्टेशन मास्टर चालक को बी०जी० की अप गाड़ी के लिये ए10T एवं डाउन गाड़ी के लिये ए3T कालिंग आन ट्रैक सर्किट पर लाने के लिये वाकी-टाकी पर सूचित करेगा अन्यथा कालिंग आन सिगनल आफ नहीं होगा। कालिंग आन सिगनल पर गाड़ियों का रिसैप्शन करने पर पूरी गाड़ी बर्थिंग ट्रैक पर आ जाने के बाद एवं पीछे का रूट बुझ जाने के 2 मिनट बाद ही गाड़ी चलाने के लिये सम्बन्धित स्टार्टर सिगनल टेक आफ किया जा सकेगा। इस अवधि में 120 सेकेण्ड NJKE का इंडिकेशन पैनल पर जलता रहेगा।

15. **साइडिंग कॉटों का संचालन एवं कार्य विधि :-** कोई नहीं।

16. **विफलताएं :-**

संकेतन एवं अन्तर्पाशन, गाड़ी संकेतन उपकरण तथा टेलीफोन की विफलता की दशा में निम्नलिखित अधिकारियों को सूचित किया जायेगा। गाड़ी संचालन उपकरण एवं टेलीफोन की विफलता की दशा में अभियॉन्त्रिकी अधिकारियों को सूचित करना आवश्यक नहीं है। जब संकेतन एवं अन्तर्पाशन विफल हो जाये तो साधारण एवं सहायक नियम 3.38, 3.68, 3.69, 3.71, 3.76, 3.77, 3.81, और 5.01 में उल्लिखित प्रणाली तथा समय-समय पर जारी किये जाने वाले संयुक्त परिपत्रों और अनुदेशों का अनुपालन किया जाय।

क्र० सं०	अधिकारी / कर्मचारी जिन्हे सूचित करना है	मुख्यालय
1	यॉन्त्रिक सिगनल अनुरक्षक	बहेड़ी
2	विद्युत सिगनल अनुरक्षक	बहेड़ी
3	जे० ई० सिगनल	इज्जतनगर
4	सीनियर सैक्शन इंजी० सिगनल	इज्जतनगर
5	सहायक मण्डल सिगनल एव दूर संचार इंजी०	इज्जतनगर
6	वरिष्ठ मण्डल सिगनल एवं दूर संचार इंजी०	इज्जतनगर
7	वरिष्ठ मण्डल इंजी०	इज्जतनगर
8	सहायक मण्डल इंजी०	इज्जतनगर
9	सीनियर सैक्शन इंजी०-रेल पथ	भोजीपुरा
10	जूनियर इंजी०-रेल पथ	भोजीपुरा
11	मुख्य गाड़ी नियन्त्रक	इज्जतनगर
12	यातायात निरीक्षक	इज्जतनगर
13	वरिष्ठ मण्डल परिचालन प्रबन्धक	इज्जतनगर
14	मण्डल परिचालन प्रबन्धक	इज्जतनगर
15	वरिष्ठ मण्डल संरक्षा अधिकारी	इज्जतनगर
16	वरिष्ठ मण्डल यॉन्त्रिक इंजी०	इज्जतनगर
17	दोनो छोर के स्टेशन मास्टर	देवरनिया / किच्छा

कार्यरत स्टेशन मास्टर सभी विफलताओं का सिगनल विफलता पंजिका में इन्दराज करें तथा सम्बन्धित ई०एस०एम० अथवा एम०एस०एम० को लिखित सूचना अवश्य दें। अनुरक्षक खराबियों को ठीक करने के उपरान्त उनमें खराबियों का विवरण कारण सहित ठीक करने का समय आदि का इन्दराज अपने हस्ताक्षर तिथि सहित करें और स्टेशन मास्टर से प्रति हस्ताक्षरित भी करा लें।

(के0एस0सोनाल) (अतुल सिंह) (आर0पी0मिश्रा)
मपरिप्र/इज्जतनगर मसिदूई/इज्जतनगर मसिदूई/निर्माण/लखनऊ